सप्तम माला, 5 July 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 20, शनिवार, 5 जुलाई, 1980/14 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभापटल पर रखे गये पत्र	1–2
दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक—अनुमति	2
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	2–3
नियम 377 के अधीन मामले	3–5
(1) बिना टिकट रेल गाड़ी से यात्रा कर रहे आदिवासियों को अलीगढ़ में गिरफ्तार किया जाना	
श्री ए० के० राय	3
(2) कानपुर में गंगा बांध परियोजना के निर्माण की स्वीकृति तुरन्त देने की आवश्यकता—	
श्री आरिफ मोहम्मद खां	4
(3) कार्बेट नेशनल पार्क के रख-रखाव का मामला	
श्री आर० वी० घोरपांडे	4
(4) "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम में कुप्रबन्ध का समाचार—	
श्री राम विलास पासवान	5
आवश्यक सेवाएं (असम) विधेयक	5–20
तथा कतिपय सेवाओं को आवश्यक घोषित करने के बारे में असम सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की मंजरी संबंधी सांविधिक संकल्प	
खंड 2 से 11 तथा 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री योगेन्द्र मकवाना	5
असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—	20–51
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री जैल सिंह	20
श्री मुकुन्द मंडल	21
श्री बापू साहिब परूलेकर	22
श्री हरिकेश बहादुर	24
श्री मलिक एम० एम० ए० खां	25
श्री ए० के० राय	27

1—468LSS/80

विषय पृष्ठ

विषय	पृष्ठ
श्री सी० टी० दण्डपाणि	29
श्री चित्त बसु	31
श्री जी० एम० बनातवाला	34
श्री भोगेन्द्र झा	36
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री जैल सिंह	42
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1980-81	51—112
वाणिज्य मंत्रालय	
श्री इश मोहन	51
श्री दौलत सिंह जी जदेजा	54
श्री कृष्ण कुमार गोयल	57
श्री एडुआर्डो फैलीरो	60
श्री एस० एम० कृष्णन्	63
श्रीमती सुशीला गोपालन	67
श्री चन्द्रशेखर सिंह	70
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	83
श्री पी० जे० कुरियन	88
श्री मूलचन्द डागा	89
श्री राम विलास पासवान	92
श्री गंगाधर एस० कुचन	96
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	98
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	103
श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन	104
श्री के० ए० राजन	110
श्री अशफाक हुसैन	110

लोक सभा

शनिवार 5 जुलाई, 1980/14 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री बापूसाहिब पुरुलेकर (रत्नगिरी) : इससे पूर्व कि सभा का कार्य प्रारम्भ किया जाये मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे इसकी अनुमति दी जाये। मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में बागपत की घटना से भी गम्भीर घटना घटी जिसका सम्बन्ध अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति की महिला से है। हम उस पर चर्चा .....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नियमों की जानकारी है। यह मामला कार्यसूची में नहीं है।

श्री बापूसाहिब पुरुलेकर : कृपया आप इस पर विचार करें। एक गर्भवती महिला को पुलिस स्टेशन में निर्वस्त्र किया गया। उसे बुरी तरह पीटा गया। इसलिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं......(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

श्री बापूसाहिब पुरुलेकर : कृपया इस पर विचार करें। मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गए पत्रों के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री बापूसाहिब पुरुलेकर : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रत्न सिंह राजदा : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 1980-81 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं वर्ष 1980-81 के लिये ऊर्जा मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1007/80)

ओरियेन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्श कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरण

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरात) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हुं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1008/80)।

दिल्ली उच्चन्यायालय (संशोधन) विधेयक

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1980 सभा पटल पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री ज्योतिर्मय बसु। उपस्थित नहीं हैं।

श्री बापूसाहिब पुरुलेकर : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा।

श्री बापूसाहिब पुरुलेकर : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : श्रीमान, यदि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कैसे गृहीत किया गया?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इसलिए गृहीत किया गया क्योंकि माननीय सदस्य कल उपस्थित थे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब आप कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गृहीत करते हैं तब हमें बहुत से आंकड़े एकत्र करने पड़ते हैं। बहुत सी कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं जिन पर बहुत-सा व्यय भी होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी सूचना श्री ज्योतिर्मय बसु को दे दी जाएगी।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कालिंग एटेन्शन नोटिस का जवाब तैयार करने के लिए गवर्नमेंट का कितना खर्चा हुआ है। ऐसे इर्रेसपांसिबल, गैर-जिम्मेदार, मेम्बरों के नोटिस को एडमिट नहीं करना चाहिए। आप श्री ज्योतिर्मय बसु का नाम नोट कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : बात खतम हुई।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह आम तौर पर अनुपस्थित नहीं होते, परन्तु उनकी पत्नी बीमार हैं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिना टिकट रेल गाड़ी से यात्रा कर आदिवासियों को अलीगढ़ में गिरफ्तार किया जाना

श्री ए० के० राय (धनबाद) : आज शनिवार है तथा आप बहुत से भाषणों के लिए अनुमति दे रहे हैं। नियम 377 के अधीन इसे पढ़ने के बाद मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने अध्यक्ष महोदय को लिख कर दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

श्री ए० के० राय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में भले ही न सम्मिलित किया जाये, फिर भी मैं बोल सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा का समय लेंगे। उसकी भी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री ए० के० राय : श्रीमान, 1 जून, 1980 को 162 डाउन टाटा एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में अलीगढ़ में तीन सौ आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग पृथक झारखंड राज्य के निर्माण के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करने तथा राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आ रहे थे। ये आदिवासी बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दूर-दूर के स्थानों से आये थे। वे अत्यन्त गरीब लोग हैं। उनके अपने इलाके से बहुत दूर उन्हें अलीगढ़ में गिरफ्तार किये जाने के आदिवासी क्षेत्रों में गम्भीर परिणाम निकलेंगे तथा उत्तर पूर्व की वर्तमान स्थिति के कारण उसे हर हालत में रोका जाना चाहिए।

इसलिए, मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करके हिरासत में लिए गए आदिवासियों को शीघ्र छोड़ दिया जाये तथा उन्हें उनके घरों में पहुंचाया जाये।

कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। जब मैं बोल रहा हूं तो आप बैठ जायें। यदि आप संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकते तो हम सभा की कार्यवाही किस प्रकार

चला सकते हैं। आप एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। आपको तो हमें शिक्षा देनी चाहिए। परन्तु हमें आप को नियम बताने पड़ते हैं। मुझे खेद है।

(दो) कानपुर में गंगा बांध परियोजना के निर्माण की स्वीकृति तुरन्त देने की आवश्यकता

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : गंगा के किनारे पर बसी उत्तर भारत की प्रमुख औद्योगिक नगरी कानपुर की आबादी इस समय लगभग 25 लाख है। पिछले कुछ वर्षों से गंगा द्वारा निरन्तर अपना मार्ग बदलने से कानपुर को पेय जल तथा बिजली का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है जिसका प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ा है। कई उद्योग बंद हुए और कई को कानपुर के बाहर ले जाया गया है। इस समय गंगा के बढ़े हुए जलस्तर से एक ओर उन्नाव के 400 गांवों को बाढ़ का खतरा है दूसरी ओर कानपुर पर बने दोनों पुल भी संकट में हैं। इस समस्या से निपटने हेतु कानपुर पर गंगा बांध योजना 1979 से योजना आयोग के अधीन विचारार्थ है। इस समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही के अनुरोध के साथ सदन के संज्ञान में लाता हूं।

(तीन) कार्बेट नेशनल पार्क के रख-रखाव का मामला

श्री आर० पी० घोरपांडे (बेल्लारी) : श्रीमान, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्न विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कार्बेट नेशनल पार्क को देश में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा पंडित नेहरू ने उसे राष्ट्र को समर्पित किया था।

आज उसका चमत्कार समाप्त हो गया है तथा वन्य पशुओं एवं पर्यटकों के लिए उसका महत्व घटता जा रहा है। देश के वनस्पतियों तथा जीव-जन्तुओं के प्रति हमारी उपेक्षा की यह दुःखद कहानी है।

कार्बेट नेशनल पार्क में तीन स्तर के वन हैं और यदि उनका रख-रखाव ठीक ढंग से होता है तो प्रत्येक खण्ड से प्रतिवर्ष औसतन 90 लाख रुपये की आय होगी। पर्याप्त आय की हानि के अलावा वनों के तेजी से विनाश के कारण धरती टुकड़े-टुकड़े हो जाती है। जैसे ही वर्षा होती है नदियों के किनारे टूटने लग जाते हैं तथा पर्वतों से बड़े-बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिससे नदियां तथा चश्मे चट्टानों तथा रेत से भर जाते हैं। अकेले हाथी नैराश्य में चिंघाड़ते हैं। इसके अलावा नदियां तथा चश्मे जिनके मार्ग लकड़ी, रेत, चट्टानों आदि से अवरुद्ध हो जाते हैं, पेड़ों के काफी भाग को उखाड़ देते हैं। ग्रीष्म में झील सूख जाती हैं, तथा रेत तथा चट्टाने उभर आती हैं। जिससे ऐसा लगता है कि लहलहाती जगह के स्थान पर रेगिस्तान बन रहा है। वन्य संरक्षण की सभी प्रक्रियाएं जैसे, उखाड़ने, काटने और कांट-छांट करने में उपेक्षा की गई है। परिणामस्वरूप व्यर्थ की झाड़-फूस आबाध रूप से उगने लगी है।

हमारे देश के गरिमा-पूर्ण स्थलों को विनाश से बचाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। पता चला है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि इण्डाणु पाया गया है जो कि तानतानी और अपतृण का विनाश कर सकता है। कार्बेट नेशनल पार्क में तो यह भी नहीं किया गया।

(चार) "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम में कुप्रबन्ध

श्री राम बिलास पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार तथा देश के अन्य भागों में कार्य के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत भयंकर भ्रष्टाचार है तथा आमतौर पर लोग इसे "फूड फार वर्क" के बदले "लूट फार वर्क" कहते हैं। देश में कार्य के बदले अनाज योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग ने देश में काम के बदले अनाज योजना के मूल्यांकन में पाया है कि इस योजना में जाली नामों की मोटी हाजरी, वही काकरी और फर्नीचर खरीदने तथा सरकारी भवनों की मरम्मत में खाद्यान्न के दुरुपयोग किए गए। 1979-80 के दौरान योजना आयोग के कार्यक्रम के मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन के लिए 20 जिले चुने गए। इन 20 जिलों में से सात जिलों में ही कार्यक्रम लागू करने के लिए विशेष रूप से संचालन समितियों का गठन किया गया जबकि अन्य जिलों में विशेष संचालन समिति का गठन नहीं किया गया।

अध्ययन के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में खाद्यान्न वितरण में भारी अन्तर है। एक जिले में 469 टन अनाज का ही वितरण किया गया जबकि दूसरे जिले में 27 हजार 74 टन खाद्यान्न वितरण किया गया। 20 जिलों में से 11 जिलों में खाद्यान्न का उपयोग किया गया। पांच जिलों में आपूर्ति में विलम्ब और भण्डार की सुविधा की कमी पाई गई।

अध्ययन के अनुसार ठेकेदारों ने खाद्यान्न को बाजार में खुले आम बेचा है। निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी मजदूरों को दी गई। कुछ राज्यों में अनाज के बदले नगण्य राशि का भुगतान मजदूरों को किया गया और ठेकेदारों ने खुलकर अनाज की चोरबाजारी की।

अतः सरकार से माँग है कि योजना आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्ति, ठेकेदार एवं अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें और एक शक्तिशाली निगरानी समिति का गठन करें।

प्रो० ए० जी० रंगा (गुन्टूर): यह सब कुछ उस समय हुआ जबकि आपकी सरकार सत्ता में थी।

आवश्यक सेवाएं (असम) विधेयक

तथा

कतिपय सेवाओं को आवश्यक घोषित करने के बारे में असम सरकार द्वारा जारी का गई अधिसूचना की मंजूरी सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रस्ताव को विचार के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि असम में कुछ आवश्यक सेवायें तथा असामान्य सामुदायिक जीवन बनाये रखने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयक पर खण्ड वार विचार करेंगे।

खण्ड 2

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

30 से 32 पंक्तियां हटा दी जायें।

पृष्ठ 3,—

4 से 5 पंक्तियां हटा दी जायें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

25. पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 41 और पंक्ति 1 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये,— "का, जो इस प्रकार नियोजित हैं या नियोजित रहे हैं, काम करते रहने से सम्मिलित रूप से इंकार करना या सामान्य मति से इंकार करना, अभिप्रेत है।"

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : श्रीमान, मैंने दो संशोधनों का प्रस्ताव किया है। मेरा पहला संशोधन खण्ड 2 में पृष्ठ 2 पर 20 से 22 पक्तियां निकालने के बारे में है।

महोदय, यह "अनिवार्य सेवा" पद की परिभाषा से सम्बन्धित है। यह सुविदित है कि वे लगभग प्रत्येक वस्तु को "अनिवार्य सेवा" पद की परिभाषा में सम्मिलित करवाना चाहते हैं। विधेयक का उद्देश्य यह देखना है कि अनिवार्य सेवाएं उनके सही अर्थ में चलाई जायें। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह मद संख्या 13 जिसमें कहा गया है—

"(तेरह) संघ या असम राज्य के कार्यों से सम्बन्धित कोई भी सेवा, जो कि उपरोक्त उपखण्डों में से किसी में विनिर्दिष्ट सेवा नहीं है ;"

यह इतनी विस्तृत है कि यह उस मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर देती है, जिसके लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। हमें यह बताया गया है कि इस विधेयक को अनिवार्य सेवाओं की सप्लाई को बनाए रखने के लिए लाया गया है। अतः विधेयक को अनिवार्य सेवाओं और केवल अनिवार्य सेवाओं की सप्लाई तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। यदि "अनिवार्य सेवाएं" पद के घेरे में आकाश के नीचे की सभी चीजों को समेट लिया जाता है तो यह सदन के साथ एक धोखा है।

हमें बताया गया है, और जैसा हम जानते हैं, अनिवार्य सेवाओं में टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा; रेल सेवा; माल को उतारने-चढ़ाने से सम्बन्धित सेवाएं; हवाई अड्डों से सम्बन्धित सेवाएं या सीमा शुल्क विभाग के माध्यम से माल या यात्रियों की निकासी से सम्बन्धित तस्करी की रोकथाम सम्बन्धी सेवाएं; संघ की सशस्त्र सेनाओं से सम्बद्ध कोई सेवा या प्रतिरक्षा से सम्बंधित कोई सेवा आदि सम्मिलित हैं।

अब महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इन सभी मदों में सभी आवश्यक अनिवार्य सेवाओं को सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। अब यह कहने के लिए कि वे सभी सेवाएं

जो उपरोक्त उपखण्डों में नहीं दी गई हैं, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जायेगा, तो एक और मद को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अन्यथा इस विधेयक का अनुपयुक्त और गलत लाभ उठाने की नीयत है ।

उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है :—

"चूंकि असम राज्य में राष्ट्रपति शासन था, अतः अनिवार्य सेवाएं बनाये रखना (असम) अध्यादेश, 1980, 6 अप्रैल, 1980 को राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया गया। जिसमें कुछ अनिवार्य सेवाओं का उल्लेख किया गया और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, दोनों, को किसी भी अनिवार्य सेवा में, असम राज्य में हड़तालों पर रोक लगाने की शक्ति दी गई।

मेरा निवेदन है कि सदन को यह बताना कि इस अध्यादेश की सीमा या इस विधेयक विशेष की सीमा में केवल कुछ अनिवार्य सेवाएं आती हैं, तो यह बात सदन को गुमराह करने वाली है। चूंकि इसका कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसमें असम की सभी छोटी-मोटी सेवाएं आ जाती हैं। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमने असम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस का समर्थन किया है, परन्तु इसे आवश्यक सेवाएं बनाए रखने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरे इस निवेदन को सरकार स्वीकार कर लेगी। यदि सरकार इस निवेदन को समझने में असफल रहती है तो, मुझे आशा है कि यह सदन दलबन्दी से ऊपर उठकर मेरे उस संशोधन को स्वीकार कर लेगा जो मैंने इस सदन में पेश किया है ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, इस विधेयक की दो विशेषताएं हैं। पहली तो इसकी अवांछनीयता और दूसरा इसकी विसंगति। उपाध्यक्ष महोदय, किसी समय आप, मजदूर-संघ-नेता रहे हैं। कहीं भी आपको हड़ताल की ऐसी परिभाषा नहीं मिलेगी। यहां पर तो हड़ताल की एक नई परिभाषा दी गई है। ऐसा उपबन्ध आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सभी गैर-अनिवार्य सेवाओं को भी अनिवार्य सेवाओं में सम्मिलित किया गया है। वे सभी बातें भी, जिनका हड़ताल से कोई सम्बन्ध नहीं है 'हड़ताल' शब्द में सम्मिलित की गई हैं सेवा में जाने से मना करने को भी हड़ताल माना गया है। यह बड़ी ही विचित्र बात है। मेरे विचार से तो इस प्रकार की परिभाषा कहीं भी नहीं पाई जा सकती। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की परिभाषा इस सदन को और कहीं मिलेगी। महोदय, आपका कहना है कि नौकरी स्वीकार न करना भी हड़ताल है। केवल इतना ही नहीं 'समयोपरि काम करने से मना करना' भी हड़ताल है। उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता है। यहां तक कि आपातकाल में भी किसी को समयोपरि कार्य करने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह तो उसकी अपनी इच्छा है, कि वह समयोपरि काम करे या न करे। वह कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। परन्तु इसमें यह कहा गया है, "समयोपरि काम करने से मना करना भी हड़ताल है"। इसी प्रकार इस प्रकार का आचरण जिससे काम में बाधा पड़े या धीरे-धीरे अनिवार्य सेवाओं का कार्य भी हड़ताल माना गया है। वास्तव में यह बड़ा ही विचित्र बात है। यदि यह सदन इस प्रकार का प्रावधान कर देता है तो भावी पीढ़ियां हम पर हंसेंगी। वे यह कहते हुए हम पर हंसेंगे कि संसद सदस्य होने के नाते हम किस प्रकार के उपबन्ध की वकालत

कर रहे थे। अतः महोदय, मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें और इस सर्वाधिक तर्कसंगत, न्याय संगत और सरल संशोधन को स्वीकार कर लें। मेरा यही निवेदन है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, श्री बनातवाला ने यह बात कही है कि किसी भी समय कुछ सेवाओं को अनिवार्य सेवा बना कर इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि बात ऐसी नहीं है। हर समय सरकार को संसद के सामने आना पड़ता है। उपखण्ड (तेरह) के उपबन्ध के अन्तर्गत संघ अथवा असम राज्य के कार्यों से सम्बद्ध वे सभी सेवाएं आती हैं जो "अनिवार्य सेवा" हैं और जो किसी भी उपरोक्त उपखण्ड में उल्लिखित नहीं है। इस सामान्य सूत्र को इसलिए सम्मिलित किया गया है चूंकि सदैव उन सभी सेवाओं को ठीक प्रकार से सूचीबद्ध करना सम्भव नहीं होता जिनको कि अनिवार्य समझा जायेगा। ये शक्तियां व्यापक नहीं हैं। अवशिष्ट अनिवार्य सेवाओं के मामले में केन्द्रीय सरकार या असम सरकार को सरकारी राजपत्र में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ इन सेवाओं का अनिवार्य सेवाएं घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करनी होगी। इस प्रकार की प्रत्येक अधिसूचना को खण्ड 2 (2) के अधीन जारी करने के तुरन्त बाद संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यदि संसद का सत्र चल रहा हो। और यदि संसद का सत्र चल न रहा हो तो उसे, सदन के अगले सत्र के चालू होने के पहले दिन ही प्रस्तुत करना होगा। अधिसूचना को सभापटल पर रखने की तारीख के बाद 40 दिन बीतने पर अथवा संसद के पुनः समवेत होने की तारीख से अधिसूचना लागू नहीं होगी यदि इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा अधिसूचना जारी करने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित नहीं किया जाता। इस प्रकार सभी अविशिष्ट सेवाओं के मामले में संसद को अधिसूचना की समीक्षा करने और उसे स्वीकृत करने का अवसर मिलेगा। एक बार उपखण्ड (चौदह) की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया जाता है तो उपखण्ड 2(2) जिसमें अधिसूचना को संसद के समक्ष रखने और इसकी स्वीकृति लेने के उपबन्ध हैं, स्वीकृत होना स्वाभाविक है। अतः इस उपबन्ध के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके विपरीत सरकार को संसद के प्रत्येक सदन के समाने आना होगा। अतः मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। जहां तक श्री ए० के० राय के संशोधन का सम्बन्ध है —उन्होंने समयोपरि भत्ते के बारे में कहा है—यह भी अनिवार्य है क्योंकि यदि किसी अनिवार्य सेवा के कर्मचारी समयोपरि काम करने से मना कर देते हैं, जहां कि यह काम आवश्यक हो तो स्वाभाविक है कि इस अनिवार्य सेवाओं के बनाए रखने पर प्रभाव पड़ेगा। परिभाषा के उपखण्ड (दो) के अन्तर्गत खाली बैठने, औजार न चलाने और काम न करने जैसी स्थितियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यद्यपि कर्मचारी तकनीकी रूप से हड़ताल पर नहीं होते फिर भी इससे अनिवार्य सेवाओं के काम पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अनिवार्य सेवाओं को प्रभावकारी ढंग से बनाये रखने के लिए या दोनों उपबन्ध आवश्यक हैं और इसलिए इन्हें रखा जाना चाहिए। अन्यथा सेवाओं में बाधा पड़ेगी और इसीलिए इस खण्ड को इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है। अतः मैं माननीय सदस्य द्वारा रखे गए संशोधन का विरोध करता हूं। मैं दोनों सदस्यों से अपने संशोधनों को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं अपना संशोधन वापस नहीं लेता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 2 और 3 को मतदान के लिए सभा में रखूंगा।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, आपने जो संशोधन संख्या 25 रखा है, क्या आप उसे वापस ले रहे हैं?

श्री ए० के० राय (धनबाद) : नहीं, महोदय, आप इसे सदन में मतदान के लिए रखिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2 और 3,

क्रमश: पंक्ति 41 और पंक्ति 1 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये,—

"का, जो इस प्रकार नियोजित हैं या नियोजित रहे हैं, काम करते रहने से सम्मिलित रूप से इंकार करना या सामान्य मति से इंकार करना, अभिप्रेत है।" (25)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

पक्ष में

मध्याह्न पूर्व (11—40 बजे)

मत-विभाजन संख्या 3

आचार्य, श्री बसुदेव
आजमी, श्री ए० यू०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री त्रिदिब
चह्वाण, श्री यशवन्तराव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
*दुबे, श्री बिन्देश्वरी
घोष, श्री निरेन
गिरि, श्री सुधीर

*गलती से 'पक्ष' में मतदान किया गया।

गोयल, श्री कृष्ण कुमार
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हरिकेश बहादुर, श्री
हंसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जगपाल सिंह, श्री
खां, श्री मयूर अली
खां, श्री महमूद हसन
कुन्हम्बु, श्री के०
महाटा, श्री चित्त
मंडल, श्री धनिक लाल
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मेहता, प्रो० अजित कुमार
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
राजदा, श्री रतनसिंह
राम किंकर, श्री
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री गदाधर
सारण, श्री दौलत राम
शमन्ना, श्री टी० आर०
शास्त्री श्री रामावतार
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री शिव शरण
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

विपक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी०
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान
अरुणाचलम, श्री एम०
बैठा, श्री डूमर लाल
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
भगवान देव, श्री
भाई, डा० कृपासिन्धु
बूटा सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चह्वाण, श्री एस० बी०
चिंगयाग कोनयक, श्री
चौहान, श्री फतेहभान सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
गाडगिल, श्री वी० एन०
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
हेमूबरम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
कृष्ण दत्त, श्री
कृष्ण, श्री एस० एम०
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
कुसुम कृष्णा मूर्ति श्री

लकप्पा, श्री के०
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाबीर प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यनंद
महन्ती, श्री ब्रजमोहन
मोहसिन, श्री एफ० एच०
मुखोपाध्याय, श्री आनंदगोपाल
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
नागिना राय श्री
नायक, श्री सरूप सिंह हिरया
नंदी पेल्लैया, श्री
निमरा, श्री रामेश्वर
पांडे, श्री केदार
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विगे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री बसन्त राव
पोटदुखे, श्री शांताराम
कादमी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजामल्लू, श्री के०
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राउत, श्री भोला

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

साही, श्रीमती कृष्णा

साठे, श्री बसन्त

सेवस्तियान, श्री एस० ए० दोराई

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शिमडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुखाड़िया, श्री मोहन लाल

सुखबंस कौर, श्रीमती

तेईयेंग, श्री सोबेंग

थोरट, श्री भाऊसाहिब

त्रिपाठी, श्री कमलापति

वर्मा, श्री जय राम

जैल सिंह, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 45

विपक्ष में : 87

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पक्ष में : श्री अशफाक हुसैन, श्री गुलाम मोहम्मद खान और श्री ए० के० बालन।

विपक्ष में : श्री के० सी० शर्मा, श्री चक्रधारी सिंह, श्री एस० एस० रामास्वामी, पदायाची, श्री शिव कुमार सिंह, श्री आर० वाई० घोरपडे, श्री ओस्कर फर्नान्डीज, श्री नवीन खानी, डा० शंकर दयाल शर्मा, श्री सज्जन कुमार, श्री आर० मुथु कुमारन, श्री के० बी० एस० मनी, श्री बिन्देश्वरी दुबे।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महालगी उपस्थित नहीं हैं। अब श्री रामावतार शास्त्री बोलेंगे।

रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 30,—

"छह मास" **के स्थान पर** "एक मास"

प्रतिस्थापित किया जाये। (26)

पृष्ठ 3, पंक्ति 33,—

"छह मास" **के स्थान पर** "पन्द्रह दिन"

प्रतिस्थापित किया जाये। (27)

वैसे तो मैं इस बिल को ही गलत मानता हूं। हम इसके विरोधी हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने बहुमत से इसको पास करवाना है। इसलिए एमेंडमेंट्स के जरिये इसका कुछ असर हम कम करवाना चाहते हैं। यही मेरे एमेंडमेंट का मकसद है। मैं जानता हूं कि आप लोग मानने वाले नहीं हैं। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम आपको नेक सलाह देने की कोशिश करें। धारा 3 में आपने आवश्यक सेवाओं में हड़तालों पर रोक लगाने की बात कही है और उसकी अवधि के बारे में कहा है कि छः महीने की अवधि के लिए आप हड़तालों पर रोक लगाना चाहते हैं और बाद में अगर जरूरी समझेंगे तो इस अवधि को और छः महीने बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक साल तक आप इन हड़तालों पर रोक लगाना चाहते हैं। एक साल तक आप किसी को सही सवालों को ले कर या सही मांगों को ले कर हड़ताल पर जाने नहीं देना चाहते हैं। हड़ताल करना, संगठन बनाना यह हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने जो यह अधिकार लोगों को दिया है उससे आप लोगों को महरूम करना चाहते हैं। इसको हम पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां आपने छः महीने की अवधि की बात कही है वहां आप इस अवधि को एक महीना कर दें और आगे भी आप अगर रोक को जारी रखना चाहते हैं तो पंद्रह दिन कर दें। यही मेरे एमेंडमेंट्स हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें रिकार्ड रखना है ...

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी क्या आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 30,—

"छह मास" **के स्थान पर** "एक मास"

प्रतिस्थापित किया जाये। (26)

पृष्ठ 3, पंक्ति 33,—

"छह् मास" के स्थान पर "पन्द्रह दिन"

प्रतिस्थापित किया जाये। (27)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० के० महालगी उपस्थित नहीं हैं। अब, श्री रामावतार शास्त्री की वारी है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 42–43,—

"(जिसके अन्तर्गत पदच्यूति भी है)"

का लोप कर दिया जाये। (28)

पृष्ठ 4, पंक्ति 2,—

"(जिसके अन्तर्गत पदच्यूति भी है)"

का लोप कर दिया जाये। (29)

क्लाज़ चार में जो हड़ताल करेंगे उनको सजा देने का प्रावधान किया गया है। यह कहा गया है कि इन उपबन्धों के अनुसार जो हड़ताल में भाग लेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और इस अनुशासनात्मक कार्रवाई में डिसमिसल भी शामिल है। यह बहुत ही जोरदार चोट मजदूरों के अधिकार पर की गई है। आप अनुशासन की कार्रवाई करें इसको तो मैं समझ सकता हूं। अनुशासन की कार्रवाई बहुत तरह की हो सकती है। लेकिन हड़ताल में भाग लेने वाले का डिसमिसल भी कर सकते हैं यह जनतांत्रिक उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है, उस पर जो चोट है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो पदच्युति है इसको आप हटा दें। इसको हटाने से मेरे ख्याल में आपका बहुत अहित नहीं होगा। नहीं हटाते हैं तो यही समझा जाएगा कि उसको आप डंडे के बल पर नौकरी से निकाल देंगे, उसके बाल बच्चों को भूखों मारने की स्थिति में डाल देंगे, जो बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है इसको आप निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 28 तथा 29 सभा को मतदान के लिये सभा में प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन मतदान के लिये

रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपायक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 4, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 5

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 4,—

छः मास के स्थान पर "एक सप्ताह"

प्रतिस्थापित किया जाये । (30)

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 5, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 6

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,—

"एक वर्ष" के स्थान पर "एक सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाये (31)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,—

"दो पजार" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाए (32)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किए गये । संशोधन संख्या 31 तथा 32 को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 6, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 6, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 7

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4, पंक्ति 13 और 14,—

"एक वर्ष" के स्थान पर "एक सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए (33)

ष्ठ 4, पंक्ति 14,—

"दो हजार" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाये (34)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किये गए संशोधन संख्या 33 और 34 को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिय रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 7, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 7, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 8

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 4, पंक्ति 17,—

"बिना" का लोप किया जाये : (35)

पृष्ठ 4, पंक्ति 17,—

"वारण्ट" से पूर्व "इसके आधार पर" अन्तः स्थापित किया जाये। (36)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बिना वारन्ट के गिरफ्तारी की व्यवस्था इस बिल में की गई है जो किसी भी जनतांत्रिक मुल्क में नहीं होनी चाहिये। अगर हम कोई गलती करते हैं तो वारन्ट दिखाइये गिरफ्तारी का और गिरफ्तार कर के ले जाइये। यह सारा अधिकार आपको प्राप्त है, लेकिन बिना वारन्ट के किसी को जेल खाने में रखना, किसी भी जनतंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जो दिन-रात जनतंत्र की माला जपने वाले हैं, बिना वारन्ट के किसी को गिरफ्तार कर लें। आपकी पुलिस कैसी है, इसका बखान कल कर चुके हैं। आज भी आपने देखा कि मध्यप्रदेश में किस तरह से लड़के के सामने मां का रेप करवाया गया। यह आप जानते हैं। तो पुलिस वही है, इसको इतना बड़ा अधिकार आप दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अधिक है।

इसलिये मैं चाहूंगा कि कम-से-कम वारन्ट निकालिये। (*व्यवधान*) शास्त्री जी को या किसी को चाहे जब जेल में ले चलिये, लेकिन बिना वारन्ट के किसी को गिरफ्तार करना गलत है। इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। यह तो केवल दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 41 को दोहराता है :

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या

35 तथा 36 को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह :—

"कि खंड 8, विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड—1

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

1. पृष्ठ 1,—

पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(3) यह अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन असम के बारे में जारी की गई उद्घोषणा का प्रतिसंहरण हो जाने पर या उक्त उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर प्रवृत्त नहीं रहेगा।" (1)

यह एक उचित संशोधन है जिसे मैं सभा के सामने रख रहा हूं। हमें बताया गया है कि आसाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक से कानून बनाया जा रहा है। मंत्री महोदय ने उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा है :—

"आसाम में विदेशी राष्ट्रिकों सम्बन्धी जन आन्दोलन का लाभ विघटनकारी ताकतों ने उठाया है जिससे सार्वजनिक जीवन के लिये अनिवार्य सप्लाई तथा सेवायें बनाये रखने पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है..."

इस विधेयक का प्रत्येक शब्द "आसाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुये" लिखा गया है और इस विधेयक को सभा में लाया गया है। अतः विधेयक के जीवन का राष्ट्रपति के अध्यादेश की उद्घोषणा अवधि तक रहना तर्कसंगत है। अतः मुझे आशा है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जायेगा।

मैं सरकार को याद दिलाता हूं कि सरकार, जैसे कि उद्देश्य के कारण और उद्देश्य से विदित है, निरंकुश शक्तियों वाले इस कानून के एक सामान्य कानून के रूप में नही रखना चाहती मेरे विचार में यह विधेयक सत्तारुढ़ दल के श्रमिक और औद्योगिक सम्बन्धों के बारे रवैये और दर्शन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आसाम की स्थिति ने इसे इस विधेयक को लाने के लिये बाध्य किया और वहीं की स्थिति के कारण मैं भी संकोच के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं, यद्यपि मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि इसे एक सामान्य कानून के रूप में नहीं रखना है तो इस विधेयक का जीवन, राष्ट्रपति द्वारा आसाम से सम्बन्धित जारी अध्यादेश की अवधि तक ही सीमित रखना चाहिये और आसाम में सामान्य स्थिति अपने के बाद इस कानून की शक्तियों और अधिकार एक दिन के लिये भी लागू न की जाये। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करे ताकि विधेयक की अवधि आसाम में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ ही समाप्त हो जायें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 357 (2) के अन्तर्गत संसद द्वारा अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा की अवधि के दौरान बनाया गया कानून उस समय तक लागू रहेगा जब तक कोई सदाम विधान मंडल उसे परिवर्तित तथा संशोधित न करे। यद्यपिसंविधान के इस प्रावधान के अनुसार अध्यादेश अवधि के दौरान संसद द्वारा बनाये गये अधिनियम की वैधता या लागू करने के बारे में कोई प्रतिबंध — नहीं है, फिर भी राज्य क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक के प्रावधान राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद अनुपयोगी हो जायेंगी। राज्य विधान मंडल के पुनर्जीवित होते ही, यह विधान मंडल राज्य सम्बन्धी कानूनों पर पुनर्विचार करेगा। अधिनियम के केन्द्रीय क्षेत्र सम्बन्धी प्रावधान अनुपयोगी बने रहेंगे और स्थिति की समीक्षा राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के समय की जायेगी। यह विधेयक आसाम की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये पास किया जा रहा है और अधिनियम के जीवन की कोई अवधि निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा जाता। अतः मैं श्री बनातवाला के संशोधन को अस्वीकार करता हूं।

अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपसे संशोधन के वापस लेने का अनुरोध किया है। क्या आप इसे वापिस ले रहे हैं?

श्री जी० एम० बनातवाला : जी नहीं, मैं इस पर बल देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 1 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है !

"कि विधेयक पारित किया जाए" :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आवश्यक सेवाएं (असम) विधेयक तथा कतिपय सेवाओं को आवश्यक घोषित किए जाने के बारे में असम सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की मंजूरी संबंधी संविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मकवाना द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :—

"कि आवश्यक सेवायें (असम) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 2) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा असम सरकार के राजनीतिक

(क) विभाग की दिनांक 7 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या पी०एल०ए०-334/80/7 के, जिसके द्वारा जल तथा विद्युत के उत्पादन, संदाय तथा वितरण से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें विद्युत (संदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित असम राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन सेवायें भी शामिल हैं, को उक्त अध्यादेश के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवायें घोषित किया गया है, जारी किये जाने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमान्, मैंने एक संशोधन की सूचना दी है और मैं इसको प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 का आपका संशोधन वैसा ही था जैसा श्री बनातवाला का था। उसके बारे में मैंने आप को बताया था।

श्री हरिकेश बहादुर : वह बोल चुके हैं और मैं भी बोल लिया होता। वास्तव में, वे इस विधेयक को स्वीकार करने में जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वे देश के लोगों को दबाना चाहते हैं। वास्तव में मैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहता हूं क्योंकि उस प्रक्रिया से इस सरकार के विनाश का रास्ता खुल जायेगा।

असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक को लेते हैं।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रपति को असम राज्य के विधान मंडल की विधियों बनाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभा इस बात से अवगत है कि असम राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय द्वारा 12 दिसम्बर, 1979 को जारी की गई उद्घोषणा के अधीन अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि विधान मंडल की शक्ति का प्रयोग संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसलिए, विधेयक में राज्य के बारे में कानूनों को बनाने के लिए राज्य विधान मंडल की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्रदत्त करने की मांग की गई है। राष्ट्रपति महोदय के शासन के अधीन राज्यों के बारे में कानून बनाने की सामान्य प्रथा रही है तथा वर्तमान विधेयक उसी सामान्य आधार पर है।

एक सलाहकार समिति के गठन के लिए विधेयक में व्यवस्था की गई है जिसमें 45 सांसद होंगे। इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये कानून में तरमीम का निदेश देने के लिए संसद को अधिकार देने की भी व्यवस्था की गई है, यदि आवश्यक समझी जाती हो।

मैं सम्मानीय सभा से इस विधायी प्रस्ताव को स्वीकार करने का निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि राष्ट्रपति को असम राज्य के विधान-मंडल की विधियों बनाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक को 16 अगस्त, 1980 तक उस पर राय जानने के उद्देश्य से परिचालित किया जाए।"

श्री मुकुन्द मण्डल (माथुरापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह लोकतांत्रिक पद्धति विरोधी है।

श्रीमान्, जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो हमने इस विधेयक का विरोध किया था क्योंकि यदि ऐसा विधेयक पारित कर दिया जाता है तो देश में लोकतांत्रिक संस्थायें अवरुद्ध हो जायेगी। यह विधेयक वित्त तथा कराधान संबंधी कानूनों समेत किसी भी कानून को बनाने के सभी अधिकार कार्यपालिका को प्रदत्त करता है।

लोकतंत्र में कानून जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से बनाये जाते हैं। जब कानूनों को बनाने की शक्तियां कार्यपालिका को दे दी जायेगी तो उन कानूनों में जनता की भावनायें तथा प्रेरणायें प्रतिबिंबित नहीं होगी। इसलिये शक्ति प्रत्यायोजन से जनता की वास्तविक शक्ति और जनता के वास्तविक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। कार्यपालिका किस के हित में कार्य करेगी? किन के हित में कानून बनाये जाएंगें। क्या जनता को कानूनों के बनाने की शक्ति नहीं है अथवा प्रतिनिधियों को कानूनों के बनाने की शक्ति नहीं है, जिनके लिये कानून बनाये जाते हैं। यहां आप कहते हैं कि संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। परन्तु जैसे ही विधेयक पारित हो जाता है तो कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति मिल जायेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा सारी संसदीय प्रक्रिया पूर्ण रूप से नष्ट की जा रही है।

श्रीमान्, असम में, असम विधान मंडल को निलम्बित कर दिया गया है और विधान मंडल को भंग नहीं किया गया है। वर्तमान अवस्था में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार ने इस संसद का विश्वास खो दिया है इसलिये वे इस किस्म के विधेयक को लाये हैं और सांसदों को ऐसे किसी कानून पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलेगा जो इस अवस्था में असम के लोगों के लिए बनाये जायंगे। श्रीमान् सरकार यह कह चुकी है कि समय बचाने के लिए वे इस विधेयक को लाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सलाहकार समिति में इसका सुझाव दिया था?

श्री मुकुन्द मण्डल : मैं इस पर आ रहा हूं। श्रीमान् उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में यह कहा गया है :

> "राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसम्बर, 1979 को जारी की गई उद्घोषणा के अधीन, असम राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग अब संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जा सकता है। उस राज्य के लिए आवश्यक विधायन कार्य संसद द्वारा अपने काम को मुल्तवी करके ही किया जा सकता है और फिर भी यह संभावना है कि संसद को राज्य के लिए सभी आवश्यक विधायन कार्य करने का समय न मिले।"

[1]श्रीमान्, यहां यह कहा गया है : 'राज्य की सभी विधायन कार्यों पर कार्यवाही करने का हमारे पास समय नहीं होता है।' परन्तु ऐसा नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा कि विधायी कार्यों पर संसद द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है। परन्तु कुछ मामले हो सकते हैं जिन पर संसद् द्वारा चर्चा की जा सकती है। इसलिए यहां आप कह रहे हैं कि सभी शक्तियां कार्यपालिका को दे दी गई है। हमें उद्देश्य का पता है। यहां बुरा इरादा है। हम जानते हैं कि सरकार यह कहेगी कि उनका इरादा नेक है। परन्तु मीसा (आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम) के मामले में अधिनियम को पारित करते समय उन्होंने यह कहा था कि हम इस अधिनियम को देश के कल्याण, बुरे लोगों को अथवा उन लोगों को जो भारत की सुरक्षा के विरुद्ध हैं गिरफ्तार करने के लिए पारित कर रहे हैं। परन्तु वे राजनैतिक नेता थे जो अन्ततः गिरफ्तार किये गये थे। निवारक निरोध अधिनियम के मामले में भी जनता के नेताओं के साथ यही लागू हुआ था। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार अपने स्वयं के तर्कों के विरुद्ध कार्य कर रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार इस विधेयक को वापस ले ले। इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि आज संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला दिवस है क्योंकि हम एक विधेयक पारित कर चुके हैं और यदि आप मुझे ऐसा कहने की अनुमति देते हैं तो मैं कहता हु कि यह एक बदनाम विधेयक है जिसके द्वारा हम न केवल कार्यरत वर्ग के अधिकारों को दबा चुके हैं बल्कि हम निर्दोष व्यक्तियों, उन व्यक्तियों के रिश्तेदारों को जिन्होंने हड़ताल की थी, दंड देने के लिये एक तरीके की व्यवस्था कर चुके हैं और जो विधेयक चर्चाधीन है, इसके द्वारा हम लोकतांत्रिक मानकों तथा इस संविधान की भावना को भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि सभी माननीय सदस्य मेरा साथ देंगे यदि में यह कहता हूं कि हमें इस विधेयक को पारित करके एक और पाप नहीं करना चाहिए।

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में कहा गया है :—

> "उस राज्य के लिए आवश्यक विधायन कार्य संसद द्वारा अपने काम को मुल्तवी करके ही किया जा सकता है, और फिर भी यह संभावना है कि संसद् को राज्य के लिए सभी आवश्यक विधायनं कार्य करने का समय न मिले।"

वहीं दिये गये विधान से संबंधित ज्ञापन में दोहराया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि यह वक्तव्य संसद तथा इस देश के नागरिकों का एक भद्दा मजाक है। विदेशी लोग हमारा मजाक उड़ायेंगे जब वे इसको देखेंगे क्योंकि यह किसी व्यक्ति को यह महसूस करने के लिए बाध्य कर देता है कि हम अपनी बैठकों का समय नहीं बढ़ा सकते हैं कि हमारे पास असम के लिए कानून बनाने के लिए समय नहीं है, हमे यह मालूल नही है कि इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितने कानून पारित किये जाने का अनुमान है। इस विधेयक पर विचार करने के लिए यह पर्याप्त कारण नहीं है। मैं इस का पुरजोर विरोध करता हूं और मैं अपने उपस्थित सभी सम्मानीय सहयोगियों से इस विधेयक की निन्दा करने के लिए अनुरोध करूंगा।

यह विधेयक सभी लोकतांत्रिक मानकों तथा सिद्धान्तों के विरुद्ध है। केवल वहीं नहीं है। यद्यपि इसको संविधान के अनुसार बताया जाता है तो भी यह इसकी भावना के प्रतिकूल है। विधेयक से मालूम होगा कि कौन सी शक्तियां कार्यपालिका द्वारा प्रयोग की जाने वाली हैं जो

क़ानून बनाने जा रही हैं। अफसर इस सभा तथा सांसदों के अधिकारों पर सवार हो जाएंगे। मुझे माफ करना यदि मैं यह कहता हूं कि संसद को इस विधेयक की पुरःस्थापना से गुमराह किया जा रहा है।

जब हम खंड़ों पर विचार करते हैं तो हमें मालूम होता है कि राष्ट्रपति महोदय को खुली शक्तियां दी गई हैं। खण्ड 3 (2) में यह उल्लिखित है कि चाहे संसद सत्र में हो या ना हो तो भी राष्ट्रपति महोदय को कानून बनाने का प्राधिकार है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि असम के लिये अधिनियमों का मसौदा अफसर शाही द्वारा तैयार किया जाएगा। जब हम संसद के सत्र में है तो वे राष्ट्रपति के नाम में कानूनों को पारित करेंगे। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि वे हमारे अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं ? क्या इससे इस सभा का अपमान नहीं होता है ? चूंकि यह विधेयक न तो संविधान भावना की रक्षा कर रहा है और न ही सांसदों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, इसलिये मैं महसूस करता हूं कि कोई भी ऐसा कानून संसद के अधिकारों की उपेक्षा करके पारित किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 357 के अनुरूप हो सकता है जिसमें यह कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को शक्तियां देने में सक्षम है परन्तु यह निश्चित रूप से संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है।

संसद सर्वोच्च है। जो डाइसी के 'संविधान' का अध्ययन कर चुके हैं वे जानते हैं कि प्रसिद्ध विधि शास्त्रियों में एक डी० लेन ने कहा था कि संसद पुरुष को महिला तथा महिला को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है। यह इस प्रकार की प्रभुसत्ता है जो हम रख रहे हैं और अनुच्छेद 357 का पालन करते हुये हम राष्ट्रपति महोदय को कानून बनाने की ये निर्बाध शक्तियां यह जानते हुये दे रहे हैं कि अफसरों द्वारा विधियों का प्रारूप तैयार किया जायेगा।

मैं भी इस प्रकार का विशेष कानून बनाने की आवश्यकता को समझ सकता हूं। परन्तु एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछूंगा : *क्या यह* पूरी तरह संविधान के अनुच्छेद 357 की भावना के अनुरूप है ? अनुच्छेद 357 में इस बात का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार है। उस विशेष प्रश्न के बारे में अनुच्छेद 357 मौन है। इसलिए, हमें उसकी व्याख्या करनी है। जब हमें अनुच्छेद 357 की व्याख्या करनी है तो हम अनुच्छेद 357 को अनुच्छेद 356 से अलग नहीं कर सकते। अनुच्छेद 356 कहता है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। ठीक यही सिद्धान्त उस समय लागू होगा जब हमें अनुच्छेद 357 की व्याख्या करनी होती है। इसलिए, मैं इसका विरोध करता हूं और खण्ड 3(2) में उल्लिखित इस विशेष प्रावधान का जोरदार ढंग से विरोध करता हूं, जो यह है, कि संसद का सत्र चल रहा है अथवा नहीं, राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार प्राप्त है।

एक क्षण के लिए यह मान लीजिए कि राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा, भले ही वह उच्च पद पर आसीन क्यों न हों, अधिनियमित किए गए प्रत्येक अधिनियम की, संसद द्वारा, जो कि इस देश में सर्वोच्च निकाय है, पुष्टि की जानी होती है। यदि हम इस सारे विधेयक को पढ़ें हमें यह नहीं लगता कि संसद को संशोधन सुझाने के अलावा

कोई अधिकार है। यही सब कुछ है। यदि आप खण्ड 3, उपखंड (1) से (4) तक को पढ़ें, इसमें केवल इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद अथवा राज्य विधान मंडल किसी अधिनियम विशेष में केवल संशोधनों का सुझाव दे सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा वे संशोधन किए जाने होते हैं और उन संशोधनों को अधिनियम में शामिल किया जाता है। परन्तु इससे संसद को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलता कि यह उस विशेष कानून को रद्द कर दें। जिस तरह संविधान के अनुच्छद 356 (3) के अन्तर्गत हमारे पास अनुमोदन की शक्ति है, यहां भी इस तरह की शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि अनुच्छेद 356 और 357 को साथ-साथ लिया जाना होता है अंत में, मैं केवल एक दलील दूंगा। वह एक महत्वपूर्ण दलील है। मैं नहीं जानता कि क्या इस विशेष कानून से राष्ट्रपति को वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं। विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति को दी जा रही हैं। जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन से हम पाते हैं, संसद् को आसाम के सम्बन्ध में कानून बनाने का समय न मिले। और लगता यह है कि राष्ट्रपति द्वारा विधान बनाये जाने के लिए एक कारखाना खोले जाने की संभावना है। इस तथ्य विशेष के परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहूंगा कि क्या विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, निधियों के आवंटन के बारे में तथा इस विशेष विधान सम्बन्धी सभी कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को शक्तियां मिल रही है। यदि ऐसा है तो मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं जोरदार रूप से इसका विरोध करता हूं और सदन से इस बात का अनुरोध करता हूं कि इसे पूरी तरह रद्द कर दिया जाना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, जो सांविधिक संकल्प इस सदन द्वारा अभी पारित किया गया है और आसाम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक जो अब पारित होने जा रहा है, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार दमन, तानाशाही और अधिनायकवाद में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावों के माध्यम से इस संसद का गठन किया गया है। सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इस संसद से शक्तियां प्राप्त कर रही है। परन्तु जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, उससे स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार संसद की समस्त शक्तियों को हड़पना चाहती है। वह संसद की शक्तियों का उन्मूलन करना चाहती है। वह इस देश के लोगों के अधिकारों का दमन करने की दृष्टि से सारी शक्तियों को हथियाना चाहती है।

विगत में सरकार ने ऐसा किया और अब, एक बार फिर ऐसा करना चाहती है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं.......

उपाध्यक्ष महोदय : अतीत में मत जाइए, भविष्य की बातें करिए।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं भविष्य की बातें कर रहा हूं। अतीत भविष्य का मार्गदर्शन करता है। इसी कारण से मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। यदि वे पुनः उस दिशा में जा रहे हैं तो वह उनकी तबाही के द्वार खोल देगा। यही कारण है मैं कहता हूं कि उन्हें इसके परिणामों को अवश्य समझ लेना चाहिए। इस देश के लोगों ने उन्हें संसद की प्रभुसत्ता लोगों की सत्ता को समाप्त करने, उनका दमन करने के लिए यहां नहीं भेजा है। इसी कारण से मैं इस विधेयक का जोरदार रूप से विरोध करता हूं और सरकार से इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो शक्ति प्राप्त करना चाहती हैं, वह वस्तुतः राष्ट्रपति के लिए नहीं है। यह दूसरों की शक्तियों को नियंत्रित करने की सरकार की स्वयं की नियत है जिससे कि वे जो चाहें कर सकें।

मुझे आशा है कि उनमें सद्बुद्धि आयेगी और वे इस विधेयक को स्वीकार किए जाने के लिए जोर नहीं देंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करना चाहता हूं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर और बड़े गौर से मैं अपने दोस्तों की बातों को सुन रहा था। अभी हमारे दोस्त हरिकेश बहादुर जी ने बड़े ज़ोर से कहा कि पार्लियामेंट में आने के बाद पार्लियामेंट से डिक्टेटरशिप के अख्तियारात ले लेना पार्लियामेंट का सही इस्तेमाल नहीं है। मैं एक सवाल आपके द्वारा उनसे करूंगा कि क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप इधर से उधर बैठ जायें? रोज हम सुनते हैं कि एन्टी डिफेक्शन बिल आना चाहिए। मैं हरिकेश बहादुर जी से पूछता हूं कि क्या उनका यह सही काम है? इनके नेता ने बड़ी भारी नैतिकता का सबूत दिया। जब कुछ करने को नहीं रहा तो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे कर चले गए। ये इधर से उधर क्रास कर गए। जो हमारे सिम्बल से चुन कर आये, उन हमारे हरिकेश बहादुर को अपने नेता का उसूल याद नहीं आया। आज वे हम को कहते हैं कि हम कांस्टीच्युशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब जरूरत पड़ती है तो ऐसा करना पड़ता है। जब जरूरत पड़ती है तो कांस्टीच्युशन ने हड़ताल करने का अधिकार दिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कांस्टीच्युशन ने कारखाने बन्द करने का भी अधिकार दिया है, क्या कांस्टीच्युशन ने असम की पाइप लाइन को बन्द करने का अधिकार दिया ताकि मुल्क की 60 करोड़ आबादी त्राहि त्राहि बोल जाए लोग पानी पानी के लिए तरस जायें, गन्ना उगाने के लिए तरस जाएं? अगर यह अधिकार नहीं दिया है तो उसको रोकने के लिए इससे बेहतर इस्तेमाल कांस्टीच्युशन का नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को जो हिन्दुस्तान की राजनीति को दरहम बरहम करना चाहते हैं, जो मुल्क को भूखा मारना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोकना ही पड़ेगा और इसके लिए कानून बनाना ही होगा।

उपाध्यक्ष जी, आज नार्थ ईस्टर्न रीजन में जो कुछ हो रहा है, वह बड़ा शर्मनाक मसला है? उसको यहां बड़े ज़ोरों से सपोर्ट किया गया, उसकी हिमायत की गयी। वहां हजारों लोगों का कत्ल किया गया है। इस मौके पर मैं अपने होम मिनिस्टर महोदय से एक बात कहूंगा कि त्रिपुरा में जबान के नाम पर, फोरनर्स के नाम पर और दूसरी बातों पर हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय इस सदन में कोई आज तक यह नहीं बता सका कि फोरनर्स किस को कहते हैं? क्या आप फोरनर्स उनको कहते हैं जिनसे आपने 1977 में वोट लिया, 1980 में वोट लिया और जिनके नाम वोटींग लिस्ट में हैं? क्या आप उन्हीं को फोरनर्स कह कर यह झगड़ा करवा रहे हैं? आपने यह झगड़ा वहां 9 महीने से करा रखा है और तब से करा रखा है जब से आपको पता लगा कि आपमें टूट-फूट होने वाली है और आप सरकार में रहने वाले नहीं हैं, कांग्रेस आई की सरकार आने वाली है। लिहाजा यह बड़ा भारी मसला हमारी गर्दन पर सवार है और आप उसको हवा दे रहे हैं।

वहां 415 लोग गिरफ्तार किए गए। सात सौ कटी हुई लाशें दरिया में बहती हुई नजर आयीं। एक गढ़ा खोदा गया तो उसके अन्दर से एक हजार गढ़ी हुई लाशें निकलीं।

पता नहीं त्रिपुरा के अन्दर कितने और लोगों का कत्ल कर के दफना दिया गया होगा। आज लाखों लोग बेघरबार हो गए हैं, हजारों औरतें राण्ड हो गयी हैं। क्या इन लोगों को इस काम को करने की खुली छूट दी जा सकती है? उपाध्यक्ष जी, मैं तो चाहता था कि आज ऐसी सिचुएशन नार्थ ईस्ट रीजन में आ गयी है कि होम मिनिस्टर महोदय इससे भी कड़ा बिल लाते।

एडमिनिस्ट्रेशन कभी मुलायम हाथों से नहीं चला करती है। जब तक उंगली को टेढ़ा न किया जाए तब तक घी नहीं निकलता है। आपकी उंगली अभी तक भी पूरी तरह से टेढ़ी नहीं हुई है। हम सुनते हैं और अखबारों में भी पढ़ते हैं कि 1978 में त्रिपुरा सरकार ने सैन्टर से कहा कि यहां पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, आप मदद दें लेकिन सैन्टर कानों में तेल डाले बैठा रहा। 1979 में फिर उसने कहा कि यहां गड़बड़ होने वाली है हमें मदद दें लेकिन सेंटर फिर भी खामोश बैठा रहा। मुझे हैरानी इस बात पर है कि जनवरी 1980 में उससे फिर कहा गया, जैसा अखबारों में निकला है कि त्रिपुरा जलने वाला है और वहां की सरकार ने आप से मदद मांगी है लेकिन आप इनक्वायरी करते रहें, जांच करते रहे लेकिन मदद नहीं दी गई। अगर यह मदद उसको मुहैया कर दी गई होती तो शायद इतना बड़ा कांड वहां पर न होता। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह एक मुजरिमाना गफलत है जो की गई है फिर चाहे यह स्टेट सरकार की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। अगर यह सही है कि 1978, 1979 और 1980 से बराबर वहां की सरकार सेंटर को लिखती रही है वहां के हालात के सिलसिले में और सेंटर टालमटोल करता रहा है तो इसको मुजरिमाना गफलत की ही संज्ञा दी जाएगा। इसकी वजह से गलत लोगों को लाखों और हजारों जाने जाया करने का मौका मिला। अब भी हम बराबर पढ़ते हैं कि कहीं पर चालीस मार दिए गए और कहीं पर इतने मार दिए गए। आर्मी के वहां पहुंचने के बाद भी इस तरह की वारदातें वहां पर हो रही हैं।

सुना जाता है कि त्रिपुरा का जब वाका हुआ वहां पर जब हत्याकांड हुआ, उस वक्त मुख्य मंत्री स्टेट से बाहर थे और राजकाज का पूरा इन्तजाम मि० देव जो ट्राइबल एरियाज के रिप्रिजेंटेटिव हैं, उन के हाथों में था। सरकार जो फोर्स भेजती थी इन दंगों को दबाने के लिए उसे हिदायत थी कि एक भी गोली चलने न पाए। हजारों वहां मार दिए गए। हजारों की लाशें वहां पर पाई गई हैं। हजारों की लाशें गड्ढों में गाड़ दी गई हैं। तीन दिन के अन्दर त्रिपुरा की पुलिस ने कितनी गोलियां चलाई, कितनी जगह फायरिंग किया है, यह मैं आप से जानना चाहता हूं (इंटरप्शंज) मैं समझता हूं कि त्रिपुरा के मामले में बड़ी भारी गफलत बरती गई है। यह जो बराबर अखबारों में आ रहा है कि 1978 में, 1979 में और 1980 में सेंटर से मदद मांगी गई थी मैं चाहता हूं कि इसकी सफाई होम मिनिस्टर साहब अपने जवाब में करें। यह बहुत अहम मसला है। मैं समझता हूं कि अगर यह बिल वहां के हालात को सुधारने के लिए मददगार साबित होता है, कामयाब होता है तो इससे बढ़िया कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। आजादी हमें वह चाहियें जिस में हम अपनी जिन्दगी सकुन और आराम से गुजार सकें, आराम से रोटी और कपड़ा हमें मिल सके, आराम से हम रह सकें और अच्छे शहरी की तरह से हम अपना वक्त गुजार सकें। यही आजादी हम को और लोगों को चाहिए। ऐसी आजादी जिस में कत्लेआम करने की इजाजत हो, जिस में लूटने की इजाजत हो, लोगों को घर से बेघर,

कर देने की इजाजत हो, किसी को नहीं चाहिए। वर्कर, वर्कर की बात हम हमेशा न करते रहें। आम आदमी की हालत को सुधारने की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए और उसका भी ख्याल हम को करना चाहिए।

इसलिए इनकी राजनीति वहीं महदूद होकर रह गई, इससे आगे चलती नहीं।

इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए निवेदन करूंगा कि जैसे नार्थ-ईस्टर्न रीजन चल रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा कड़ा कदम उठाकर इस हालात को बदलने की कोशिश करें। इन्हीं अलफाज़ के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : यदि पिछला विधेयक, जिसे हमने अभी पारित किया, आपत्तिजनक था, तो यह विधेयक घृणित है। मुझे आश्चर्य है कि इस विधेयक को संसद के समक्ष लाने का क्या उद्देश्य और बाध्यता है। उद्देश्यों में एक आश्चर्यकारी व्याख्या दी गई है। वह व्याख्या यह है कि आसाम के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए संसद को समय न मिल सके, इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के पास उन बातों पर विचार करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय हो सकता है जिनके लिए संसद के पास समय नहीं है। मेरे विचार में, यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की बदनामी करना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता। मंत्रिमंडल और सरकार अपनी कार्यपालिका और राजनीतिक पक्षों के माध्यम से नीतियां बनाते हैं और कानून बनाते हैं तथा उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित करवाते हैं। परन्तु यदि संसद को विश्वास में ले लिया जाता है, यदि राष्ट्रपति को विशेष शक्ति नहीं दी जाती है, तो विपक्ष को, सरकार को टीका करने अथवा कम से कम यह परामर्श देने का एक अवसर मिल जाता है कि वह समुचित रूप से कानून बनाए अथवा सभी सम्बद्ध लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें। परन्तु, भले ही थोड़े समय के लिए, जल्दी संसद का सत्र चल रहा हो, संसद की अवहेलना करके राष्ट्रपति को कानून बनाने का शक्ति देकर, मैं समझता हूं, सरकार वास्तव में उस परामर्श, संशोधन से वंचित हो रही है जो दूसरी स्थिति में उसे मिल सकता था। उस तरीके से सरकार लाभान्वित भी नहीं होती है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आखिरकार आसाम में समस्या क्या है? क्या इस विधेयक से अथवा उस विधेयक से, जो कुछ समय पहले पारित किया जा चुका है, आसाम की समस्या को हल करने में कुछ सहायता मिलेगी? यदि इन सभी विधेयकों से आसाम की समस्या के समाधान में हमें सहायता मिलती है, तब भी एक बात है, परन्तु मेरे विचार में इन विधेयकों से समस्या हल नहीं होगी। आप जानते हैं कि आसाम की समस्या प्रशासनिक नहीं है जिससे कि हम कार्यपालिका को मजबूत करते जाएं। आसाम की समस्या संवैधानिक नहीं है जिससे कि हम कुछ संशोधन किए जाने की पहल कर सकें। आसाम की समस्या तकनीकी भी नहीं है। आसाम की समस्या राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक है तथा वह बहुत ही मौलिक कानून देश में आर्थिक प्रणाली के भेदभावपूर्ण विकास की बाध्यता के कारण उभरी है, सामने आई है और वह पूंजीवादी सरकार का कानून है। आप यह भी जानते हैं कि विषम विकास पूंजीवादी का कानून है और भारत ने, अपने समूचे बजट के माध्यम से, अपनी समूची नीतियों के माध्यम से, और अपनी समूची

मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक उद्देश्य प्राप्त किया है और वह उद्देश्य यह है कि इस अन्तिम क्षण में इस स्वतन्त्र सामंती अर्थअव्यवस्था को एक पूंजीवादी, बुर्जुआ अर्थव्यवस्था में कैसे बदला जाए। यह इस सरकार का एकमात्र लक्ष्य है, यह इस खण्ड का एकमात्र उद्देश्य है। आप जानते हैं कि पूंजीवादी विकास में भेदभाव भरा विषम विकास होगा। वहां द्वेष-भाव होगा। वहां मतभेद होंगे वहां साम्प्रदायिक परेशानियां होंगी और कोई उसे रोक नहीं सकता। यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य है। जिसमें संसद की सलाह ली जानी चाहिए, लोगों की सलाह ली जानी चाहिए और प्रशासनिक उपायों की उनकी पृष्ठभूमि में ही जांच की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार करें। क्या विश्व में एक से अधिक भाषा वाला, एक से अधिक जाति वाला, और एक से अधिक धर्म वाला कोई पूंजीवादी देश है। कनाडा में क्यूबेक की अधिकतम प्रतिव्यक्ति आय है, वहां भी फ्रांस से आकर बसे हुए और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में तनाव बना रहता है। जब ब्रिटिश महारानी क्यूबेक में गई थी तब उन्हें उन पर पत्थर फैंके गए यद्यपि उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में भाषण दिया था। यह स्थिति है। लेबनान में क्या हुआ ? वहां भी ईसाई और मुस्लिम आपस में लड़े ? साइपरस और इंगलैंड में भी यही हुआ। उत्तरी आयरलैण्ड में भी कुछ समय पहले कैथोलिक और प्रोटेस्टैन्ट्स आपस में लड़े: इंगलैंड में लोगों ने इस बात पर बड़ी हाय-तोबा मचाई कि वे काले और प्रवासी लोगों से घिर जायेंगे और उन्होंने विदेशी नागरिकों के बारे में बोलना शुरू कर दिया। मेरे विचार में शीघ्र ही ऐसा समय आ जाएगा जब ब्रिटेन की महारानी को इसलिए विदेशी नागरिक कहा जाने लगेगा कि वह जर्मनी के 'हैनोवर' वंश से संबंधित हैं। अतः बात इस प्रकार है। भारत में बहु-भाषी और बहुजातीय सामन्तशाही राज्य हो सकते हैं परन्तु बहु-भाषी और बहु-जातीय पूंजीवादी नहीं। अतः साम्प्रदायिक विद्वेष का मूल कारण मूल प्रणाली में निहित है जिसे ये लोग बढ़ा रहे हैं और उन्हें इसी प्रकार की दवा चाहिए। वे दमनकारी कानून ला रहे हैं। वे विधानसभा को स्थगित रखना चाहते हैं और जहां तक असम का संबंध है वे इस संसद को भी स्थगित रखना चाहते हैं। एक गम्भीर बीमारी का गलत इलाज किया जा रहा है।

महोदय, आपने असम और त्रिपुरा के प्रत्येक अखबार में यह पढ़ा होगा कि वहां एक पीढ़ी का अन्तर है। पुराने लोग आदिवासी और गैर-आदिवासी इकट्ठे रहते थे परन्तु नई पीढ़ी इकट्ठा रहने से इन्कार कर रही है। नई पीढ़ी को क्या हुआ है ? नई पीढ़ी को अधिक प्रगतिशील होना चाहिए था और भारतीय संस्कृति से अधिक परिचित होना चाहिए था। परन्तु हुआ क्या है ? आज हम एक दूसरे को विदेशी नागरिक समझ रहे हैं और परायापन आ गया है। यह अब केवल असम तक सीमित नहीं है। बिहार में कुछ इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी गैर-बिहारी विदेशी नागरिक हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीस कल शिव सेना का उल्लेख कर रहे थे । वे चाहते थे कि वे दक्षिण भारतीय महाराष्ट्र से बाहर जाएं। रामचन्द्रन को हतोत्साहित करने के लिए मद्रास में मलयालम भाषियों के विरूद्ध दंगे किए गए । मेरा मुद्दा यह है कि हर जगह इस प्रकार की दरार आई हुई है। एक रूप राष्ट्र विकसित करने की बजाए हम अधिक शत्रु बनते जा

रहे हैं और पृथक होते जा रहे हैं। यह विकास की सामान्य प्रक्रिया है परन्तु इन लोगों के पास इस गलत प्रकार के विकास को रोकने के लिए कोई इलाज या औषधि नहीं है। अतः इन्होंने इस विधेयक को रखा है, यह विधेयक जनता, विधान सभा और संसद की उपेक्षा करने वाला है। (व्यवधान)

मैं कहता हूं कि यह विधेयक अनावश्यक है। यह विधेयक शक्ति का दुरुपयोग है। जब मैंने विधेयक को परिचालित करने की सूचना दी थी तब इसके पीछे अवरोध डालने या रोकने का इरादा नहीं था। अपितु सरकार को यह अवसर प्रदान करना था कि वह लोगों को विश्वास में ले और देश में इस बात पर व्यापक चर्चा हो कि यह गलत प्रवृत्ति क्यों पड़ रही है। यह गलत बात क्यों हो रही है? कुछ दिन पहले मैंने देखा कि अकाली सिखों ने खालिस्तान आदि की मांग की थी। ये सारी मांगें राष्ट्र की एकता के मूल्य पर की जाती हैं। अतः इसमें गलत क्या हुआ है? इस प्रकार के विधेयक को लाने की बजाए हम सबको स्थिति पर विचार करना चाहिए। आदिवासी लोग कभी भी साम्प्रदायिक नहीं थे। यह सब उनमें उपराष्ट्रिकता डालने वाली बातें हैं। यदि आप भारत के चित्र को ध्यान से देखें तो आप पायेंगे कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच अन्तर बढ़ गया है। योजना आयोग के सदस्यों ने स्वयं कहा है कि आर्थिक विषमतायें बढ़ी हैं। (व्यवधान)। आपने घंटी तो बजा दी है परन्तु यह नाद किस के लिए है? यह राष्ट्र के लिए खतरे की घंटी है। आप यदि आज भारत की आन्तरिक दशा की ओर देखें तो आपको क्या दिखाई देता है? आप व्यक्तियों में परस्पर बढ़ती विषमता, विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती विषमता देखेंगे। विभिन्न वर्गों के लोगों में भी विषमता बढ़ गई है। हम देख रहे हैं कि विघटनकारी शक्तियां बड़े निष्ठुर ढंग से सामने आ रही हैं। इन सभी विघटनकारी शक्तियों को इस वर्तमान शक्ल में छोड़ दिया गया है। यह आज का कटु सत्य है। इस सबका कारण यह है कि आप सामन्तशाही-पूर्व और उपनिवेशवाद के बाद के खण्डरों पर इस अर्थ-व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। लोग, केन्सर से पीड़ित हैं और आप उनका इलाज 'सीबाजोल' से कर रहे हैं। इस प्रकार के कानून को संसद द्वारा पूर्णरूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

पृथकता की प्रक्रिया, देश के अपने ही लोगों के बीच पराएपन, लोगों द्वारा एक दूसरे पर सन्देह और विदेशी नागरिक घोषित करने की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय वाद-विवाद होना चाहिए। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। और प्रस्ताव करता हूं कि इन सभी चीजों को लोगों में परिचालित किया जाना चाहिए। इस पृथकता-वादी और अलगाव-वादी पर प्रक्रिया एक देश व्यापी चर्चा होनी चाहिए जिसमें सभी वर्ग के लोग भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : प्रशासकीय सुविधा हेतु यह एक छोटा सा विधेयक सभा में पेश किय गया है। अनुच्छेद 357 पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। एक बार अनुच्छेद 365 स्वीकार करने के बाद 357 पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें इसे समझना आवश्यक है। आपने अनुच्छेद 356 को स्वीकार किया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी राज्य विशेष का प्रशासन अपने हाथ में लेने का अधिकार प्रदान करता है। यह उसका विस्तार मात्र है। दिसम्बर, 1979 में लोकदल सरकार द्वारा एक

घोषणा लागू की गई थी। लोगों ने जनता और अन्य राजनीतिक दलों को शासन का अधिकार दिया था। परन्तु आन्तरिक लड़ाइयों की वजह से राज्य का शासन बुरी हालत में था। कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने में समर्थ नहीं था। जनता सीपीएम का समर्थन चाहती थी। सीपीएम ने जनता और अन्य राजनीतिक पार्टियों को समर्थन दिया परन्तु, अन्त में जैसा कि सीपीएम करता है, अपना समर्थन वापस ले लिया।

अतः महोदय अवधि बढ़ाने का यह विधेयक लाकर सरकार ने कोई गलती नहीं की। जनता सरकार ने कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया। अतः सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि इसे सभा में क्यों रखा गया है। वहां कोई सरकार नहीं है। स्थिति इतनी विस्फोटक है कि फिलहाल वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। मेरे विचार में कोई भी सदस्य अब असम जाने का साहस नहीं करेगा और इस ज्वलंत समस्या का समाधान किए बिना उस राज्य में चुनाव कराने का सुझाव नहीं देगा। इन हालातों के मध्य हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रपति को इसीलिए अधिकार दिए गए हैं। किसी ने यह कहा था कि राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दी गई हैं। निस्सन्देह ये संविधान के अन्तर्गत दी गई हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अनुच्छेद 356 को एक बार स्वीकार करने के पश्चात आप को राष्ट्रपति को प्रदत्त अधिकारों को भी स्वीकार करना होगा। वह चाहे कोई आदेश पारित करें, चाहे सत्र के दौरान या सत्र न होने पर कोई कानून बनायें उसे स्वीकार करना होगा।

महोदय, इस प्रकार के विधेयक पर कांग्रेस शासन के दौरान और पूर्व तथा जनता शासन के समय कई बार विचार किया गया है। जनता सरकार द्वारा 9 राज्यों की सरकारों को भंग किया गया था। यह सभा के लिए कोई नयी बात नहीं है। इस प्रकार के विधेयकों पर सभा में पहले ही विचार किया जाता रहा है। अतः सरकार द्वारा यह विधेयक रखा जाना उचित ही है।

एक और बात जो कुछ माननीय सदस्यों ने कही है वह यह है कि संसद को विश्वास में नहीं लिया जाता है। यह कहना भी गलत है। सरकार ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को लेकर परामर्शदात्री समिति गठित की है। यदि राष्ट्रपति द्वारा कोई कानून बनाया जाना होता है तो उस अधिनियम को सभा के समक्ष रखा जाना होता है।

खण्ड 3 में कहा गया है:

"राष्ट्रपति द्वारा उप-धारा (2) के अधीन अधिनियमित प्रत्येक अधिनियम को अधिनियमित होने के बाद यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।"

अतः सभा को विधेयक पर चर्चा करने का अधिकार है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि संसद को विश्वास में नहीं लिया जाता है।

श्री ए० के० राय ने कनाडा, इंगलैण्ड और अन्य कई देशों की बहुत सी कहानियां सुनाई हैं। महोदय, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राष्ट्रपति शासन को कनाडा, इंगलैण्ड तक लागू नहीं किया जा सकता। आर्थिक क्षेत्र में मैं इस दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं परन्तु वह तो जाति, धर्म, भाषा और अन्य बातों के विषय में बता रहे थे। इन मामलों में मेरा उनसे मतभेद है। वह कह रहे थे कि केवल पूंजीवादी देशों में इस प्रकार की

विषमतायें आती हैं। श्री राय बहुत सी बातों के विषय में जानते हैं, वे अर्थशास्त्र के विषय में जानते हैं; वे विभिन्न देशों की स्थिति के विषय में जानते हैं। मैं उनसे एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं। अमरीका और वियतनाम में युद्ध हुआ था। वियतनाम में लोगों को निर्दयतापूर्वक मारा गया। चीन ने वियतनाम की सहायता की, चीन ने इन्हें हथियार सप्लाई किए। चीन सरकार ने उन्हें अनाज दिया, चीन सरकार ने उन्हें व्यक्ति भेजे। प्रत्येक चीज चीन द्वारा दी गई। परन्तु वियतनाम के स्वतन्त्र होने पर क्या हुआ? उन्हीं वियतनामियों ने, जिन्होंने चीन से सहायता प्राप्त की थी और अमरीकियों को खदेड़ने के लिए सहायता प्राप्त की थी चीनियों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ने का प्रयास किया। चीनियों को वियतनाम से क्यों भगाया गया। यह एक साम्यवादी देश है: पूंजीवादी नहीं। मैं राय साहब से इसका कारण पूछता हूं।

एक अन्य बात कही गई है। यूगोस्लाविया तक में एक पृथक राज्य की मांग को लेकर कठिनाई पैदा हो गई थी। उसके पश्चात् मार्शल टीटो ने बड़ी चतुराई से सब बातें ठीक कर ली। यूगोस्लाविया में सभी भाषाओं को मान्यता दी गई। इसी प्रकार रूस में भी कई गणराज्य हैं, आपको रूस के संविधान में भी ऐसी कई बातें मिलेंगी । सभी लोगों की भाषाओं और संस्कृतियों को मान्यता दी गई है। वहां कोई एक भाषा नहीं है कोई एक संस्कृति नहीं है। अतः यह कहना बिल्कुल गलत है कि इस प्रकार का अन्तर केवल पूंजीवादी देशों में हो रहा है।

श्री राय ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम का भी उल्लेख किया है और कहा है कि चूंकि श्री एम० जी० रामचन्द्रन् मलयालम भाषी हैं, अतः हम उनका विरोध कर रहे हैं । यह ठीक है कि श्री एम० जी० रामचन्द्रन् मलयालम भाषी हैं परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि हम उनका इसीलिए विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार के वक्तव्य तथाकथित साम्यवादियों को नहीं देने चाहिए।

यद्यपि श्री एम० जी० रामचन्द्रन् मलयालम भाषी थे, वह हमारे कोषाध्यक्ष थे। मलयालम, तेलुगु या तमिल के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपका सम्बन्ध तो हमारे ही दल से है, और आप तो यह जानते ही हैं। इस प्रकार की बात कहना बहुत गलत है। अतः हमारे दल के बारे में श्री राय द्वारा जो भाषण दिया गया है, मैं उसका बहुत विरोध करता हूं।

श्रीमानजी, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इससे प्रशासनिक सुविधायें भी होंगी। मैं इसके लिए संसदीय समिति का गठन करने का स्वागत करता हूं ताकि लोगों के कल्याण हेतु कुछ किया जा सके और इस समस्या का कोई हल भी निकाला जा सके।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य, देश के राष्ट्रपति को आसाम के लिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन करना है। संविधान के अन्तर्गत, आसाम विधान सभा का दायित्व, अर्थात् आसाम के लिए विधान बनाने का दायित्व संसद को प्रदान किया गया है। प्रश्न यह है कि क्या संसद द्वारा इन शक्तियों का प्रत्यायोजन राष्ट्रपति को कर दिया जायेगा। इसी प्रश्न का निर्णय किया जाना है।

मेरा विचार यह है कि संसद द्वारा केवल राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रत्यायोजन करना न तो आवश्यक है, न प्रजातांत्रिक और न ही बुद्धिमतापूर्ण । यह तो संसद के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रश्न है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जब कि आसाम विधान सभा निलम्बित पड़ी है, संसद को अपना यह अधिकार भला क्यों छोड़ देना चाहिए? राष्ट्रपति को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का सिद्धान्त ही प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है। आसाम की विधान सभा को ही आसाम के लिए विधान बनाने का अधिकार देना ही वास्तव में अधिक प्रजातांत्रिक है। परन्तु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों म, आसाम विधान मंडल के लिए ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है । अतः इन परिस्थितियों में यही विकल्प रह जाता है कि राष्ट्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय अर्थात् संसद को आसाम के लिए विधान बनाने दिया जाए। परन्तु अब सरकार द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है इस शक्ति का प्रत्यायोजन केवल राष्ट्रपति को कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा स्वयं कृत्य नहीं किया जाता। राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल तथा मंत्री परिषद के परामर्श तथा सहायता के अनुसार ही कृत्य करता है। मन्त्रि परिषद या सरकार तो कांग्रेस (आई) की है।

आसाम में कांग्रेस (आई) की सरकार नहीं है। आसाम के लोगों ने गैर-कांग्रेस (आई) की सरकार को वोट दिया था। इस उपाय के माध्यम से आसाम पर कांग्रेस (आई) का शासन थोंपा जा रहा है जबकि लोगों ने कांग्रेस (आई) के विरुद्ध मतदान किया था। इसलिए मैं राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के विचारमात्र का तथा संसद की शक्तियों को कम करने का विरोध करता हूं। जब संसद आसाम के लिए विधान बनाने के सक्षम है, तो फिर भारत के राष्ट्रपति को—जिससे आशा की जाती है कि वह मंत्रि-परिषद की मंत्रणा के अनुरूप कार्य करें—इन शक्तियों का प्रत्यायोजन क्यों किया जाये?

दूसरे, विधेयक में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा उस समय भी विधान बनाया जा सकता है जबकि संसद का सत्र चल रहा हो। हमारा यहां आने का उद्देश्य विधान बनाने तथा नीति-निर्धारण में सहायता करना है। संसद का सत्र चल रहा है। यहां संसद में हम सब हैं जबकि राष्ट्रपति द्वारा एक छोटी सी समिति की सहायता से विधान बनाना जाता है। वह आसाम सरकार के नौकरशाहों की सहायता से विधान बनाते हैं। वह केन्द्रीय सरकार के नौकरशाहों की सहायता से विधान तैयार करते हैं। परन्तु संसद का सत्र चल रहा है। यहां दो संसदें हैं; एक संसद यहां कार्यरत है तो दूसरी संसद स्वयं राष्ट्रपति हैं जो आसाम के लिए विधान तैयार कर रहा है। इस प्रकार का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और संसद के लिए कानून बना पाना सम्भव न हो या आसाम से सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर प्राप्त न हो, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा विधान बनाने की बात समझी जा सकती है। यह एक अलग स्थिति है। परन्तु विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि संसद का सत्र चाहे चल रहा हो या नहीं, राष्ट्रपति द्वारा विधान बनाया जा सकता है। अतः संसद के अधिकारों को कम किया जा रहा है और उन्हें छीना जा रहा है। अतः सरकार का यह रवैया घृणित तथा निन्दनीय है।

तीसरी बात यह है कि संसद सर्वोच्च है। हम कानून बना सकते हैं, हम सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। संसद सर्वोच्च है। संसद में हम राष्ट्रपति

के विधान को भी अस्वीकार कर सकते हैं और हम राष्ट्रपति की उद्घोषणा को भी अस्वीकार कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा नोट कीजिए कि संसद सर्वोच्च है और संसद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा को अस्वीकार किया जा सकता है। परन्तु संसद् को विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति के विधान को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। यह केवल इसमें संशोधन कर सकता है। संसद ऐसी समिति से जिसका मार्गदर्शन राष्ट्रपति करता हो, कैसे सर्वोच्च है ? अब यह विधान द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि किसी संशोधन की अनुमति दी गई है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। संसद् के कार्यों, विशेषाधिकारों तथा अधिकारों को छीन लेने का यह पुनः प्रयास है। इसलिए इन तीन बातों पर मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं और यह आवश्यक नहीं है। कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि शक्ति राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित की जाए। संसद् असम विधान मंडल की ओर से बहुत अच्छी तरह से विधि बना सकती है। मैं समझता हूं कि स्थिति वैसी ही होनी चाहिए और उसी स्थिति को बनाए रखना चाहिए तथा राष्ट्रपति को शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए।

असम की समस्या बड़ी जटिल है। यह केवल विधान का प्रश्न नहीं है। बहुत अवसरों पर असम की समस्या पर चर्चा की जा चुकी थी और विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान उस गम्भीर गलतफहमी की ओर आकर्षित करता हूं जो असम के आन्दोलन के मूलभूत स्वरूप तथा मूलभूत नीति के बारे में उत्पन्न हुई है। कुछ लोग कहते हैं—सामान्य तौर पर यह समझा जाता है—कि असम समस्या बंगालियों तथा असमियों के बीच समस्या है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मुसलमानों तथा असमियों के बीच समस्या है; कुछ लोग कहते हैं कि असम आन्दोलन के मुख्य मसले को बिगाड़ा जा रहा है, इसे सही परिप्रेक्ष्य में उचित रूप से नहीं देखा जा रहा है; असम आन्दोलन के मुख्य मसले से देश की एकता, अखंडता तथा प्रभुसत्ता को खतरा है। ऐसे राज्य में जहां इन्हीं बुनियादी मूल्यों को समस्या के बुनियादी पहलुओं को महत्त्व दिया जा रहा हो वहां यह गलत धारणा पैदा करने दी जा रही है कि यह बंगालियों और असमियों के बीच, हिन्दुओं और मुस्लिमों आदि आदि के बीच क्षेत्रीय संघर्ष है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि समस्या का समाधान न केवल प्रशासनिक उपायों के माध्यम से किया जा सकता है बल्कि समस्या का समाधान राजनैतिक उपायों से किया जाना चाहिए तथा समस्या के राजनैतिक समाधान करने के लिए सतत प्रयास किया जाना चाहिए। अब मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे देश के लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए—देश की अखंडता, एकता तथा प्रभुसत्ता को असम आन्दोलन से उत्पन्न होने वाले बड़े खतरे के बारे में उन्हें बताने के लिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार को असम स्थिति के बारे में एक श्वेतपत्र तैयार करना चाहिए जिसमें विस्तार से यह बताया गया हो कि विदेशी राष्ट्रिकों का क्या अर्थ है, समस्या कितनी जटिल है, वास्तविक स्थिति क्या है ? किसी को भी मालूम नहीं है कि वहां वास्तविक स्थिति क्या है ? विदेशी राष्ट्रिकों के लिए क्षोभ पैदा किया जा रहा है। श्वेत-पत्र में यह बताया जाना चाहिए कि 1951 के आधार की क्या उलझनें हैं, 1971 के आधार वर्ष की क्या-क्या उलझनें हैं ? इसलिए राजनैतिक समाधान तथा उस मामले के हित में जो संगीन और गम्भीर राष्ट्रीय है, सरकार को असम स्थिति संबंधी एक विस्तृत श्वेत-पत्र तैयार करना चाहिए ताकि भारतवासी यह समझ

सकें कि स्थिति क्या है। वास्तव में वे वास्तविक परिप्रेक्ष्य में समस्या को समझ सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया जा सकता है मैं इस पर जोर देता हूं। राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न की जा सकती है ताकि फूट डालने वाली ताकतों को रोका जा सके और विदेशी ताकतों को पराजित किया जा सके तथा हाथों को काटा जा सके। यदि भारत सरकार एक ऐसा विस्तृत श्वेत-पत्र तैयार करती है तो राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया जा सकता है, राष्ट्रीय जागृति पैदा की जा सकती है। केवल उसके बाद ही लोग असम की वास्तविक समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जी० एम० बनात वाला। आप केवल पांच मिनट लेंगें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नाली) : तब तो प्रत्येक संशोधन के लिए उठना पड़ेगा तथा बोलना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हां, तो, आप प्रत्येक संशोधन पर बोल सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं इस असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक का विरोध करता हूं तथा इस विशेष विधेयक पर जोर न देने के लिए सरकार को बताना चाहता हूं।

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 12 दिसम्बर 1979 को असम के बारे में उद्घोषणा जारी की थी। असम राज्य के विधान मंडल की शक्ति की घोषणा उद्घोषणा में की गई है जिसका प्रयोग संसद् द्वारा या संसद के अधिकार के अन्तर्गत किया जा सकता है। अब यह विधेयक अनुच्छेद 357 के अनुसार राष्ट्रपति को विधियां बनाने की इस शक्ति को देना चाहता है। हालांकि यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इस विशेष विधेयक को लाना आवश्यक समझा। दुर्भाग्य की बात है कि जहां तक असम के बारे में विधेयक या विधियों बनाने का संबंध है सरकार इस सारी सभा को बन्द करना उचित समझती है। असम में व्याप्त स्थिति को देखते हुए, यह आवश्यक है कि असम से संबन्धित प्रत्येक कार्य इस सभा के खुले मंच के समक्ष आना चाहिए ताकि सम्पूर्ण राष्ट्र साथ दे सके। आज, असम समस्या की यही विशेष आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि यदि इस खुले मंच को समाप्त कर दिया जाता है तो यह असम स्थिति के समाधान के प्रति सहायक सिद्ध नहीं होगा। हर विधेयक को इस खुले मंच पर आने दो, इस सभा के खुले मंच पर यहां वाद-विवाद हो। जिस से सम्पूर्ण राष्ट्र सम्बद्ध है, सम्पूर्ण राष्ट्र को मालूम हो कि असम के बारे में क्या हो रहा है। मैं कहता हूं कि यह समय की मांग है। इसलिए, मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह इस सभा के खुले मंच को बन्द करने की कोशिश न करें, क्योंकि वह असम में स्थिति सामान्य बनाने के प्रयासों में सहायक नहीं होगा।

हमें सलाहकार समिति के बारे में बताया गया है। इस विधेयक के खण्ड 3 में सलाहकार समिति के गठन की मांग की गई है जिसके बारे में मैं संशोधन दे चुका हूं। खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) में कहा गया है:

"उक्त शक्ति के प्रयोग में राष्ट्रपति, समय-समय पर चाहे संसद सत्र में हो या न हो, एक विधेयक जिसमें ऐसे उपबन्ध हो, जो वे आवश्यक समझें, राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में अधिनियमित कर सकते हैं :

परन्तु ऐसे किसी अधिनियम के अधिनियमित करने से पूर्व जब कभी ऐसा करना वे साध्य समझें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए गठित एक समिति की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे..........."

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस खण्ड के अन्तर्गत परिकल्पित सलाहकार समिति केवल दिखावा है; यह केवल संवैधानिक कला-प्रदर्शन है। प्रथम तो राष्ट्रपति इस विशेष समिति से परामर्श करे या न करे। इस की विशिष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति परामर्श करें जब कभी वे ऐसा करना व्यवहार्य समझें; अन्यथा नहीं। यह एक विशेष स्थिति है जिस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके विचार आपकी आवाज में झलकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला: यह सलाहकार समिति बिना शक्ति के हैं, क्योंकि इसका स्वरूप ही परामर्श का है। राष्ट्रपति इससे परामर्श करे या न करे। जब राष्ट्रपति इससे परामर्श करता भी है तो सलाहकार समिति की राय राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य नहीं है। इसलिए यह प्रभावी समिति नहीं है, बिना शक्ति के है, एक ऐसी समिति है जो केवल संवैधानिक दिखावा है। इसलिए, हम इस सलाहकार समिति के बारे में अधिक न कहें।

मैंने कुछ संशोधन दिए हैं और मैं फिर उस समय बोलने के लिए खड़ा नहीं होऊंगा। पहले तो मैं कहता हूं कि शक्तियों का कोई प्रत्यायोजन नहीं होना चाहिए। यह पूर्णरूप से आवश्यक है कि सारे विधेयक यहां आने चाहिएं। सम्पूर्ण राष्ट्र को इस सभा के खुले मंच से सम्बद्ध होना चाहिए। परन्तु यदि वह स्थिति स्वीकार्य नहीं है तो वैकल्पिक रूप से मैं सरकार से अपने संशोधन के जरिये निवेदन करता हूं कि सलाहकार समिति से सदैव परामर्श किया जाना चाहिए तथा दूसरे, सलाहकार समिति द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य होना चाहिए। आखिरकार, राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार भी कार्य करता है। वे यह नहीं कहते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से परामर्श करे और उनकी सलाह माने या न माने। उसी प्रकार, सलाहकार समिति के मामले में राष्ट्रपति को सलाहकार समिति से अवश्य परामर्श करना होगा और सलाहकार समिति की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। हमें यह बताया जाए कि वे विधियां सभापटल पर रखी जायेंगी जो राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाएंगी और यदि हम चाहें तो उनमें संशोधन कर सकें परन्तु श्रीमान् आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन बहुत सी अधिसूचनाओं तथा बहुत सी वस्तुओं का क्या होता है जो सभापटल पर रखी जाती हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सभा संशोधन करने की हकदार है परन्तु उनको रद्द करने की हकदार नहीं है।

मेरा अन्तिम प्रश्न सत्र विधेयकों के बारे में है। जिसके बारे में भी मैं संशोधन दे चुका हूं। धन विधेयकों के सम्बन्ध में भी, सभी शक्तियां राष्ट्रपति को दिए जाने के लिए कहा गया है। धन विधेयक भी राष्ट्रपति द्वारा बनाये जायें जिसका सम्बन्ध वित्तीय शक्तियों से है। मेरे संशोधन में कहा गया है:

> "(5) इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 199 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (च) तक में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के लिए उपबन्ध करने वाले किसी धन विधेयक को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है।"

हमारे देश के प्रभुसत्तापूर्ण लोकतांत्रिक स्वरूप के लिए एक अपमानजनक बात होगी कि धन विधेयक, कराधान सम्बन्धी विधियां, आदि इस सभा के खुले मंच पर नहीं आनी चाहिए और इस बारे में सभा से प्रभावी ढंग से परामर्श किए बिना राष्ट्रपति द्वारा विधेयक बनाए जाने चाहिएं। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। प्रथम तो मैं सरकार से इस मामले पर जोर न देने का निवेदन करता हूं। सरकार असम की समस्याओं के समाधान में इस सभा के सभी वर्गों का सहयोग चाहती है। इसलिए प्रत्येक विधान इस सभा के खुले मंच पर आये और इस सभा के माध्यम से उन विधेयकों को मुरकामित करने में संपूर्ण राष्ट्र को। संबद्ध किया जाना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे समक्ष विचार के लिये है उसे अगर स्वीकार कर लिया जायेगा तो वह बड़ा खतरनाक कानून सिद्ध होगा। यहां पर मैं दो दृष्टिकोण रखूंगा जिन पर विचार व निर्णय किया जाये।

एक दृष्टिकोण यह है कि क्या संसद को अपनी शक्ति मंत्री परिषद को प्रत्यायोजित करनी चाहिये क्योंकि यह शक्ति राष्ट्रपति को देने का अर्थ कार्यपालिका, मंत्रीपरिषद को शक्ति प्रदान करना होगा। आज हम जिस स्थिति में हैं, खास कर आसाम की समस्या के संदर्भ में —मैं यहां किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं—उसे भारत सरकार हल करने में सफल नहीं हो पा रही है। वह अपने अधिकार को लागू भी नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में यदि संसद अपनी शक्ति प्रत्यायोजित करती है तो मैं नहीं समझता कि सरकार उसे निपटने में सक्षम होगी। यह बात नहीं है कि शक्ति के अभाव में सरकार आसाम की समस्या को सुलझाने में असफल हो रही है। इस दृष्टिकोण से तथा इस विचार से कि यह भविष्य के लिए एक दृष्टांत बन जाएगा। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक का] विरोध हमारे संसदीय प्रजातंत्र और संसद की सर्वोच्चता को कायम रखने के लिये भी आवश्यक है।

दृष्टिकोण का दूसरा पहलू राजनीतिक है। हम देखते हैं कि एक बार जब कर्फ्यु लगाया जाता है तो कुछ घंटों में ही उसे उठा लिया जाता था। अतः यह समस्या मुख्यतः राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सभी समस्याओं का मिश्रण है। हमारी वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि इत्यादि समस्याओं से निपटने में सफल नहीं हो रही है। ये समस्याएं हमारे देश के युवकों की दबी हुई भावनाओं को उभारती हैं। आसाम में क्योंकि असमी युवक बेरोजगार हैं इसलिये गैर-असमी लोगों को वहां से बाहर निकाल कर इस समस्या का निदान ढूंढते हैं। वे समझते हैं कि इससे उनकी समस्या का हल हो सकता है। समस्या सही है। परन्तु यह व्यवस्था इसे हल करने में असफल हो रही है। न केवल इन युवकों और उनके परिवारों के लिए बल्कि देश के लिये हमारे युवा पीढ़ी की योग्यताएं, क्षमता व शक्ति का उपयोग आवश्यक है। परन्तु यह व्यवस्था जो बड़े पैमाने पर पैदा कर रही है इसका हल करने में अक्षम है। इसलिए कभी भाषा के मसले को लेकर, कभी नौकरियों में आरक्षण को लेकर, तो कभी जाति या विदेशियों के मामले को लेकर, देश के एक भाग या दूसरे भाग में उनके मनोवेगों का विस्फोट होता है। परन्तु ये समस्याएं अनसुलझी रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में प्राधानमंत्री महोदया विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोगों और स्वयं आसाम के लोगों से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। मेरे विचार से, अब तक इस समस्या को हल करने में यह सरकार असफल रही है।

परन्तु ऐसी परिस्थिति में क्या केवल शक्ति प्रत्यायोजित करने से समस्या सुलझ सकती है? क्योंकि आसाम जिस समस्या का मुकाबला कर रहा है वह बेरोजगारी की समस्या है जिसका मुकाबला सारा राष्ट्र कर रहा है। और आसाम के युवक अपनी बेरोजगारी की समस्या का निदान आसान तरीके से गैर-आसामी लोगों की कीमत पर करना चाहते हैं। उसमें दिक्कतें हो सकती हैं उसमें अभी भी दिक्कतें हैं। भविष्य में भी कठिनाइयां हो सकती हैं। परन्तु हमें इन कठिनाइयों का सामना प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक साधनों के द्वारा करना होगा। हमें समस्या का हल, मसले को नजरअंदाज कर किसी आसान तरीके से नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से, ऐसी परिस्थिति में संसद के द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करने का आसान तरीका एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और वह किसी भी ढंग से आसाम की समस्या को सुलझाने में सहायक नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि भारतीय संघ के राज्य बहु-संस्कृति और बहु-भाषाभाषी हैं, और आसाम राज्य भी बहुभाषाभाषी एवं बहु-सांस्कृतिक राज्य है। भारतीय संघ के राज्यों में विभाजन के बाद भी यह समस्या आंशिक रूप से विद्यमान रही है। ऐसी परिस्थिति में प्रजातंत्र और अधिक प्रजातांत्रिक अधिकारों की आवश्यकता है, प्रजातंत्र को कम करने की नहीं, कार्यपालिका को शक्ति प्रदान करने की नहीं बल्कि लोगों को और अधिक शक्ति प्रदान करने की एवं आसाम की युवा पीढ़ी को और अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूं कि जहां तक उनकी समस्याओं का सम्बन्ध है संसद को यह जाहिर करना चाहिए कि हम आसाम के लोगों व आसाम के युवकों के साथ हैं, हम उनका साथ देंगे और उनका समर्थन करेंगे।

जहां तक समस्या के समाधान सम्बन्धी साधन व तरीके का सम्बन्ध है, मेरे विचार मे वे कई प्रकार से गलत हैं। परन्तु इनका सुधार भी प्रजातांत्रिक तरीके से आपसी विचार-विमर्श से किया जाना चाहिए न कि कार्यपालिका को लोकतांत्रिक शक्ति प्रत्यायोजित करके। अतः मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूं। धन्यवाद।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल मैंने हाउस के सामने रखा है वह कांस्टीट्यूशन की धारा 356 और 357 के अनुसार किसी जगह पर भी कंट्रेडिक्शन नहीं है। जो आनरेबल मेम्बर साहेबान ने यह एतराज उठाया है कि जब कि वहां की विधान-सभा अंडर सस्पेंडेड एनीमेशन है तो ऐसी सूरत में प्रधान राज्य के होते हुए प्रेजीडेंट को यह अधिकार नहीं देना चाहिये और इससे डैमोक्रेटिक प्रिंसिपल खत्म होते हैं और हमारी संसद् के अधिकार चले जाते हैं, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि डैमोक्रेसी का बैरोमीटर क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। दुनिया भर में डैमोक्रेसी का मतलब यह नहीं होता कि तमाम फैसले लोग बैठकर करते हैं।

एक माननीय सदस्य: खड़े-खड़े कर लेते हैं।

श्री जैल सिंह: खड़े-खड़े भी कर लेते हैं। वह अपने नुमाइन्दे चुनते हैं। नुमाइन्दे अपने में से अपना नेता चुनते हैं, वह नेता एक कैबिनेट बनाता है, बड़ी बनाये या छोटी, फिर वह फैसले करते हैं। यह जनता के फैसले होते हैं। जनता कुछ समय के लिये जब अपने प्रतिनिधि भेजती है तो वह प्रतिनिधि जब अपनी तरफ से बोलता है तो वह जनता ही बोलती है, वह जनता की तरफ से आवाज उठाता है। यह कोई एग्जीक्यूटिव आर्डर नहीं है। म हाउस के सामने बिल लाया कि अपने अधिकार को प्रेजीडेंट को क्यों सौंपा जाये, इसलिये कि वक्त पड़ने पर उन अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सके।

कौम जानती है कि असम के हालात बहुत गंभीर हैं और वहां पर रोजाना 3 करोड़ रुपये की नेशन की आमदनी में कमी हो रही है। स्कूल और कालेज बन्द पड़े हैं। बिल्डिंग, रोड्स, खेती-बाड़ी, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें वहां बन्द पड़ी हैं। वहां की समस्या केवल विदेशियों की ही नहीं रही, बल्कि वहां पर माइनारिटीज़ खतरे में हैं। मानारिटी स्टुडेंट्स ने एक जुलूस निकालना चाहा, एक मेमोरेंडम देना चाहा। उनको ये भी अख्तियार नहीं दिये गये। वहां वायलेंस फैल रही है।

आसाम की एजीटेशन का त्रिपुरा में असर पड़ा, और त्रिपुरा में जो हालात हुए हैं, ऐसे हालात अगर कहीं और हो जायें, तो अगर पालियामेंट **इन सेशन** भी हो, और साटरडे हो, संडे को पालियामेंट की छुट्टी होती है, कोई कानून बनाने की जरूरत है, अगर प्रैजिडेंट के पास अख्तियार होंगे, तो वह उस खतरे को रोक सकेगा। ऐसी हालत में एक मिनट भी इन्तजार नहीं किया जा सकता है।

मैं आनरेबल मेम्बर साहबान को एक बात कहना चाहता हूं। डेमोक्रेसी हो, आटोक्रेसी हो, या कोई क्रेसी हो, हुकूमत तो चलती है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : तो फिर हम हर मामले के लिए शनिश्चर को पावर डेलीगेट कर दें इतवार के लिए।

श्री जैल सिंह : खुदा न करे। ऐसा वक्त न आये। अगर आ जाये, तो यह भी किया जा सकता है, और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हम तो आप का अदब और सत्कार करते हैं। मैंने बड़े गौर से तकरीरें सुनीं। मेरे एक दोस्त ने तकरीर करते हुए कहा कि यह बिल बहुत निकम्मा है, बहुत गन्दा है, डेमोक्रेसी का घात करता है। साथ ही दूसरे सांस में उन्होंने कहा की आसाम की एजीटेशन देश की अखंडता के लिए नुक्सानदेह है, देश की यूनिटी के लिए खतरा पैदा करती है। मैं अपने दोस्त को कहूंगा कि जब देश की यूनिटी खतरे में है और सारी नेशन इस बात के लिए चिन्तित है, तो उसका उपाय सोचा जायेगा।

भारत के इतिहास में दुर्योधन एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ समझा जाता है। जब उसके प्राण निकलने लगे, तो उसके विरोधियों और दोस्तों ने उससे पूछा कि आप बड़े राजनीतिज्ञ हैं, आप हमें कुछ राजनीति बता जायें। उन्होंने कहा था :—

आज का काम न कल पर धरिये,
वैरी ऊपर दया न करिये।

जब आप यह जानते हैं कि आज का काम कल पर रखने से बहुत नुकसान हो सकता है, तो इसके अलावा और कौन सा रास्ता है कि यह डेमोक्रेटिक हाउस, तमाम नेशन का रिप्रेजेन्टेटिव हाउस इसके लिए एक बिल बनाये, जिससे प्रेजिडेंट को अधिकार मिल जायेगा? इससे ज्यादा डेमोक्रेसी की शक्लो-सूरत और क्या हो सकती है?

हमारे एक दोस्त ने बड़ी शानदार तकरीर की। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है, यह कभी नहीं हुआ, इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारत में 21 बार प्रैजिडेंट को इस तरह के अधिकार दिये गये 1955 से लेकर 1976 तक। ट्रावन्कोर-कोचीन, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा—बहुत से प्रान्त हैं। मैं इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : अब तक 21 बार हो चुका है। 22वीं बार आप कर रहे हैं। तो आप तैमूर-लंग बन गये।

श्री जैल सिंह : मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं क्या बन गया हूं। हम तो कोशिश करते हैं कि आपकी निगाह में अच्छे रहें। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि :—

नज़रे मेहत न सही, नजरे-गजब ही सही,
मैं खुश हूं कि हूं तो किसी की निगाह में।

आप बेशक मुझे तैमूर कहिये, कुछ कह लीजिए। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं, वह ईमानदारी से, आनेस्टी से, नेशन के भले के लिए कह रहा हूं। नेशन की इज्जत, सम्मान, यूनिटी और स्वतंतता को कायम रखने के लिए जो सरकार अपनी हिम्मत से काम नहीं करती वह सरकार लोगों के अधिकारों का ठीक इस्तेमाल नहीं करती। हम को जनता ने अधिकार दिया है और हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आज का जो बिल है आप सब को इसे वेलकम करना चाहिए और इस की सराहना करनी चाहिए।

एक हमारे दोस्त, आनरेबल मेम्बर ने बड़े जोर से कई मुल्कों के नाम ले दिए। उन की तकरीर से मुझे ऐसा लगता है कि वह प्रोग्रेसिव हैं और ऐसा लगता था कि उन्होंने कम्यूनिज्म को भी पढ़ा होगा। बहुत से मुल्कों के नाम लिए। मगर उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। चाइना की सरकार भी यह कहती है कि यह पीपल्स गवर्नमेंट है और दुनिया की बहुत बड़ी ताकत जो आजकल चाइना के साथ दोस्ती रखती है वह भी उस को अनडेमोक्रेटिक नहीं कहती, वह भी उस को डिक्टेटरशिप नहीं कहती है। मैं आप को बता सकता हूं कि चाइना में चार चार साल उन की पार्लियामेंट कभी मीटिंग में नहीं बैठी। वह जैसा चाहते थे करते रहे हैं, इस तरह से उन्होंने नेशन को बनाया है।

श्री रतन सिंह राजदा : (बम्बई दक्षिण): क्या आप चीन के उदाहरण का अनुकरण करना चाहते हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा : उसी रास्ते पर चल कर आप भी बनाना चाहते हैं? चार साल के लिए संस्पेंशन में पार्लियामेंट को रखना चाह रहे हैं? चार साल के लिए हम लोग तैयार हो जायं?

श्री जैल सिंह : मेरे दोनों दोस्तों ने ज्यादती की। उन को कहना चाहिए था कि हम बात पूछना चाहते हैं, मैं बैठ जाता और मुझसे पूछ लेते। लेकिन वह बैठे बैठे ही पूछ रहे हैं। मुझे पूछते हैं कि क्या आप वह करना चाहते हैं? मैं करना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं इतनी बात तो आप को कह दूं कि मुल्क की यूनिटी कायम रखने के लिए, मुल्क के लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए, कोई दुनिया की ताकत किसी मुल्क को गुलाम करना चाहती हो, ऐसा समय आ जाय तो सरकार की क्या ड्यूटी है और क्या करना चाहिए उस को ? आप को यह भी सोचना है। मैं मान सकता हूं कि दो महीने, चार महीने जरूरत न पड़े या कोई कानून बनाने की जरूरत ही न पड़े लेकिन हथियार तो रखना चाहिए। फायर ब्रिगेड इसलिए नहीं होता कि आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड खरीद कर लाएंगे। फायर ब्रिगेड तो पहले ही रखा जाता है। कई कई बार दस दस साल तक अग्नि लगती ही नहीं, लेकिन फायर ब्रिगेड तो रखना ही पड़ता है। फायर ब्रिगेड होगा तो जहां आग लगेगी पानी फेंका जाएगा। इसलिए यह जरूरी है। ऐसे घर लागे आग, चाहे कुआं खोदे और चाहे कार्य न सिद्ध होवे रोए पछताई।

घर को आग लग जाए और फिर उठो, फिर कुआं खोदों और फिर पानी निकालो, तो आग बुझ सकती है? तो कुआं पहले ही खोदना चाहिए और मैं आनरेबल मेम्बर साहबान के सामने उसी को कोट करता है जिस ने यह कहा था कि देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। मैंने तो कभी ये शब्द कहे नहीं, लेकिन आप ने जो कह दिया, तो आप की जजमेंट के साथ इत्तफाक करता हूं और आप मेरी जजमेंट के साथ इत्तफाक करिए। जरा दिल बड़ा बनाइए और देखिए कैसे इस मसले को हल किया जा सकता है।

कुछ दोस्तों ने कहा कि पावर का मिसयूज़ करना चाहते हैं। मिसयूज़ तो बिलकुल नहीं करना चाहते पावर का, लेकिन पावर का डिस-यूज़ भी नहीं करना चाहते। जो पावर आप ने दे दी, जनता ने दी उस पावर के मुताबिक जनता का भला करना चाहिए और भला करने के लिए हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ तो भला नहीं होगा ··· (व्यवधान) ···

श्री बापू साहिब परुलेकर: (रत्न गिरी) : आप की अनुमति से, मैं एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने गृह मंत्री महोदय की बात को नहीं समझा है। गृह मंत्री महोदय के अनुसार "दुरुपयोग" और "अप्रयोग" में क्या अन्तर है? इसे में नहीं समझ पाया हूं।

श्री जैल सिंह: मिसयूज और डिसयूज जो है मैं समझता हूं आप ज्यादा इंग्लिश जानते हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर: नहीं, नहीं।

श्री जैल सिंह: जानते हैं आप।

श्री बापू साहिब परुलेकर: ज्यादा नहीं जानते, यह मैंने कहा।

श्री जैल सिंह: इसके मायने मैं आपको बता दूं लेकिन यह कोई ऐसी शाखा तो है नहीं जहां पर ट्यूशन दी जाती हो।

एक और मेम्बर ने कहा कि सरकार तानाशाही नीतियों की तरफ चलना चाहती है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): चल रही है।

श्री जैल सिंह चल रही है? आप तो बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंच गए। आपके ख्याल में चल रही है और हमारे ख्याल में नहीं चल रही है। लेकिन आपको जरा बचकर चलना चाहिए। फिर कहा गया कि यह दिशा विनाश की तरफ सरकार को ले जा रही है। अगर हमारे विरोधियों को मालूम है कि हम विनाश की तरफ जा रहे हैं तो फिर खुशी खुशी कहो कि विनाश की तरफ जाओ ताकि आपको भी काम मिल जाए। लेकिन हम विनाश की तरफ नहीं जा रहे हैं।

श्री रामअवतार शास्त्री: हम आपको बुद्धि दे रहे हैं।

श्री जैल सिंह: हम प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बुद्धि देते हैं तो हम बहुत मशकूर हैं, आप जितनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सिखलायेंगे, उससे हम सीखेंगे लेकिन इतना जरूर खबरदार रहेंगे कि आप जैसी बुद्धि लेकर कहीं हम यहां न बैठ जाएं।

एक मेम्बर बड़े सुन्दर शब्दों में कह रहे थे कि यह सरकार बिल वापिस ले ले--ऐसी वाइज काउंसेल हमारे ऊपर प्रिवेल कर जाए। लेकिन आपका यह खयाल गलत है। यह वाइज

काउंसेल आनरेबल मेम्बर पर ही प्रिवेल करनी जरूरी है ताकि वे इसका विरोध छोड़ दें। हम तो किसी गलत रास्ते पर पड़ना नहीं चाहते हैं, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहते हैं और डिमोक्रैटिक तरीके से पूरी करना चाहते हैं। मुझे आशा है आनरेबल मेम्बर्ज मेरे से इत्तफाक करेंगे कि आसाम में 1952 से लेकर जितने एलेक्शन्स हुए, 1978 तक लोग अपने वोट डालते रहे लेकिन जब 1980 में पार्लियामेन्ट के चुनाव होने थे तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और प्राविशियल गवर्नमेन्ट जो डिमोक्रैटिक तरीके से चल रही थीं वह बेबस हो गई और आसाम में अब तक पालिया-मेन्ट के दो मेम्बरों के अलावा और कोई चुनाव नहीं हो सके हैं। क्या यही डिमोक्रेसी आप कायम रखना चाहते हैं? आनरेबल मेम्बर्स ने कहा यह तरीका नहीं है, मान लेते हैं यह तरीका नहीं है, हम यह नहीं करते हैं तो फिर आप बतायें कौन सा तरीका है? हमने बुलाकर सभी विरो-धियों से भी पूछा, बातचीत की और यह भी कहा कि क्वैश्चन पोलिटिकल तरीके पर नहीं, एकोनामिकली, सोशली, हर तरह से देखकर सुलझाना चाहिए। मैं मानता हूं कि यह नेशनल क्वैश्चन है, नेशनल प्राब्लम है और सभी मिलकर इसको दुरुस्त करें। हम सख्ती नहीं करना चाहते मगर आप मुझे बता दो कि गरीब लोगों को बचाने का उपाय करना पड़े तो क्या करें, किस तरह से उनकी जिन्दगी बचायें? गौहाटी में एक दिन पिकेटिंग के लिए वे लोगों को ले जाना चाहते थे तो एक विधवा औरत ने कहा कि मेरी दो जवान बेटियां आपके साथ नहीं हैं। उस विधवा औरत को पीटा गया, मारा गया। लोगों को डरा कर चन्दा लिया जाता है, मारा जाता है, लोगों के कत्ल हो रहे हैं, और वहां के ट्राइबल्स बड़े परेशान हैं, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वहां की हालत को देखें।

मेरे दोस्त ने असम की समस्या का काफी जिक्र किया है, मगर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता हूं कि सदन का समय उस पर भी लूं। क्योंकि उस पर पहले ही काफी बहस हो चुकी है। मगर एक बात जो उन्होंने कही, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को एक वाइट-पेपर इस मसले पर देना चाहिए और मैं समझता हूं कि यहां पर जरूर गौर करना चाहिए। यह सुझाव उनका मुझे पसन्द आया।

डिप्टी स्पीकर साहब, अभी एक डी० एम० के० ग्रुप के नेता ने तकरीर की थी, उसके बाद मैंने सोचा लिया था कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरफ के जो मेम्बर बोले, उसके लिए तो शुबह हो सकता है, लेकिन उस तरफ के बैठे हुए आनरेबल मैम्बर ने जो बात कही, उस पर तो गौर कीजिए।

मैं बड़े अदब से सदन के सामने प्रार्थना करुंगा कि जो कुछ मैंने कहना था, मैंने कह दिया और अखबारों में भी आ जाएगा। यदि बिल जल्दी पास हो जाएगा तो अगली कार्यवाही चल पड़ेगी नहीं तो जैसा होता आया है, वही होता रहेगा। इसलिए मेरी आपसे तजवीज है, अगर आप महसूस करते हैं तो इस बिल को पास कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय, क्या आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं इस पर मतदान के लिये गम्भीरता पूर्वक जोर दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, उस पर 16 अगस्त, 1980 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

जो सदस्य इस के पक्ष में हैं, वे कृपया "हां" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया 'नहीं' कहें।

कई माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ है।

श्री ए० के० राय : "हां" वालों के पक्ष में निर्णय हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाओं को खाली किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, उस पर 16 अगस्त, 1980 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विचार किये जाने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रपति को असम राज्य के विधानमंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जो सदस्य पक्ष में हैं, वे कृपा करके 'हां' कहें।

कई माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब जो सदस्य इसके विरूद्ध है, वे कृपा करके 'नही' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हां वाले, सदस्य अधिक हैं, 'हां' वाले जीत गए हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं वाले सदस्य अधिक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाओं को पहले ही खाली किया जा चुका है। मैं पुनः प्रस्ताव करूंगा। प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रपति को असम राज्य के विधानमंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

लोकसभा में मतविभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या : 4 पक्ष में मध्याह्न पश्चात् 1-51 बजे

अब्बासी, श्री काजी जलील

आकीनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी : श्री जियाउर्रहमान

अशफाक हुसैन, श्री

बैठा, श्री डूमर लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बंसीलाल, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच० के० एल०
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस० बी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौहान, श्री फतेहभान सिंह
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री के० पी० सिंह
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
इरा मोहन, श्री
फैलीरो, श्री एडूआर्डो
गाडगिल, श्री वी० एन०
गमित, श्री छीतूभाई
गिरिराज सिंह, श्री
*गोयल, श्री कृष्ण कुमार
इम्बीचींबावा श्री ई०के०
जदेजा, श्री दोलत सिंह जी
काहनडोल, श्री जैड० एम०
कमला कुमारी, कुमारी
कौल, श्रीमती शीला
कृष्ण, श्री एम० एस०
लकप्पा, श्री के०
महावीर प्रसाद, श्री
महाला, श्री आर० पी०

*गलती से पक्ष में मतदान किया ।

मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लु, श्री ए० आर०
मणि, श्री के० वी० एस०
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानंद
महन्ती, श्री ब्रजमोहन
मूंडाकल, श्री जार्ज जोसफ
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
नंदी, येल्लैया
निहाल सिंह, श्री
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
काजी सलीम, श्री
*राजन, श्री के० ए०
रणवीर सिंह, श्री
राव, श्री एम० नागेश्वर
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
सेठी, श्री पी० सी०
शमन्ना, श्री टी० आर०
शनमुगन, श्री पी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरन
शर्मा, श्री मुंडेर
शर्मा, डा० शंकर दयाल

*गलती से पक्ष में मतदान दिया।

शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी०
सिन्हा, श्रीमती राम दुलारी
स्टीफन, श्री सी० एम०
सूर्यवन्शी, श्री नरसिंहराव
तैयब हुसैन, श्री
थोरट, श्री भाऊसाहिब
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वीरभद्र सिंह

विपक्ष में

*आचार्य, श्री बसुदेव
बालन, श्री ए० के०
बनातवाला, श्री जी० एम०
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विद्या
गिरि, श्री सुधीर
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
जाटिया, श्री सत्यनारायण
खां, श्री गयूर अली
खां, श्री महमूद हसन
कुन्हम्बू, श्री के०
लारेंस, श्री एम० एम०
महाटा, श्री चित्त
*नायब, श्री सरूप सिंह हिरया
परूलेकर, श्री बापूसाहिब
*पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
*कादरी, श्री एस० टी०
राजदा, श्री रतनसिंह
राय श्री ए ०के०

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

राय, डा० सरदीश

साहा, श्री गदाधर

*सईद, श्री पी० एम०

शास्त्री श्री रामावतार

थामस, श्री स्कारिया

वर्मा, श्री रवीन्द्र

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 76

विपक्ष में : 28

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : श्री जैल सिंह, श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी, सर्वश्री ए० ए० रहीम, चक्रधारी सिंह, नन्द किशोर शर्मा, गोदिल प्रसाद अनुरागी, एस० एस० रामास्वामी पदायची शान्ताराम पोटदुखे, मधुसूदन बैरोले, ओस्कर फर्नान्डीस, डी० के० नायकर, मोहन लाल सुखादिया, कमालुद्दीन अहमद, शिवराज वी० पाटिल, गुलाब नबी आजाद, बी० देवराजन, ख्वाजा मुबारक शाह, जयराम वर्मा, एस० टी० कादरी, सरूप सिंह हिरया नाईक, चन्द्रभान आठरे पाटिल, तथा पी० एम० सईद।

विपक्ष में : श्री एन० ई० होरो, श्री ई० बालानन्दन, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्रीमती सुशीला गोपालन सर्वश्री चित्रबसु, भोगेन्द्र झा, कृष्ण कुमार गोयल, के० ए० राजन।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2। कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2, विधेयक का अंग बने।" **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

खण्ड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

श्री जी० एम० बनातवाला : (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"परन्तु ऐसे किसी अधिनियमित के अधिनियमित करने में राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए गठित एक समिति की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे जिसमें अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित लोक सभा के तीस सदस्य तथा सभापति द्वारा नामनिर्देशित राज्य सभा के पन्द्रह सदस्य होंगे।"

---

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

पृष्ठ 2, पंक्ति 1–2,— (1)

"जब कभी ऐसा करना वे साध्य समझें", का लोप कर दिया जाये। (2)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(5) इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 199 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (च) तक में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के लिए उपबन्ध करने वाले किसी धन विधेयक को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है।" (3)

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 1, पंक्ति 12,—

"चाहे" के स्थान पर

"जब" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

पृष्ठ 1, पंक्ति 13,—

"हो या" का लोप कर दिया जाये। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"पन्द्रह सदस्य" के पश्चात्।

"और असम राज्य से कम से कम दस सदस्य, को किसी समय या तो संसद के सदस्य या राज्य विधान-मंडल के सदस्य रह चुके हों," अन्तःस्थापित किया जाये। (7)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 5 से 7 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।—

"राष्ट्रपति द्वारा उपधारा (2) के अधीन अधिनियम प्रत्येक अधिनियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और दो मास के अवसान पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा जब तक कि वह उस अवधि के अवसान के पूर्व संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।" (8)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 8 से 17 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये —

"संसद, का कोई भी सदन उपधारा (3) के अधीन उसके समक्ष रखे गए अधिनियम में संकल्प द्वारा कोई उपांतर किए जाने का निदेश दे सकेगा और राष्ट्रपति संशोधन-अधिनियम अधिनियमित करके उन उपान्तरों क प्रभावी करेंगे।" (9)

श्री ए० के० राय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 1, पंक्ति 11,—

"द्वारा" के पश्चात् "वित्तीय मामलों को छोड़कर" अन्तः स्थापित किया जाये। (10)

पृष्ठ 1, पंक्ति 13—14,—

"चाहे संसद सत्र में हो या न हो" के स्थान पर""जब संसद सत्र में न हो" 'प्रतिस्थापित, किया जाये।" (11)

पृष्ठ 2, पंक्ति 3,—

"तीस" के स्थान पर" पन्द्रह" प्रतिस्थापित किया जाये।(12)

पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"सदस्य" के पश्चात् और लोक सभा के अन्य सदस्यों द्वारा निर्वाचित लोक सभा के पन्द्रह सदस्य" अन्तःस्थापित किया जाये। (13)

पृष्ठ 2, पंक्ति 6,—

"यथाशीघ्र," के पश्चात् "तथा संसद के सदनों के सत्र के प्रारम्भ से एक सप्ताह से अधिक के पश्चात् नहीं," अन्तःस्थापित किया जाये। (14)

श्री बापू साहिब परूलेकर: मेरा पहला संशोधन खण्ड (3) (2) के संदर्भ में शब्द, 'चाहे' का लोप करने तथा शब्द 'जब' अन्त:स्थापित करने तथा 'हो या' का लोप करने के लिए है। श्रीमान् जी जो कुछ में कहना चाहता हूं, वह में निवेदित कर चुका हूं और में उसे दोहराऊंगा नहीं। लेकिन एक बात इसके बारे में मैंने कहनी है।

गृह मंत्री महोदय ने इस विधेयक का एक अग्नि शमन विधेयक के रूप में वर्णन किया है। केवल एक बात मैं सभा के विचारार्थ निवेदन करना चाहता कि क्या यह अग्निशमन तंत्र आसाम में लगी हुई आग को बुझाने के लिए पर्याप्त है।

उन्होंने यह भी कहा है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तब भी शनिवार और रविवारों को विधान बनाना आवश्यक होगा। यही कुछ वस्तुत: हम भी चाहते है। यदि कुछ ऐसी परिस्थिति हो गयी, तो शनिवारों एवं रविवारों को सलाहकार समिति के साथ परामर्श किए बिना राष्ट्रपति विधान बनाते रहेंगे और यह जल्दी में बनाया गया विधान होगा।

मैं आदरपूर्वक निवेदन करूंगा कि जब संसद का सत्र हो, तब यह पूरी तरह स्वामी है और जब संसद का सत्र हो, तो विधान बनाने की किसी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

मेरे अन्य संशोधनों के संदर्भ में में श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का उल्लेख करूंगा। इस सलाहकार समिति में असम के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसमें लोक सभा से तीस सदस्य तथा राज्य सभा से पन्द्रह सदस्य होंगे। मैंने सुझाव दिया है कि इस समिति के आसाम के प्रतिनिधि होने चाहिए। दो संसद सदस्य है। उन्हें इस समिति में लिया जा सकता है, भूतपूर्व संसद सदस्यों अथवा भूतपूर्व विधायकों को इस समिति में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री: वे अब भी हैं।...

श्री बापू साहिब परुलेकर : मेरा तीसरा संशोधन यह है कि संसद को न केवल संशोधन करने की ही शक्ति प्रदान की जानी चाहिए अपितु अधिनियमित कानूनों को भी उसके समक्ष पुष्टि हेतु लाया जाना चाहिए।

श्री ए० के० राय : खण्ड 3 इस विधेयक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण खण्ड है। इसमें सभी आपत्तिजनक बातें है; जिसके कारण से मैं, इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मेरा पहला संशोधन यह है कि वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति के पास इस संसद की अवहेलना करके विधान बनाने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। इस विधेयक को अधिनियमित करने हेतु अनुच्छेद 357 (1) (क) का उल्लेख किया गया है। उस विशेष धारा में यह बात स्पष्ट नहीं की गयी है कि जब संसद का सत्र हो अथवा न हो, तब क्या राष्ट्रपति विधान बना सकता है और भी बात है कि वित्तीय मामलों के बारे में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 357 (1) (ग) यह स्पष्ट करता है कि जब संसद का सत्र न हो। मैं माननीय संसद सदस्यों के लाभ के लिए इसे पढ़ूंगा :—

"जब लोकसभा सत्र न हो तो संसद द्वारा स्वीकृति मिल जाने तक राज्य की संचित निधि से ऐसे व्यय के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकार देने के लिए।"

किन्तु जब सभा का सत्र हो, तो इस बारे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या राष्ट्रपति इसे कर सकता है और आपको स्मरण होगा, श्रीमान्, कि पुरःस्थापना चरण पर एक मंत्री महोदय ने खड़े होकर कहा था कि वित्तीय शक्तियां इस विधेयक की परिधि में शामिल नहीं है....

एक माननीय सदस्य : यही कुछ विधि मंत्री महोदय ने कहा था।

श्री ए० के० राय : (धनवाद) इसके बाद विधि मंत्री के वक्तव्य को या तो शुद्ध किया गया अथवा उन्हें कुछ और कहने को तैयार किया गया।

इसलिए, मैं कहता हूं कि धन संबंधी विधेयकों को इसकी परिधि से बाहर रखा जाए। दूसरे जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तब राष्ट्रपति को शक्ति दी जा सकती है, परन्तु जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तब राष्ट्रपति को यह असाधारण शक्ति नहीं दी जानी चाहिए।

मेरे संशोधन का अभिप्राय है कि सभी सदस्यों को नाम निर्देशन न किया जाए। इस समय स्थिति यह है कि लोक सभा के सभी 30 सदस्य अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम निर्देशन किये जाते हैं तथा राज्य सभा के पद्रह सदस्यों को राज्य सभा के सभापति नाम निर्देशित करते हैं।

आगे यह भी कहा गया है कि धारा 2 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित सभी विधान अधिनियमन के बाद 'यथा शीघ्र सभा में पुरःस्थापित किया जाएगा। यहां मैं समय निर्धारित करना चाहता हूं। मैं कहता हूं 'यथाशीघ्र' का कोई अर्थ नहीं। यह एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। इस विषय में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि सरकार इन संशोधनों पर विचार करेगी।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : मैं इनके अमेंडमेंट्स के साथ सहमत नहीं हो सकता। मैं रिप्लाई की जरूरत भी नहीं समझता। लेकिन हाउस को अच्छी तरह से मालूम है, जब मैं रिप्लाई कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि हाउस इन सेसन हो, लेकिन दो तीन दिन की बीच में छुट्टी हो तो उस समय प्रेजीडेंट का ध्यान देना जरूरी है। वे तो एक घंटा भी नहीं रह सकते हैं यह समझ कर इस बिल को पास करना चाहिए।

एक आनरेबल मेम्बर ने यह कहा था कि कंसल्टेटिव कमेटी में मे आर मे नोटे है। दूसरी कंसल्टेटिव कमेटी में जो प्रेजीडेंट कर सकते हैं यहां भी वे वही करेंगे।

कंसल्टेटिव कमेटी में इलेक्शन हो इसके लिए भी कहा गया। जब इस हाउस के स्पीकर और वाइस प्रेजीडेंट इलेक्ट होते हैं तो इससे बड़ी डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? ये लोग समझ कर ही नोमिनेट करेंगे।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या वित्तीय मामले इस विधेयक के अंतर्गत आते हैं अथवा नहीं।

श्री जैल सिंह : वह नहीं है। फाइनेंशयल मेटर नहीं है। एक बात समझनी है कि आर्टिकल 356 में जब प्रेजीडेंट रूल हो जाता है, और अगर सेसन न हो तो भी प्रेजीडेंट की आटोमेटिकल्ली अधिकार हो जाता है कि वे कर सकते हैं।

श्री ए० के० राय : अब गृह मंत्री ने जो कुछ कहा है वह जो कुछ पहले सुना है उस से बिलकुल भिन्न है। उन्हें इस बारे में अत्यन्त स्पष्ट होना चाहिए। एक मंत्री एक बात कहता है, दूसरा उस से भिन्न बात करता है। उन्हें आपस में परामर्श करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए।

श्री जैल सिंह : आप की बात मान ली है। सलाह ले लिया करेंगे।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : कृपया अनुच्छेद 357 ध्यान से पढ़े। वहीं से आपको उत्तर प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई व्यक्ति अपने संशोधन पर आग्रह करना चाहता है? नहीं

ठीक है। अब मैं श्री बनातवाला के संशोधन संख्या 1, 2 और 3, सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1, 2 और 3 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पुरुलेकर के संशोधन संख्या 4, 5, 7, 8 और 9 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 4, 5, 7, 8, 9 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए० के० राय के संशोधन संख्या 10, 11, 12, 13 और 14, सभा में मतदान के लिए रखता हूं

संशोधन संख्या 10, 11, 12, 13, 14 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 3, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड, 3 विधेयक में जोड़ दिया गया खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री जैल सिंह : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1980-81

वाणिज्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में वाणिज्य मंत्रालय की मांग संख्या 11 से 13 पर चर्चा तथा मतदान होगा, जिसके लिए 6 घंटे आवंटित किये गयें हैं। ये मांगें निम्न प्रकार है :

वाणिज्य मंत्रालय मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		रु०	रु०
11.	वाणिज्य मंत्रालय	93,10,000	. .
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	272,88,01,000	43,47,34,000
13.	सूती वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प	76,21,29,000	41,76,48,000

जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगो के बारे में कटौती प्रस्ताव परिचालित किये गये है , यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव पुनः स्थापित करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर मेरे पास, कटौती प्रस्ताव क्रमांक बताते हुए पर्ची भेज सकते हैं। केवल उन्ही कटौती प्रस्तावों को सभा में प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा। अब श्री ईश मोहन।

**श्री ईश मोहन (कोयबम्टूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी प्रमुक की तरफ से वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

(श्री शिवराज पाटिल पीठासीन हुए)।

सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही किसी देश के आर्थिक विकास का द्योतक होता है। यदि किसी देश का विदेश व्यापार प्रति वर्ष प्रतिकूल रहता है, तब यह निश्चित होता है कि वह देश असाध्य आर्थिक संकट से पीडित है। यदि निर्यात घटता है तथा आयात बढ़ता है तो इस घाटे के व्यापार से विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो जाता है। वर्ष 1969-80 में हमारी अदायगी की स्थिति में तीव्र गिरावट आई, प्रतिकूल व्यापार संतुलन के आंकड़े 2233 करोड़ रुपए पहुंच गये। चाय, लोहा, इस्पात तथा इंजीनियरिंग

**तमिल में दिए गए भाषण व अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वस्तुओं आदि के निर्यात से होने वाली आय में 1979-80 में अप्रैल से दिसम्बर तक 500 करोड़ रुपए की कमी आई। प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप निर्यात घाटा अथवा क्या सरकार द्वारा अपनायी गई निर्यात नीतियों में त्रुटियों के कारण ऐसा हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण देकर अपनी दलील को सही सिद्ध करना चाहता हूं। जिससे प्रकट होता है कि सरकार की निर्यात नीति निन्दनीय है।

जिस समय श्री चरण सिंह लोक दल सरकार के प्रधान मंत्री थे, 4-12-1979 को बिनौले की खली के निर्यात पर रोक लगा दी गई। इस प्रतिबन्ध को इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेश से एक महीने पूर्व से लागू किया गया। इस प्रकार यह आलोचना तथा निन्दा का मामला बन गया। तीन कम्पनियां तमिलनाडु के विरूदनगर से 750 टन खली मारमोगोआ निर्यात के लिये ले गये। विदेशी क्रेताओं ने भी वैध साख पत्र खोल लिए थे। वे खली को पोत में लादने ही वाले थे तभी भूतलक्षी प्रभाव से रोक लग गई और निर्यात रोक दिया गया। सितम्बर अक्तूबर, 1979 से यह खली मारमा गोआ पत्तन पर पड़ी हुई है। इन कम्पनियों को 15 लाख को भारी हानि हो रही है, क्योंकि जब तक वे उसे उठा पाते हैं तब तक बिक्री योग्य नहीं रहेगी। इस खली की तमिलनाडु में कोई मांग नहीं है। भारत सरकार की असंगत निर्यात निति के कारण इन कम्पनियों को भारी हानि उठानी पड़ी है। पत्तन अधिकारी उन्हें माल हटाने के लिए आदेश दे रहे हैं। परन्तु महाराष्ट्र क्षेत्र में माल भेजने के लिए माल-डिब्बे उपलब्ध नहीं है। किसी दोष के बिना उन्हें कष्ट उठाना पड़ा है। ऐसी अप्रत्याशित घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए वाणिज्य मंत्री को रेल मंत्री से सहायता लेनी चाहिए, ताकि पर्याप्त संख्या में माल डिब्बों की व्यवस्था की जा सके जिससे कि मानसून आने से पूर्व माल उठाया जा सके। क्या यह भारत सरकार के दोषपूर्ण विदेशी व्यापार का उदाहरण नहीं है ?

इस बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। तमिलनाडु में पिछले कई महीनों से 30 करोड़ रुपए का हथ करघे का कपड़ा रुका पड़ा है। मुझे इसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं है कि इससे कितने लाख परिवार संबद्ध हैं तथा किस प्रकार उन लोगों की आजीविका पर आघात लगा है। मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत हथकरघा निर्यात निगम ने 1979-80 के दौरान केवल 6.24 करोड़ रुपए का हथकरघा कपड़ा निर्यात किया। इससे प्रकट होता है कि हथकरघा निर्यात निगम हथकरघा के कपड़े के निर्यात के लिए गतिशील सिद्ध नहीं हुआ। तमिलनाडु में रुके पड़े हथकरघा कपड़े के स्टाक को कम करने के लिए मैं मांग करता हूं कि युद्ध स्तर पर शीघ्र उपाय किये जायें। यह एक आर्थिक मामला है जिसका संबन्ध तमिलनाडु के बुनकरों की जीवन-मृत्यु से है। मुझे विश्वास है कि वाणिज्य मंत्री मुझ से सहमत होंगे इस समय शीघ्र पर्याप्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

देश के चमड़ा निर्यात में तमिलनाडु का योगदान 60 प्रतिशत है। यह राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। तमिलनाडु में लगभग 30 चमड़ा कमाने के कारखाने हैं जिनके लिए आधुनिक मशीनरी की आवश्यकता है। सरकार को इस उद्देश्य के लिए धन चमड़ा विकास निधि में से देना चाहिए, ताकि शीघ्र ही विदेशों से आधुनिक मशीनों का आयात किया जा सके।

1977 में जनता सरकार ने उत्पादन के गलत आंकड़ों के कारण नमक के निर्यात पर रोक लगा दी। अकेले तूतीकोरन ही प्रति वर्ष 20 लाख टन नमक का उत्पादन करता है। देश में उत्पादित सारे नमक की देश में खपत नहीं हो पाती। इस समय तूतीकोरन में बड़ी मात्रा में नमक रुका पड़ा है। मध्य-पूर्व के देश ईरान, ईराक, अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया के देश—बंगलादेश, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया नमक की तलाश में हैं। मंत्रालय को इन देशों के साथ सम्पर्क बनाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नमक का निर्यात किया जाने दिया जा सके।

इंजीनियरी सामान की निर्यात-क्षमता है जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कोयम्बटूर के 'फाऊंडरी' उत्पादन की अच्छी किस्म के कारण विश्व में विख्यात हैं। परन्तु कच्चे लोहे तथा 'कोक आयरन, आदि जैसे कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण निर्धारित क्षमता तक नही पहुंचा जा सका। यदि मंत्री महोदय अपने प्रभाव के उपयोग द्वारा पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध करा सकें तो कोयम्बटूर की इंजीनियरी तथा फाउंड्री कारखाने निर्यात व्यापार के लिए काफी उत्पादन कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि निर्यात प्रधान कारखानों को सहायता देने के लिए अर्थोपायों पर विचार करें।

लन्दन में चाय की नीलामी में नीलगिरि की चाय बहुत बढ़िया चाय है। फिर भी 1979-80 के दौरान चाय का निर्यात घट गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन कम हो गया है अथवा चाय का निर्यात बढ़ाने के दायित्व से युक्त चाय व्यापार निगम विफल रहा है। उटकमंड के चाय बागान को चाय बागान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। वाणिज्य मंत्री महोदय को इस योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली वस्तुओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी चाहिए।

1974 में सान्ताक्रूज इलैक्टोनिक निर्यात परिष्करण जोन शुरू किया गया तथा 6 वर्षों के भीतर इसमें 2000 व्यक्तियों को रोजगार दिया तथा इससे 25 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोनिक सामान का निर्यात किया जा सका। इस प्रशंसनीय कार्य के लिए हमें बधाई देनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि मद्रास में मीनाम्बक्कम के निकट एक ऐसे ही जोन की स्थापना की जाये। मद्रास भी इलेक्ट्रोनिक कारखानों के लिए काफी उपयुक्त है, क्योंकि उसके लिए विशेष जल-वायु एवं उच्च अर्हता प्राप्त तकनीकी व्यक्ति, उपलब्ध हैं।

1979-80 में समुद्री उत्पादों के निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। यदि हम अपने देश में छोटे मत्स्य पत्तनों के विकास को बढ़ावा दें तो हम अपने समुद्री उत्पादों के निर्यात को दुगना कर सकेंगे। समुचित सुविधाओं के अभाव में सुदूर पूर्व देशों के पोत हमारी क्षेत्रीय सीमा में प्रवेश करके झींगा और झींगी पकड़ कर ले जाते हैं जिनके कि यूरोपियन देश बहुत शौकीन हैं।

30 जून को तूतीकोरिन तट के पास तायवान का एक मत्सय पोत पकड़ लिया। इस समय मत्सय पत्तनों के विकास करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। मैं यह मांग करता हूं कि मत्सय पत्तनों पर से यह प्रतिबन्ध हटाया जाये और चिन्नामुत्तम जैसे मत्सय पत्तनों से भी यह प्रतिबन्ध हटना चाहिये क्यों कि यहां से काफी विदेशी मुद्रा कमाने की सम्भावना है यदि यहां पर 3 करोड रुपये लगा कर इसका विकास किया जाये तो हर वर्ष 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।

पश्चिमी तट पर कांडला का पोर्ट है। इस समय पूर्वी तट पर कोई फ्री पोर्ट नहीं है। मद्रास को फ्री पोर्ट घोषित किया जाना चाहिये ताकि हमारे देश के पूर्वी तट पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो सके। चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाने से इसके व्यापार में संकट खड़ा हो गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक में चन्दन की लकड़ी के ढेर लग गये है। माननीय मन्त्री को यह प्रतिबन्ध शीघ्र ही हटाना चाहिये ताकि चन्दन की लकड़ी जो इस समय पड़ी सड़ रही है, का निर्यात कर उससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमाई जा सके। हमारे देश में पैदा की जा रही मिर्च, विशेष कर तमिल नाडू के विरुदुनगर तथा साथ के ही रामानाथापुरम जिले में पैदा की जा रही मिर्च विदेशों में बहुत पसंद की जाती है सरकार को मिर्च निर्यात संवर्द्धन परिषद का गठन करना चाहिये तथा मिर्च निर्यात के प्रयासों को और तेज करना चाहिये।

भाषण समाप्त करते हुए मैं माननीय मन्त्री, जो अपनी ओजस्विता और कर्मशक्ति के लिये प्रसिद्ध हैं, से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे देश के निर्यात में वृद्धि करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहें ताकि हमारा व्यापार सन्तुलन, जो इस समय अच्छी अवस्था में नहीं है, शीघ्र ही लाभकारी बन सके। मुझे विश्वास है कि ठोस प्रयासों के कारण हमारे देश के निर्यात व्यापार में अतुलनीय वृद्धि होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करते हुये अध्यक्ष महोदय के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

श्री दौलतसिंह जी जडेजा (जामनगर) : मैं वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सीमित समय को ध्यान में रखते हुए मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि पिछले तीन वर्षों में उद्योग, निर्यातकों और निर्माताओं ने क्या क्या कष्ट उठाये हैं। पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हर क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयास किया यहां तक हमारा व्यापार सन्तुलन बिगड़ गया और वह घाटे में चला गया, यह बात पुस्तकों को देख कर स्पष्ट हो जाती है।

जो प्रयोग वह कर रहे थे, उसके परिणामस्वरूप निर्यात में भी कमी आई। उद्योग और निर्यात में लगे लोगों को और भी अधिक कष्ट उठाने पड़े क्योंकि सरकार की इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं थी। इस सम्बन्ध में कई मदों का उदाहरण दिया जा सकता है। किन्तु उनमें से कुछ मदों का नाम मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं समुद्री उत्पादों के किये गये निर्यात का उल्लेख करूंगा। इस सम्बन्ध में आंकड़े यह बताते हैं कि हम हर वर्ष समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दिखाते रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसका दायित्व किसी एक एजेंन्सी, निर्यातक कम्पनी अथवा किसी क्षेत्र पर है। निर्यात वृद्धि का कारण उनके लिये निरंतर मांग, बढ़ती कीमतें तथा नई मंडियों का विस्तार है। किन्तु इन मंडियों का उचित विकास नहीं हुआ है। अनेक नई मंडियों खुलनी चाहिए थीं। अनेक नई किसमों का भी पता लगाया जा सकता था किन्तु हमने अपनी पूरी शक्ति झीगियों के निर्यात पर लगा दी और अब उनके निर्यात में काफी कमी आई है और नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि अमरीका और जापान जैसी मंडियों ने अब प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ कर दिये हैं। हमारा द्वारा दिये किये जाने वाले निर्यात में भी उन्होंने रुकावटे डालना प्रारम्भ कर दिया है। परिणाम स्वरूप झिंगियों का निर्यात कम ही नई हो गया है; बल्कि जिस प्रकार

से हमारे तटीय क्षेत्र में मत्स्य-ग्रहण हो रहा है शीघ्र ही झींगी की किसमें, जिनका निर्यात होता है समाप्त हो जाएंगी। हमें इस स्थिति का सामना इसलिये करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश भर में किसी संरक्षनात्मक ढांचे का स्थायी विकास नहीं हो सका है। हमने अपनी समूची शक्ति दक्षिणी तट पर ही केन्द्रित की हुई है; और दक्षिणी तट पर झींगियां बहुतायत में पायी जाती हैं, और इस सम्बन्ध में हम मात्र इसी मद के बारे में सोचते रहते हैं हालांकि हम विविधीकरण की बातें करते रहते हैं। विभिन्न संगठन—सरकारी अधिकारी, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण आदि विविधीकरण की बात कहते रहते हैं। उनके लिये विविधीकरण का अर्थ केवल बातें करना है न कि ठोस उपलब्धि करना। मैं 1975 का उदाहरण दे सकता हूं। महाराष्ट्र और गुजरात के तट से जो पॉम्फिट् (एक प्रकार की मछली) का निर्यात करने का वास्तविक क्षेत्र है, से 130 टन के साथ निर्यात आरम्भ हुआ। उस क्षेत्र के व्यापारियों का यह प्रयास था कि हम 130 टन पॉम्फिट का निर्यात कर सकते हैं। उस निर्यात में बराबर वृद्धि हुई थी। किन्तु 1977-78 में यह आंकड़े बढ़ कर 2000 टन हो गये। तब सरकार ने विनियम बनाया, तब कोटा पद्धति बनाई गई और हमारे देश के उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रख कर यह पद्धति लागू की गई थी; और हमारे देश में इसका उपभोक्ता समाज के उच्च वर्ग के ही लोग हैं क्योंकि उच्च वर्ग के लोग ही पॉम्फिट 12 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से खरीद सकते हैं। अतः यह कोटा पद्धति लागू की गई है। हमारे अपने देश में 35,000 टन का पॉम्फिट का उत्पादन होता है जिसमें से हम 2000 टन का निर्यात कर देते हैं। जब यह कोटा पद्धति लागू हुई तो उसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि जो मछुवे पॉम्फिट की अच्छी कीमत प्राप्त कर रहे थे, उन्हें गैर-सरकारी व्यापारी ने कम मूल्य देना आरम्भ कर दिया। उन्होंने इसे उपभोक्ता को देना आरम्भ कर दिया किन्तु उपभोक्ता उसका मूल्य पहले की तरह ही देते रहे। परिणाम यह हुआ कि लाभ बिचौलियों को मिलने लगा। इस से मछुवों को, जो गरीब आदमी थे, हानि हुई, देश को हानि हुई क्योंकि हमारे निर्यात में कमी आने लगी। यह कोटा पद्धति 1977-78 और 1978-79 में लागू थी। मेरा विचार है अभी भी यह पद्धति हटाई नहीं गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जिन्स अब हमारे देश से 10 प्रतिशत से अधिक निर्यात नहीं होगी, इससे स्थानीय बाजार पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु हम इस मद के निर्यात पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम इस उद्योग को इसके विकास के लिये इसलिये प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह देश के ऐसे भाग से सम्बद्ध है जो शायद उनमें कोई रुचि उत्पन्न नहीं करता जो इस उत्पाद के निर्यात विकास से सम्बद्ध हैं। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में अधिक यथार्थवादी रवैया अपनाना चाहिये। हमने हमारे देश में उपलब्ध पाम्फिट, जो 500 ग्राम से कम है के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। विदेशी क्रेता 350 से 600 ग्राम के आकार में पॉम्फिट चाहते हैं, इसके निर्यात की ही आशा है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह पॉम्फिट बहुल सौराष्ट्र गुजरात—महाराष्ट्र तट के इस आधारभूत उद्योग को बचायें। इससे स्थानीय बाजार और स्थानीय उपभोक्ता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह इन वर्षों में ड्राई फिश के निर्यातकों को भी परेशान किया गया। उन्हें राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने के लिये कहा गया। क्रेताओं का पता निर्यातकों ने स्वयं ही लगाना था। राज्य व्यापार निगम 2 प्रतिशत कमीशन लेती है। आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि ड्राई फिश का निर्यात कम हो गया है; केवल मूल्य में वृद्धि हुई है। विविधीकरण बहुत हुआ है। समुद्री उत्पाद की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। समुद्री

उत्पाद की विविधीकरण में हमें सभी संगठनों की सहायता और मार्गदर्शन की जरूरत है ; और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अब हमारे वाणिज्य मन्त्री बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और हम एक ऐसी प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में हैं जो हमारे देश में न केवल दक्षिणी तट से बल्कि समूचे भारतीय तट से हमारे समुद्री उत्पादों का विविधीकरण कर सकेंगी। इस देश में जो भी मछली लाई जाये और उसे समुचित रीति से साफ करके पैक किया जाये तो विश्व बाजार में बेची जा सकती है।

सौराष्ट्र में जहां प्रमुख रूप से मूंगफली का उत्पादन होता है, हमारी जनता को पिछले तीन वर्षों में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा है । वहां प्रतिबन्ध ही प्रतिबन्ध लगाये गये थे और उसके लिये किसान को कष्ट उठाने पड़े हैं। किसान अपनी कीमत प्राप्त करने में असफल रहा है । हम इस वस्तुओं का निर्यात करने में असफल रहे हैं और क्योंकि हम इन वस्तुओं का निर्यात करने में सफल नहीं रहे हैं, हम उस किसान को न्याय प्रदान करने में सफल नहीं रहे हैं जिसके प्रति हम बहुत सी अन्य बातों के लिए उत्तरदायी हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मद की निर्यात नीति का निर्धारण उस समय किया जाये जबकि फसल खेत में हो जिससे किसान को वास्तव में ही लाभ पहुंचे और यदि पाबन्दी लगानी है तो यह किसान सहकारी समितियों के द्वारा लगानी चाहिए । गुजरात में हमारे यहां गुजरात तेल-बीज-उत्पादक महासंघ के नाम से जाने जानी वाली सहकारिता है । वे लोग किसानों से मूंगफली खरीदते हैं । उनके लिए इसको संसाधित करते हैं और उन्हें तेल की कीमत देते हैं। यह एक ऐसे प्रकार का संगठन है, जिसको 'एचपीएस' का निर्यातन करने की अनुमति मिलनी चाहिए । उन्हें विदेशों में बिकने वाली खली का निर्यात करने की अनुमति मिलनी चाहिए । ऐसी नीति न होने के कारण अथवा चूंकि इस नीति पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है, उस क्षेत्र में हमारे उद्योगों को हानि हो रही है । वे 40 प्रतिशत की क्षमता पर काम कर रहे हैं, इससे श्रमिक हानि हुई है । इससे कच्चे माल की कीमत में हानि पहुंची है । और इस उद्योग में इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त हानि पहुंची है । मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि इस मद को अधिक महत्व प्रदान किया जाये । इसके बारे में नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने का यह उचित समय है।

मैं पहले ही समुद्री उत्पादनों के निर्यात का उल्लेख कर चुका हूं । आज सामुद्रिक उत्पादों के विकास का काम सामुद्रिक विकास निर्यात प्राधिकरण के हाथ में है । केरल की जनता या भारत के उस भाग के लोगों के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु यह संगठन पूर्णतया उनके नियन्त्रण में है । यह इस सरकार के नियन्त्रण में नहीं है । यह तो उसी क्षेत्र के इस उद्योग में लगे लोगों के नियन्त्रण में है । उनकी रुचि इस बात में है कि झींगा उद्योग उन्नति करे। हम उन्हें जीवित रखना चाहते हैं। हम उनके विरुद्ध नहीं है, परन्तु इस देश के अन्य उत्पादनों की कीमत पर नहीं । यह संगठन अध्यक्ष से लेकर सदस्यों तक पूर्णतया केरल मूल का है । 30 सदस्यों में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस व्यापार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि गुजरात से उसमें कोई नहीं है, आन्ध्र से मुश्किल से ही कोई होगा, गोआ से कोई नहीं है, केवल महाराष्ट्र से एक आदमी है । बाकी सब के सब केरल वासी हैं। मुझे उन पर विश्वास है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वे अपना काम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे और ढंग से इस पर विचार करते होंगे, परन्तु उनका क्षेत्र सीमित है।

चूंकि जिस मछली का देश से निर्यात किया जा रहा है उसका एक छोटा सा प्रतिशत ही केरल से निर्यात किया जाता है, क्योंकि वे केवल झींगा का ही निर्यात करते हैं। यदि हमें वास्तविक विविधता चाहिए तो जो संस्था हमारे सामुद्रिक उत्पादनों के निर्यात का नियन्त्रण करने जा रही है, उसका कार्य क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए और व्यवसाय से अन्य राज्यों से भी लोग आने चाहिए और मैं मंत्री महोदय से यहां तक निवेदन करूंगा कि वे मुख्यालय को कोचीन से दिल्ली स्थानान्तरित करने की बात पर भी पुनर्विचार करें। किसी व्यापारी के लिए कोचीन पहुंचना बहुत मुश्किल है, परन्तु दिल्ली पहुंचना कहीं अधिक आसान है। इसके अलावा आज कोचीन में जो भी हमारे पास है उसे ब्रिटेन की तरह तथा 'व्हाइट फिश अथोरिटी' की तरह बदल दिया जाना चाहिए। हम एक झींगा प्राधिकारण क्यों नहीं खड़ा कर लेते, जो कि निर्यात अनिवार्य है और यह उचित समय है जबकि केवल झींगा के लिए ही एक प्राधिकरण होना चाहिए। हमें बताया गया है कि हम अपने संसाधनों को बचा सकेंगे जबकि हम इसके नए साधन खोज लेंगे और राष्ट्रीय राजकोष के लिए अत्यन्त मूल्यवान इस वस्तु को बचा सकेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, वाणिज्य मंत्रालय के संबंध में मैं अपने विचार इस दृष्टि से प्रस्तुत करने वाला नहीं हूं कि जनता सरकार ने क्या किया या उसके पहले क्या हुआ ? मैं स्पष्ट रूप से आज की जो हमारी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अन्दर व्यापार की स्थिति है, वह कितनी भयानक है और उस भयानकता पर अगर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो देश की आर्थिक स्थिति को ले जा कर के कहां खड़ा करेगी और उस संबंध में हमको ऐसे कौन से उपाय अपनाने चाहिए, उसी संबंध में अपने विचार आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं।

सभापति जी, यह स्पष्ट है कि वर्ष 1979-80 के अन्दर अगर हम मूल्यों को आधार मानें तो हमारा निर्यात लगभग 8 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इस बढ़े हुए निर्यात को, जोकि लगभग नगण्य कहा जा सकता है, देखें तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो मुद्रास्फीति है, इन्फलेशन है, वह 10 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ी है। ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट के अन्दर जो हमारा 8 प्रतिशत का ग्रोथ था, उस को बढ़ते हुए इन्फलेशन ने खा डाला और इस के मुकाबले में देश के अन्दर आयात 25 प्रतिशत बढ़ा है। जैसा मैंने अभी कहा कि जनता सरकार ने क्या किया, उस के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो आप के स्वयं के परफार्मेन्स के बारे में 1980-81 और 1979-80 की रिपोर्ट है, जिसे आप के मंत्रालय ने प्रकाशित किया है, वह अपने आप में स्पष्ट है। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए आने वाला समय हमारे लिये ज्यादा आशाजनक सिद्ध होगा या बजट के अन्दर जो प्रावधान लाये गये हैं उन से कुछ परिवर्तन आयेगा, ऐसा विश्वास आप जगा नहीं पाये हैं। आने वाले समय में जो आज हमारा बैलेंस आफ ट्रेड बिगड़ा हुआ है, ज्यादा आयात के कारण जो व्यापार का सन्तुलन बिगड़ा है उस में हम कोई सुधार ला सकेंगे—यह बहुत ही शंका का विषय है।

सभापति जी, आज भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्दर वही नीति चल रही है, वही प्रोटेक्शनिस्ट टेण्डेंसीज चल रही हैं, भारत के बढ़ते हुए कदम को देख कर आज भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो विकसित देश हैं वे ईर्षालु हो गये हैं, वे भारत को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। यहां तक कि हिन्दुस्तान को एक विकासशील देश माना जाय, विकासशील देशों के समकक्ष हिन्दुस्तान को भी गिना जाय—इसको भी वे बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं।

इसीलिये उन्होंने एक नया शब्द पैदा किया है, ईजाद किया है —"लीस्ट डेवलपिंग कन्ट्रीज" ताकि हिन्दुस्तान अन्य विकासशील देशों के बराबर न समझा जाय । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अन्दर जो आर्थिक समुदाय हैं, उन आर्थिक समुदायों के अन्दर भारत उन के बराबर क्लैम न कर सके, इसलिये भारत को डेवलपिंग कन्ट्री तो माना जा रहा है, लेकिन अन्य देशों को लीस्ट-डेवलपिंग कन्ट्रीज में गिना जा रहा है ।

मैं आप के माध्यम से वाणिज्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहूंगा कि अभी तक सैकेण्ड-विन्डो क्रिएट करने के लिये कामन फण्ड में जो प्रयास हम कर रहे थे, उसमें भारत सफल हुआ है और मैं आशा करता हूं कि इस दूसरी खिड़की के निर्माण के बाद हम हिन्दुस्तान के अन्दर अपने रिसर्च के लिये, उत्पादन के लिये वह सामग्री, जिनका कि निर्यात विदेशों को किया जा सकता है, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से हम समुचित राशि अपने देश के विकास के लिये, इन वस्तुओं के लिये ले सकेंगे । मैं इस सम्बध में माननीय वाणिज्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप का एक्सपोर्ट का जो एस्टीमेट है, 1980-81 का, वह लगभग 6500 करोड़ रुपए का है । मैं उस को चुनौती तो नहीं देना चाहता हूं आप उस लक्ष्य तक पहुंचें, ऐसी मेरी कामना है, लेकिन 6500 करोड़ रुपया जो हमें एक्सपोर्ट के माध्यम से मिलेगा, उस का दो-तिहाई करोड़ 4500 रुपया केवल क्रूड-आयल के परचेज और पट्रोल के परचेज पर चला जायगा । इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ष 1980-81 भी विदेश व्यापार की दृष्टि से कितना भयानक हमारे लिये बना हुआ है । इसलिये मैं आप को कहना चाहूंगा कि अभी तक जो हमारे ट्रेडीशनल आइटम्ज हैं, जिन की तरफ हमारा ध्यान अधिक रहा है, अब उन वस्तुओं के निर्यात के अवसर विदेशी बाजारों में कम होते चले जा रहे हैं, उन वस्तुओं को पैदा करने के लिए विश्व के दूसरे देश सामने आ गये हैं । हम ने देख लिया चाय में, हम ने देख लिया काफी में और रबर के मामले में हमारी क्या स्थिति है, यह भी हम ने देख ली हम उसे एक्सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं हैं और चाय और काफी के मार्केट भी हिन्दुस्तान के पक्ष में नहीं हैं और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि इन का निर्यात कम होता जा रहा है । इतना ही नहीं बल्कि प्रति किलोग्राम जो रियेलाइजेशन होना चाहिए, वह भी कम होता चला जा रहा है । इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि एक्सपोर्ट के लिए जो नान-ट्रेडीशनल आइटम्स हैं, उन के लिए नये-नये बाजार दुनिया के अन्दर ढूंढें और जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कन्ट्रीज हैं, उन के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ायें । इस के अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो योरोपियन कन्ट्रीज हैं और जो विकसित देश हैं, वे यह नहीं चाहेंगे कि हम तरक्की करें लेकिन मैं चाहूंगा कि हम उन के साथ भी दोस्ती बढ़ावें।

मुझे पिछले समय साऊथ एशिया के कुछ देशों को देखने का अवसर मिला था । वहां पर मैंने अजीब स्थिति देखी । वहां के बाजारों के अन्दर अमेरिका का पैसा पड़ा हुआ है लेकिन वस्तुएं सारी चीन और जापान की हैं और वहां पर व्यापारी चीनी हैं । क्या हम ने अपने पड़ौसी देशों के साथ अपने ऐसे सम्बन्ध बनाए हैं, जिन से उन को हमारे बारे में पूरा ज्ञान हो । आज मुझे इस बात का दु:ख है कि उन देशों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम ने विज्ञान के मामले में इतनी तरक्की कर ली है, इतना विकसित कर लिया है । कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन में हम कई ऐसे देशों से, जो अपने आप में विकसित हैं, टैक्नोलोजी की दृष्टि से, आगे बढ़ चुके हैं और हमारे यहां वे वस्तुएँ कम्पीटीटिव रेट्स पर तैयार होती हैं, जिन की

आवश्यकता उन देशों को है पर आज हिन्दुस्तान की उन चीजों के लिए वहां पर बाजार नहीं मिल पा रहा है । उन वस्तुओं के लिए वहां पर बाजार मिले और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम ने तैयार कर ली हैं और वे वहां बाजार में जा कर बिक सकती हैं, इस तरह की कोई पब्लिसिटी जितनी होनी चाहिए, वह नहीं हुई है । मैं तो यह कहूंगा कि इस बारे में हमारी जो पब्लिसिटी है, वह बिल्कुल नगण्य है । आज टेलीवीजन के माध्यम से उन चीजों की रीलें बना कर उन का प्रदर्शन उन देशों में किया जा सकता है । हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने साइंस और टैक्नोलाजी का इतना विकास किया है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उन की ख्याति है । उन कन्ट्रीज के अन्दर उन के द्वारा तैयार की गई चीजों के प्रदर्शनों का एरेंजमेंट करवाया जा सकता है । उन देशों के अन्दर, हांगकांग और सिंगापुर के मार्केटस के अन्दर हम अपने स्तर पर बड़े बड़े शोरूम्स इस प्रकार के खोल सकते हैं जिन के द्वारा यहां पर बनाई गई चीजों का ज्ञान वहां के लोगों को दिया जा सकता है । अगर हम इस तरह के रास्ते पर बढ़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से हम अपने निर्यात को बढ़ा सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1978 के अन्दर कुछ नान-ट्रेडीशनल आइटम्स हैं, जो हिन्दुस्तान में बने होने के कारण और विशेषकर हथकरघा पर बने होने के कारण विश्व के बाजारों में काफी बिकी, उन की मांग विश्व में बढ़ी और इस चीज को दृष्टि में रखते हुए कि इन वस्तुओं का निर्माण किस प्रकार से हिन्दुस्तान में बढ़ाया जाए, जिस से उस वस्तुओं द्वारा हमारे मुल्क का निर्यात बढ़े और इस के लिए सन् 1978 में एक टास्क फोर्सेज का निर्माण किया गया था । मैं जानना चाहूंगा कि उस टास्क फोर्स, जो लगभग 9, 10 वस्तुओं के लिए थी, की रिपोर्ट क्या सरकार के पास आ चुकी है और अगर आ चुकी है, तो उस के इम्पलीमेंटेशन के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है क्योंकि जितनी भी नान-ट्रेडीशनल आइटम्स हैं, उन को आइ-डेंटी फाई कर के उन को यहां पर बना कर विश्व के बाजारों में भेजेंगे और उन के लिए बाजार ढूंढेंगे, तो हमारे देश का निर्यात काफी बढ़ जाएगा । आज हमारे देश में अन-एम्पलायमेंट की प्राब्लम है, लोगों के लिए रोजी और रोजगार का सवाल है, अगर विश्व के बाजार में निर्यात के लिए ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, तो विदेशों में उन के लिए मार्केट्स भी मिल जाएंगे । तो निश्चित रूप से हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पायेंगे और साथ साथ हिन्दुस्तान के अन्दर लोगों को रोजी भी दे पायेंगे ।

आज हमारे गांवों में रहने वाले, गन्दी बस्तियों में रहने वाले आर्टिजन्स बहुत सी चीजों का निर्माण करते हैं । किन्तु उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वे कौन-सी वस्तु बनायें, कौन-सी नहीं बनायें, कौन-सी वस्तु की मांग है, कौन-सी वस्तु की मांग नहीं है, कौन-सी वस्तु एक्सपोर्ट हो कर बाहर विदेशों में जा रही है, जिनका मूल्य विदेशों में हजारों रुपये है लेकिन यहां उसको बहुत कम दाम में बेच देना पड़ता है । हमारी जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है या हमारी दूसरी राजकीय एजेन्सीज है, क्या वे अपने कार्यालय हरेक राज्य में नहीं खोल सकती है जिन के माध्यम से उन्हें यह बताया जाए कि कौन सी वस्तु बनाओ जिसकी कि विदेशों में मांग है और उन वस्तुओं का मांग के आधार पर उन आर्टिजंस को वाजिब पैसा दिलाया जाए ? क्या हमारी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन और अन्य राजकीय ऐजेन्सीज उनसे सीधे सामान नहीं खरीद सकतीं और विदेशों को निर्यात नहीं कर सकतीं ? मैं समझता हूं कि इन एजेंन्सीज को

यह निर्यात करना चाहिए और प्राइवेट एजेन्सीज को किसी भी कीमत पर यह निर्यात नहीं करने देना चाहिए । इससे देश को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और उन छोटे-छोटे लोगों को भी वाजिब दाम मिलेंगे।

एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा । हम खाद्य तेलों की कमी को दूर करने की कितनी ही कोशिश करें लेकिन हम खाद्य तेलों की कमी को दूर नहीं कर सकते हैं । जैसे जैसे हम सिंचाई के साधन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे तिलहन, मूंगफली और तिल्ली की पैदावार में कमी होती चली जा रही है । हम आज खाद्य तेलों को पूर्ति के लिए दस लाख टन तेल आयात कर रहे हैं जिस पर हम अपनी विदेशी मुद्रा का अनापशनाप ढंग से खर्च कर रहे हैं । जिस तरह से हमने दूसरे बोर्ड बनाये हैं, टी बोर्ड बनाया है, काफी बोर्ड बनाया है, कारडमम बोर्ड बनाया है उसी तरह से क्या हम पाम बोर्ड नहीं बना सकते ? आज विश्व के अन्दर सब से सस्ता आयल पाम आयल है । उस पाम आयल के प्लान्टेशन मलेशिया और इन्डोनेशिया में हैं । वहां बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति है, ज्योग्राफिकल स्थित है, क्लाइमेटिक कडीशन है जैसी कि हमारे अण्डमान निकोबार आइलेण्ड की है । हम पाम बोर्ड को स्थापित कर के क्यों नहीं अण्डमान निकोबार आइलेण्ड्स में पाम प्लान्टेशन करे और पाम इण्डस्ट्रीज़ की एक बड़ी योजना बना कर 8-10 लाख टन आयल जो हम आयात करते हैं, क्यों नहीं 15-20 लाख टन का टारगेट रख कर उसका उत्पादन करें ? जिस तरह से मलेशिया और इण्डोनेशिया कर रहे हैं हम उसी आधार पर यहां भी पाम आयल का उत्पादन कर सकते हैं । सरकार इसको सरकारी तौर पर नहीं तो प्रायवेट एजेन्सी के आधार पर ही कर सकती है । मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को इसकी गंभीरता से लेना चाहिए और पाम बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए । वाणिज्य मंत्रालय में इस योजना को लागू करना चाहिए और अण्डमान निकोबार आइलेण्ड्स में प्लान्टेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि हिन्दुस्तान के अन्दर एक ऐसी इंडस्ट्री की स्थापना हो जाए जिसके हमारे खाद्य तेलों की कमी पूरी तरह से दूर हो जाए।

अन्त में मैं एक चीज एक्सपोर्ट के बारे में और कहना चाहूंगा । जहां मैंने कहा कि हमें अपनी बान ट्रेडीशनल आइटम्स में नयी नयी चीजों को शामिल करने के बारे में सोचना पड़ेगा, उनमें उन्हें शामिल करना पड़ेगा वहां हमें एक्सपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट्स भी बाहर भेजने के बारे में सोचना चाहिए । हमें पता है कि विदेशों के अन्दर हमने कई प्रोजेक्टस स्थापित किये हैं, उनक निर्माण किया है । हमने शायद एक प्रोजेक्ट डवलपमेंट कमेटी, प्रायोजना समिति का भी निर्माण किया है । हम उसके माध्यम से विदेशों में ज्वान्ट वेंचर के अन्दर अधिक से अधिक कारखाने डालें । दूसरे देशों के अन्दर कंसलटेन्सी सर्विस के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को भेजें । हम इस तरह से अधिक लोगों को काम दे सकते हैं और लाइसेंस फी के रूप में अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं । यही मेरा निवेदन है, इन्हीं शब्दों के साथ में अपने सुझाव रखता हूं ।

श्री एडु आर्डो फेलीरो (मरमागाओ) : अभी अभी हमें श्री गोयल के विचारों को सुनने का लाभ मिला जो भूतपूर्व सरकार में इसी विभाग के राज्य मन्त्री रहे हैं। अब उन्होंने बड़े ही मूल्यवान, महत्वपूर्ण और मनोरंजक सुझाव दिए हैं परन्तु वह उस सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करना बुद्धिमतापूर्ण टाल रहे हैं जिसका वह एक अंग थे । उन्होंने केवल मंत्रालय के इस प्रतिवेदन का उल्लेख किया । यहां इन बैंचों पर बैठने वाले हम कहते आ

रहे हैं, और देश भी कहता आ रहा है कि गत 3 वर्षों में आर्थिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ चुकी है। संसद सदस्यों को दिए गए **आर्थिक सर्वेक्षण** में भी इसका जिक्र आया है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इस प्रतिवेदन में उठायी गयी बातें अत्यधिक गम्भीर हैं।

गत 3 वर्षों में जो कुछ हुआ है वह यही है कि आयात बहुत हुआ है जबकि निर्यात में बड़ी तेजी से गिरावट आई है। स्वाभाविक ही है कि बढ़ते हुए आयातों और घटते हुए निर्यातों के कारण हम दिवालियापन की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं।

मैं श्री गोयल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रतिवेदन का उल्लेख किया और मैं कुछ बहुत ही दुखद तथ्यों को प्रगट करने के लिए इसके कमजोर पहलुओं और डरा देने वाले आंकड़ों के बारे में इस प्रतिवेदन का जवाब दूंगा जिसे कि मन्त्री महोदय को काबू में करना है यदि वे अर्थव्यवस्था को उसी लाईन पर लाना चाहते हैं। पृष्ठ 10 पर हम पाते हैं कि 1976–77 में जनता सरकार ने 68.46 करोड़ रुपए व्यापार सन्तुलन के आधिक्य को विरासत में पाया था। ठीक उसके अगले वर्ष ही हमें 621.03 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 1978–79 में यही घाटा बढ़ कर 1062.60 करोड़ रुपया हो गया और उसके बाद के वर्ष में यह घाटा लगभग तीन हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यही कुछ मन्त्री महोदय को विरासत में मिला है। और इन्हीं पर उन्हें काबू पाना है।

इस स्थिति के लिए श्री गोयल ने वाह्य कारणों को जैसे संरक्षणात्मक प्रवृत्तियों को दोषी ठहराया। निर्यात में वृद्धि और हमारे घाटे में उनका योगदान तो रहा परन्तु उससे सारी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। उदाहरणस्वरुप हांग कांग ने, विभिन्न आयात करने वाले देशों के उसी प्रकार के कठोर कोटा नियन्त्रण लागू होने के बावजूद, 1979 के प्रथम तीन मास में, उसने अपने निर्यात में 30 प्रतिशत की वृद्धि की। ऐसा उन्होंने बढ़िया किस्म की पोशाकें बनाकर, बढ़िया किस्म की कमीजें, ब्लाउज, जांघिये आदि बेचकर किया। अतः इसमें बाह्य रूकावटें हो सकती हैं, परन्तु सारी स्थिति के लिए वही कारण नहीं है। इसमें आर्थिक नीति का अभाव रहा है अर्थव्यवस्था में आन्तरिक अराजकता व्याप्त रही है और इससे औद्योगिक विकास में गिरावट आई। औद्योगिक उत्पादन घटा और निर्यातों का धीमा विकास हुआ।

सभी प्रकार की वस्तुओं का आयात भी अन्धाधुन्ध हुआ। 'सीमन्स' और अन्यों के साथ सरकार ने विदेशी सहयोग किए, जिसमें वह भी सदस्य थे, यद्यपि वे एकदम से अनावश्यक थे तथा उन्हीं के कारण हमारे देश को आज इस मोड़ से गुजरना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रवैये को बदलना होगा। आज एक ही विकल्प है, निर्यात करो या मरो। तेल और पेट्रोलियम उत्पादनों के बिल में लगातार वृद्धि तथा जिन वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं उनकी लागत में लगातार वृद्धि के सिवाय हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। यदि हम अपने निर्यातों में पर्याप्त रुप से वृद्धि नहीं करते, यदि हम अधिकाधिक निर्यातमूलक उत्पादन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को गति नहीं प्रदान करते तो हमारा विनाश की ओर अग्रसर होना अवश्यम्भावी है। इसे हम सहन नहीं कर सकते। हमारे देश में विदेशी धन कम क्यों आता है इस समस्या के कुछ पहलुओं का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। एक बात जिसकी मुझे चिन्ता है—मैं समुद्री-तट क्षेत्र का निवासी हूं—वह यह है कि खाड़ी के देशों में आने वाले आव्रजकों पर लगाई जाने वाली पाबन्दियां, जिसके साथ यह तथ्य भी जुड़ा

हुआ है कि गैर-निवासियों के लिए भारतीय बैंकों की ब्याज दर, खाड़ी के देशों, या इंगलैंड या स्विटजरलैण्ड की 14 प्रतिशत की तुलना में 7 प्रतिशत ही है। इन सब से, हमारे देश में आने वाली विदेशी मुद्रा में कमी होगी और इसलिए हमें अधिक निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा।

ऐसी और भी कुछ बातें हैं जिन्हें मैं अपनी निर्यातमूलक और निर्यातक-व्यापारी समुदाय की कार्यकुशलता के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे निजी उद्यमी निर्यातकों और यहां तक कि सरकारी क्षेत्र भी हमारी निर्यात अभिमुख फर्मों और कम्पनियों ने काफी सीमा तक विश्व में हमारे देश की तस्वीर खराब कर दी है। कुछ ही समय पहले हमें पता चला है कि चीन ने एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है जिसमें इस देश के निजी उद्यमियों या निजी उद्योगपतियों से कुछ न क्रय करने और न ही किसी प्रकार का व्यापार करने की बात कही गई है क्योंकि जिन दो गुजराती फर्मों से चीन ने निश्चित औपचारिक समझौता मशीनरी की सप्लाई के लिए किया था, उन्होंने इस छोटी सी बात के कारण मशीनरी भेजने से मना कर दिया है कि देश में उनके दाम बढ़ गए हैं। केवल निजी उद्यमी ही ऐसे नहीं है, बल्कि सरकारी क्षेत्र की फर्मों को भी दोषी ठहराया जा सकता है। सी० आई० एल० (कन्स्ट्रक्शन) इण्डिया लिमिटेड ने खाड़ी के एक देश में निर्माण कार्य के लिये लगभग 100 करोड़ रूपये का समझौता किया और इस समझौते को रद्द करना पड़ा क्योंकि जिस सामग्री की सप्लाई की गई वह घटिया पाई गई। ऐसी शिकायतें हैं जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है कि भारत से आने वाली सामग्री या उत्पाद या तो घटिया होती है या उनका समय पर भुगतान नहीं किया जाता। इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो लोग इस देश के व्यापारियों को बदनाम करते हैं, उन पर कुछ न कुछ पाबन्दियां तो लगानी ही पड़ेंगी।

मैं यहां एक निवेदन करूंगा कि जो उद्योग निर्यात-अभिमुख हैं, वे सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए जाने चाहिये। ऐसा एक उद्योग इलेक्ट्रानिक्स उद्योग है। हम जानते हैं कि इलैक्ट्रानिक्स ही एक ऐसा उद्योग है जिसके लिए यह देश उपयुक्त है और जिसका हमारे पास कौशल भी है। यह रोजगार अभिमुख यह प्रदूषण विमुक्त है और इसे देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि निर्यात के प्रयोजनार्थ इस उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान किया जाये।

स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रों के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे विचार से स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र मण्डलों के विरूद्ध भी पर्याप्त पक्षपात बरता गया है। ऐसा कहा जाता है है कि इससे तस्करी को बढ़ावा मिलता है। कुछ आंचलों में इसका विरोध भी किया गया है यदि आप उन स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रों मण्डलों का देखें, जो हमारे देश में बनाये गये हैं, तो हम पाते हैं कि कान्डला और सान्ता क्रूज इन दो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रों/मण्डलों की कार्य कुशलता सर्वाधिक उत्साहवर्द्धक रही है।

वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 35 पर कान्डला स्वतन्त्र व्यापार मण्डल के बारे में जो कुछ कहा गया है उसे मैं उधृत करता हूं:

"1978–79 के दौरान कांडला व्यापार क्षेत्र से 5.33 करोड़ रुपये के मूल्य के निर्यात के मुकाबले 1979–80 के दौरान इस क्षेत्र में 9.40 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ जो अब तक सर्वाधिक है।"

इस क्षेत्र में रोजगार में 2500 तक और यूनिटों की संख्या में 45 तक वृद्धि हुई है। 1980-81 में लगभग 20 और यूनिट आरम्भ होने की आशा है। यह कांडला क्षेत्र के संबंध में है। (व्यवधान)।

परन्तु अब ऐसी विचारधारा आ गई है कि कोई कारण नहीं है कि हम इसे अन्य स्थानों पर भी क्यों न रखें।

जहां तक सान्ताक्रुज क्षेत्र का संबंध है इस क्षेत्र में इस समय 33 उत्पादन यूनिट हैं। वर्ष 1979–80 में इस यूनिट ने वर्ष 1978–79 की तुलना में 11.14 करोड़ रुपए का उत्पादन किया और 10 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यह क्षेत्र 2000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है और भारत के इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात का 15 प्रतिशत यहां से होता है। इस क्षेत्र की 1974 में स्थापना से लेकर अब तक 25 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग हमारे देश के अनुकूल होने पर भी निर्यात के मामले में हमारा कार्यनिष्पादन वस्तुतः बहुत ही दयनीय रहा है।

अब जहां तक इलैक्ट्रोनिक्स का संबंध है, एशिया के देशों के निर्यात की वर्तमान प्रवृत्ति की तुलना यहां की जाए। हांगकांग का, जो एक छोटा-सा देश है, इलैक्ट्रोनिक्स का निर्यात 1040 करोड़ रुपए का है। दक्षिण कोरिया का 1120 करोड़ रुपए है। सिंगापुर का 800 करोड़ रुपए का है, जबकि भारत का जो कि इतना विशाल देश है यह केवल 40 करोड़ रुपए का है। यह वास्तव में चिन्ता का विषय है और इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए। मुझे आशा है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सरकार प्रोत्साहन देगी।

अन्त में, मैं जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति आयात-निर्यात बैंक की स्थापना के लिए समय-समय पर की गई मांग का उल्लेख करता हूं। यह कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की गम्भीर मुद्रास्फीति के समय इसी प्रकार के बैंक ने वहां की अर्थ-व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। जापान में युद्ध के पश्चात् इसी आयात और निर्यात बैंक के ढंग पर की गई व्यवस्था ने देश की अर्थव्यवस्था को दृढ़ आधार प्रदान करने में सहयोग किया।

कम निर्यात संभावनाओं को दृष्टि में रख कर यह कहा जाता है कि जब उद्योग के औद्योगिक विकास बैंक हैं और किसानों के वित्त पोषण हेतु 'एपेक्स एग्रीकल्चरल बैंक' है तो आयात-निर्यात बैंक क्यों नहीं होना चाहिए।

कार्यदल के संबध में श्री गोयल ने बहुत सी बातें कहीं हैं। इस पर विभिन्न रिपोर्टें हैं और एक रिपोर्ट तो उनकी अपनी सरकार को पेश की गई थी। जब श्री अलक्जेण्डर वाणिज्य मंत्रालय में सचिव थे। वास्तव में हम यह जानना चाहते हैं कि रिपोर्टों का क्या हुआ और निर्यात व्यापार को मौजूदा दलदल से बाहर निकालने की सरकार के पास क्या नीति है।

श्री एस० एम० कृष्ण (मांड्या) : सभापति महोदय, सभा की शुभकामना श्री प्रणव कुमार मुखर्जी के साथ है जिन पर हमारे देश के वाणिज्य मंत्रालय को चलाने की जिम्मेदारी है।

बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं और चुनौतियां भी कठिन हैं मैंने श्री गोयल को भी सुना है जिन्होंने कुछ समय के लिए पिछली सरकार में देश के वाणिज्यिक को एक स्वरूप देने में भूमिका अदा की थी। पिछली सरकार द्वारा जिस ढंग से निर्यात संवर्धन को लिया गया उसका उल्लेख करने के लिए मैं केवल वाक्य का प्रयोग कर सकता हूं कि 'इसकी सहज ही उपेक्षा की गई'।

हमारे निर्यात संवर्धन अभियान के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्ष कमी आई है और इसके लिए सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हम स्थिति को और भी अच्छी तरह तब समझ सकेंगे जब हम यह देखें कि पिछले दस या बारह वर्षों में निर्यात संवर्धन क्षेत्र में क्या हुआ है। वर्ष 1969-70 में हमारे कुल निर्यात का मूल्य लगभग 1438 करोड़ रुपए था। वर्ष 1979-80 में यह 6100 रुपए तक बढ़ गया। निर्यात में विभिन्नताएं होना अनिवार्य हैं। विश्व बाजार और विश्व प्रवृतियों के विभिन्न उतार-चढ़ावों को देखते हुए, कांग्रेस सरकार का निर्यात ईर्ष्या करने योग्य था। वर्ष 1974-75 और 1976 में इससे अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। निर्यात में वृद्धि हुई, और इन तीन वर्षों में प्रतिशत के शब्दों में लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मुझे आश्चर्य है कि हम यह प्राप्त करने में कैसे समर्थ हुए और वर्ष 1974, 1975 और 1976 में इतनी ऊंचाई तक उठ सके। मैं उसका श्रेय केवल अपनाई गई निश्चित नीति को देता हूं और जिससे निर्यात संवर्धन का उचित वातावरण बन सका। दूसरा क्षेत्र में अधिकतम क्षमता के उपयोग को देता हूं जिसे निर्यात उद्देश्यों के लिए उस समय तीव्र किया गया जब देश में उसकी मांग कम थी और विचारपूर्ण उपायों को भी देता हूं जिसने निर्यात अभियान के नए क्षितिज खोले यह बात सदैव याद रखने की है कि किसी देश का निर्यात देश के राजनीतिक और आर्थिक स्थायित्व पर निर्भर करता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब 1974-75 में सम्पूर्ण विश्व मुद्रास्फीति के समुद्र में गोते खा रहा था। हम मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को रोकने में सफल हुए जिसे देखकर विश्व भयभीत रह गया। मुद्रास्फीति जब 14 प्रतिशत चल रही थी और विश्व के कुछ देशों में 20 प्रतिशत थी तब हम इसे 11 प्रतिशत तक रोकने में सफल हुए। निर्यात विपणन के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। तत्कालीन सरकार निर्यात शुल्क उपलब्ध करा सकी जिसको कृषि वस्तुओं के लिए समायोजित किया गया था। निर्यात उद्देश्यों के लिए आयात की उदारतापूर्वक छूट दी गई और निर्यात संवर्धन के लिए निरन्तर चलने वाली और दीर्घकालीन आर्थिक सहायता दी गई।

वर्ष 1974 में विश्व अर्थव्यवस्था पर उस समय नए प्रकार के दबाव पड़े जब तेल-उत्पादक देशों ने तेल की कीमतों में वृद्धि कर दी।

हमारे मार्ग में नए अवसर आए और सम्पूर्ण मध्य-पूर्व बाजार एक ऐसे देश के लिए उपलब्ध था जिसके पास आवश्यक गतिशीलता और पहल की शक्ति हो। इस बात का श्रेय तत्कालीन सरकार को ही जाता है कि वर्ष 1973-74 में मध्य-पूर्व को हमारा निर्यात 159 करोड़ रुपए का रहा और 1976-77 में यह बढ़कर 600 करोड़ रुपए हो गया और विकास की मिश्रित दर 56 प्रतिशत रही जो कि कम उपलब्धि नहीं है। महोदय, हमारे निर्यात में हुई इस वृद्धि ने हमें, अपने निर्यात क्षेत्र में विभिन्नता और परिवर्तन लाने तथा इसका विस्तार करने में सहायता की और निर्यात करने के लिए हमारे पास अब ेर अधिक वस्तुएं हो गई।

अब मुझे खेद है कि 1974-75 और 1976-77 में जो पहल की गई थी वह जनता सरकार के सत्ता में आने पर समाप्त हो गई। मैं श्री मोहन धारिया को जो इस समय अपना बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हैं और मेरे प्रिय मित्र हैं दोष नहीं देना चाहता। परन्तु कार्यनिष्पादिता को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना होगा ताकि हम शिक्षा ग्रहण कर सकें और आगे बढ़ सकें।

सूती वस्त्रों और सूती वेश-भूषा के निर्यात में कमी आई। चमड़े और चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई। लोहे और इस्पात का निर्यात कम हुआ और तिलहन के उत्पादन में कमी निर्यात में कमी का कारण रही और इन वर्षों में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त इकाई मूल्यों में भी गिरावट आई।

यह भी एक उपयुक्त कारण है जिसे हमें याद रखना होगा कि निर्यात को यूं ही बढ़ाया नहीं जा सकता न ही केवल इच्छा मात्र से किया जा सकता है। प्रभावशाली निर्यात संवर्धन अभियान चलाने के लिए हमें अपने कुछ आन्तरिक पहलुओं की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्युत, रेलवे, परिवहन और नौवहन तथा पत्तनों पर तंगी आदि कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर हमें पिछले छः महीनों की अपेक्षा अधिक गम्भीरता से विचार करना है।

पिछले तीन वर्षों में मैंने यह भी देखा है कि कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक कूटनीति में अत्याधिक असफलता का मुंह देखना पड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और हमारे व्यापारिक साझियों को गुणवत्ता निर्यात कार्य-क्रमों के संबंध में पुन: आश्वासन देना होगा और केवल तभी हम अपनी साख स्थापति कर पाते। [हमें प्राप्त अवसरों का अन्य देश लाभ उठा रहे हैं।

(श्री हरिनाथ मिश्रा पीठासीन हुए)

यूरोपीयन आर्थिक समुदाय के साथ हमारे संबंध कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए चिन्ता का विषय हैं। चीन भी यूरोपीयन आर्थिक समुदाय में अपनी उपस्थिति का मान करा रहा है। आगामी महीनों और वर्षों में चीन कई वस्तुओं विशेषकर इंजीनियरिंग वस्तुओं में हमारे सबसे बड़े प्रतिस्पद्धियों में से एक होगा।

इस समय निर्यात संवर्धन प्रयासों में वृद्धि हेतु हमें एक व्यापक और प्रभावशाली नीति बनाने की आवश्यकता है। मैं सुझाव देता हूं कि स्वयं वाणिज्य मंत्री विभिन्न पहलुओं से निर्यात संवर्धन के सम्पूर्ण मामले पर विचार करें। इसमें एक तो मध्य अवधि और दूसरी दीर्घ अवधि नीति है। मध्यावधि नीति यापार सन्तुलन को तत्काल बराबर लाने के लिए और दीर्घावधि नीति निर्यात प्रयासों को अब तक दिए गए आधार से दृढ़तर आधार प्रदान करने के लिए होनी चाहिए। यह भी याद दिलाना हमारे लिए आवश्यक है कि देश की स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना होगा। मैं केवल एक अल्युमीनियम का उदाहरण देता हूं मुझे बताया गया कि हम 550 करोड़ का आयात कर रहे हैं। क्या स्थापित क्षमता की, चाहे वह निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में हो और जिसकी केवल 50 प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है। कभी पूरा उपयोग किया गया है। यदि पूर्ण क्षमता का प्रयोग करना है तो तब ऊर्जा और विद्युत का प्रश्न आ जाता है।

अब व्यापार केन्द्र की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे बहुत से व्यापार केन्द्र हैं जिसका प्रबन्ध वाणिज्य मंत्रालय के हाथ में है। ये व्यापार केन्द्र भी कुछ ऐसे केन्द्र होने चाहिए जो विदेशों के बाजार में कुछ पुनर्निवेश कर सकें। और इस प्रकार यदि व्यापार केन्द्र विदेशी बाजारों में पुनर्निवेश का आश्वासन दे सकें तो तब यह आवश्यक हो जाता है कि विदेशी बाजार में वस्तुवार विशेषज्ञ ठेके के आधार पर रखे जाएं ताकि हम एक सार्थक निर्यात संवर्धन अभियान चला सकें। इसलिये उनका सम्पर्क है। मुझे प्रतिवेदन से मालूम हुआ है कि चाय के हमारे निर्यात से हमें कुछ चिन्ता हो रही है। अब हमारे कुछ कड़े प्रतियोगिओं में से श्रीलंका, केन्या तथा चीन हैं। मुझे मालूम हुआ है कि श्रीलंका मिश्रित चाय तैयार कर रहा है। अब मुझे इस बात का आश्चर्य है कि यदि इस देश में चाय की घटिया किस्म का आयात करने के बाद मिश्रित चाय को उस बढ़िया चाय के साथ मिलाया जा रहा है जिसका हम अपने देश में उत्पादन करते हैं और यदि इस का फिर निर्यात किया जाता है तो उससे हमें अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी। मैं मंत्री महोदय से इस बात पर विचार करने के लिए सिफारिश करूंगा कि टी बोर्ड को मिश्रित चाय परियोजना की स्थापना करनी चाहिए ताकि निर्यात प्रोत्साहन विश्व प्रवृतियों के अनुसार हो सके।

श्रीमान्, संसाधित खाद्य पदार्थ के बारे में बातचीत करते हुए मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि इस देश के संसाधित खाद्य पदार्थ निर्माताओं ने भारत सरकार से अपने निर्यात प्रोत्साहन कार्यों के लिए निर्धारित किये जाने के लिये लगभग 8,000 मी० टन लेवी चीनी की मांग की है वर्तमान वितरण के अन्तर्गत मुझे विश्वास है कि भारत सरकार उन्हें अपेक्षित चीनी देने की रूचि नहीं रखती है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का मार्गदर्शन केवल प्रतियोगी मूल्यों द्वारा होता है और हमारे देश में खाद्य पदार्थ संसाधित करने वाले के लिये यदि उन्हें खुले बाजार से चीनी खरीदनी पड़ी तो उनकी उत्पादित वस्तुएं विश्व स्तर पर निश्चित रूप से पर्याप्त प्रतियोगी नहीं होगी। अतः यदि भारत सरकार को उन्हें 8,000 टन चीनी उपलब्ध करनी होती तो प्राप्त होने वाली शुद्ध विदेशी मुद्रा 20 करोड़ रुपये होती। यह एक समस्या है जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

श्रीमान्, काजू के बारे में, मुझे मंत्री महोदय का ध्यान उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करना है जो केरल के मुख्य मंत्री ने तथा उस वक्तव्य की ओर भी जो संचार मंत्री श्री स्टीफन ने काजू व्यापार के बारे में दिया था। काजू बड़ी दुष्प्राप्य वस्तु है। यह न तो मुफ्त उपलब्ध है और न ही पैसे से। मुझे भारत के काजू संसाधित करने वालों की कठिनाइयां मालूम हैं। उन्हें अफ्रीका के देशों तथा किंहीं अन्य देशों से कच्चा काजू प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली है।

यदि वे कच्चा काजू प्राप्त करने में असमर्थ हैं और यदि कुछ अन्य गैर-सरकारी दल काजू प्राप्त करने में सफल हुये हैं और वह भी केवल कारखानों में संसाधित करने तथा उसके बाद पुनः निर्यात करने के प्रयोजनों के लिये तो मुझे इस प्रकार की योजना का विरोध करने में कोई तर्क अथवा युक्ति नजर नहीं आती है। मुझे वाणिज्य मंत्रालय के प्रयासों की अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। पिछले तीन महीनों में वे देश में 5,000 टन काजू प्राप्त करने में सफल हुये तथा मुझे मालूम नहीं है कि क्या इसे संसाधित कर लिया गया है या पुनः निर्यात कर दिया गया है। इस विषय पर जो केरल के मुख्य मंत्री महसूस करते हैं उस पर ध्यान दिये बिना मैं समझता हूं कि देश के हितों की यह मांग है कि हमें इस उद्यम का समर्थन करते रहना चाहिये चाहे यह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर सरकारी क्षेत्र में हो। विचारधाराओं को हमारे देश में संवर्धन निर्यात के रास्ते में नहीं आना चाहिए।

श्रीमान्, प्रतिदिन हम मंत्रियों तथा सांसदों के भाषण सुनते हैं कि निर्यात-अभिमुख अथवा आयात्त-विकल्प लघु उद्योगों के लिये सभी प्रोत्साहन दिये जाने वाले हैं। हर वर्ष वाणिज्य मंत्रालय उन विभिन्न मदों का पुनरीक्षण तथा परिशोधन करता है जो खुले सामान्य लाइसैंस के अन्तर्गत आते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब लघु उद्योग---चाहे वह कितना भी छोटा हो इस बात पर ध्यान दिये बिना---वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष यह दावा करता है कि वह ऐसी वस्तु बना रहा है जो आयात विकल्प से तैयार है और जो विदेशी मद्रा की बचत करती है तो ऐसे उद्योगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा और वाणिज्य मंत्रालय को भी अवश्य गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जब किसी ऐसे लघु उद्योग का मामला वाणिज्य मंत्रालय में आता है तो उस पर मध्यम या बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा अधिक साहनुभति से विचार किया जाना चाहिए।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उन दबावों के विचार से जो हमारी अर्थ-व्यवस्था पर डाले गये हैं यह स्वाभाविक है कि वाणिज्य मंत्रालय को मुख्य भूमिका निभानी पड़ेगी। इसे हमारे देश के आर्थिक भाग्य निर्माण करने में मुख्य भूमिका अदा करती है। यदि एक देश आर्थिक रुप से सुदृढ़ है तो उसके बाद ही राष्ट्रों के समूह में उसे अधिक आदर मिलेगा।

चूंकि श्री प्रणव मुखर्जी ने इस मंत्रालय का भार अभी संभाला है इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि हमारे देश के निर्यातकों के तथा बाहरी व्यापारिक भागीदारों के बीच अधिक विश्वास उत्पन्न करने के लिए या तो इस पत्र में या आगामी सत्र वे एक है में श्वेत पत्र प्रकाशित करे जिसमें उस विशष नीति का विषलेशण हो जिससे वे यह आशा करते है कि एक बड़े निर्यात अभियान का विकास होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) :--मंत्री महोदय वाणिज्य मंत्रालय से सम्बंधित मांगों की स्वीकृति के लिये सभा के समक्ष आए हैं। इस मंत्रालय का व्यापार अन्तर अत्याधिक है। 2233 करोड़ रु० का व्यापार में विपरीत संतुलन है। पिछले वर्ष का आयात बिल 24.7 प्रतिशत अधिक हो गया है। चाय, इजीनीयरी वस्तुएं, लोह तथा इस्पात और अन्य सभी वस्तुओं जैसे निर्यात मदों के बारे में लगभग 500 करोड़ रूपये पिछले वर्ष के अपेक्षा कम हो गये हैं। इस क्षेत्र में यह विशेष स्थिति है। तेल में मूल्य वृद्धि के कारण भी व्यापार का यह प्रतिकूल संतुलन फिर बढ़ जायेगा। ऐसी स्थिति में नीति क्या होनी चाहिए? व्यापार के इस अन्तर को कम करने के लिये अब हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए? अब विचार करने के लिये यही अत्याधिक महत्वपूर्ण बात है। आधिकाशत: हमारे व्यापारिक संबंध विकसित देशों के साथ हैं। वे स्वयं ही बड़े पूंजीवादी देश संकट से पीड़ित हैं। परन्तु वे असमान व्यापारिक संतुलन के माध्यम से विकासशील देशों पर भार डालना चाहते हैं। हमारी सरकार दावा करती है कि इन मामलों के संबंध में इस की स्वतंत्र स्थिति है परन्तु आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा विश्व बैंक ऋणों पर निर्भर हैं। आप के इन पूंजीवादी देशों के साथ बहुत से अन्य व्यापारिक संबंध हैं। और यदि आप इस समस्या से छूटकारा पाना चाहते हो तो आपके व्यापारिक संबंधों में परिवर्तन होना चाहिए। केवल यही नहीं होना चाहिए। आप को सोशलिस्ट देशों तथा विकासशील देशों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में समर्थ नहीं हो पायेगें।

हमारे आयातों के संबंध में भी हमें युक्ति संगत नीति रखनी चाहिए। बहुत सी विलासिता की वस्तुए हैं जिनके आयातों को हम कम कर सकते हैं। हमें मालूम है कि कुछ अनावश्यक वस्तुओं

का आयात किया जा रहा है। मैं रबड़ का उदाहरण दे सकती हूं। पिछले वर्ष तथा उससे पहले वर्ष के दौरान रबड़ का आयात किया गया था। रबड़ की आवश्यकता के बारे में एक बढ़ा कर हिसाब दिया गया था। निर्माताओं ने रबड़ की आवश्यकता के बढ़े हुए आंकड़े दिऐ। ये उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ बिजली की कमी तथा अन्य कारणों से कार्य नहीं कर रहे थे। परतु फिर भी उन्होंने स्थापित क्षमता को हिसाब में लिया और उस स्थापित क्षमता के अनुसार उन्होंने रबड़ की अपनी आवश्यकताओं के बारे में अपने बढ़े हुए आंकड़ों की गणना की। हमने पिछले वर्ष तथा उससे पहले वर्ष रबड़ का आयात किया था। अब लगभग 11,000 टन रबड़ राज्य व्यापार निगम के भंडारों में बिना बिक्री पड़ा हुआ है। जब कि हमारा प्रतिकुल व्यापार संतुलन है, तो हमें विदेश से रबड़ का आयात क्यों करना चाहिए। इस विशेष उद्योग की जांच करने के लिए एक तथ्य में पता लगाने वाली समिति का होना मैं आवश्यक समझती हूं। और जहां तक रबड़ का संबंध है देश की अर्थव्यवस्था के लिये कितनी आवश्यकता है का पता लगाने के लिए एक तथ्य-पता लगाने वाली समिति का होना मैं आवश्यक समझती हूं। अब, हम पहले ही लगभग 11,000 टन रबड़ राज्य व्यापार निगम के भंडारों में प्राप्त कर चुके हैं। इसका अर्थ है कि देश में बड़े उद्योग इतनी रबड़ का प्रयोग नहीं करते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हम रबड़ का उत्पादन देशी ढंग से करते हैं और अधिकाधिक रबड़ का उत्पादन करने के लिए हमारे पास प्रत्येक सुविधा है। परन्तु हमारे उत्पादक रबड़ का उत्पादन करने के इच्छुक नही हैं क्योंकि उनकी उत्पादित वस्तु के लिये बाजार में मूल्य कम हो रहा है और वास्तव में उद्योगपति सरकार की नीति का निर्धारण कर रहे हैं। यदि रबड़ तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य आन्तरिक बाजार में बढ़ते हैं तो वे देशी उत्पादकों का शोषण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिए वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं ताकि बाजार में यह उत्पादित वस्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके। मूल्य कम हो जाएंगे। इस तरह से देश में रबड़ के उत्पादकों को अपनी उत्पादित वस्तु का सही मूल्य नहीं मिल सकेगा। उत्पादक वर्तमान सरकारी नीति के कारण पीड़ित हो रहे हैं।

अब केरल और कर्नाटक में लगभग 3,000 टन कोका का वार्षिक उत्पादन होता है। परन्तु वर्तमान आकड़ों के अनुसार केवल 2,000 टन पैदा होता है।

हम इस वस्तु का भी आयात कर रहे हैं। हमने इस वस्तु को आयात किए जाने का निर्णय कर लिया है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार ने इस वस्तु का आयात किए जाने की पहले ही स्वीकृति दी है अथवा नहीं।

कल, जायफल और लौंग का आयात किए जाने के सम्बन्ध में एक प्रश्न रखा गया था। मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर यह था कि कुछ मात्रा में ये वस्तुएं आयात की गई हैं। केरल तथा उसके अन्य दूसरे पड़ौसी राज्यों में इन वस्तुओं के उत्पादक अपने माल को बेचने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं। इनकी कीमतें नीचे जा रही हैं। जब ऐसी स्थिति है तो इन वस्तुओं का आयात किए जाने की क्या आवश्यकता है? जब मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि इन वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं तो मंत्री महोदय ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की जानकारी भी नहीं है कि कितनी मात्रा में ये वस्तुएं हमारे देश में उत्पादित की जाती है। इन सभी वस्तुओं के बारे में मंत्री महोदय को पर्याप्त जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कि देश में उनका कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, देश के विभिन्न उद्योगों में उन वस्तुओं की कितनी अवश्यकता

है आदि । इन वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा दिए गए सांख्यिकीय आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर बताए गए हैं । क्या आप एक समिति नियुक्त करने और यह पता लगाने के लिए तैयार हैं कि हमारे देश की खपत के लिए इन वस्तुओं की कितनी मात्रा की आवश्यकता है । यदि इनमें से किसी वस्तु का अभाव है और यदि उद्योगों को चलाने के लिए यह पूरी तरह आवश्यक हो जाता है, केवल तभी इन वस्तुओं को आयात किया जाना चाहिए । अब, जबकि हम अपने देश में इन वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, तो फिर विदेशों से उनका आयात किए जाने की क्या आवश्यकता है ? हमारे पास युक्तिसंगत नीति नहीं है । सरकार की वर्तमान नीति को तत्काल बदला जाना चाहिए । बड़े उद्योगपति सरकार की नीतियों को नियंत्रित कर रहे हैं । वास्तव में आपको देश के विकास की चिन्ता नहीं है । आपको मजदूरों अथवा उत्पादकों के कल्याण की चिन्ता नहीं है । हम हर चीज इस बात को सामने लाते हैं । उदाहरण के लिए, चाय उत्पादन को लीजिए । हमारे देश में चाय का उत्पादन कम हो गया है । अब आपके पास चाय के उत्पादन को बढ़ा कर अगले बीस वर्ष में लगभग दुगुना करने की योजना है । पिछले 160 वर्ष में जितना उत्पादन किया है, उतना उत्पादन वे 20 वर्ष में करने जा रहे हैं । आपने कहा है कि पुनः चाय बागान लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । परन्तु व्यवहार में हो यह रहा है कि चाय बागान पुनः नहीं लगाए जा रहे हैं । मजदूर भी कष्ट झेल रहे हैं । उस सम्बन्ध में आपने क्या किया है? कार्य की यह वर्तमान स्थिति है । ब्रुक ब्रांड, लिप्टन तथा अन्य बड़ी कम्पनियों द्वारा चाय उत्पादकों का शोषण किया जा रहा है । उनमें से कुछ उत्पादक भी हैं, परन्तु मुख्य रूप से वे चाय को तैयार करने आदि का व्यवसाय करती हैं और ऊंचे मूल्यों पर चाय की बिक्री कर रही हैं । यदि वे चाहें तो इनके मूल्यों को कम भी कर सकते हैं । वास्तव में, ये बड़ी व्यापारिक कंपनियां चाय के मूल्यों के संबंध में एक निर्णायक भूमिका अदा करती हैं । जब नीलामी मूल्य केवल 11 रुपए या 12 रुपए प्रति किलो है, ये वितरण कम्पनियां खुदरा मूल्यों को कम नहीं करतीं । निम्न दर्जे की चाय भी 20 या 22 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर बेची जाती हैं । इसके अतिरिक्त धनराशि (मार्जिन) वितरकों के पास रह जाती हैं और उत्पादक तथा उपभोक्ता इस प्रक्रिया में परेशानी झेल रहे हैं । इन सब बातों पर कोई नियंत्रण नहीं है । नीति इन बड़ी कम्पनियों की सहायता करने की है । हर जगह यही किया जा रहा है ।

अब, कपड़ा उद्योग का उदाहरण लीजिए । वहां क्या हो रहा है ? आप रुग्ण मिलों को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं और उनके ऊपर इतना अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। किन कारणों से ये मिलें रुग्णावस्था में पहुंची ? वे पुरानी मशीनों को बदलने के लिए अपने मुनाफे में से धनराशी का व्यय वहन कर सकते हैं, परन्तु वे समय पर ऐसा नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप, उत्पादन में हानि होती है और कहते हैं कि वह इकाई रुग्णावस्था में पहुंच गई है और वे इसे लाभदायक रूप से चलाने की स्थिति में नहीं हैं। तब, सरकार पहल करती है और उस इकाई को अपने नियंत्रण में ले लेती है । आप कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते ? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई मांगों में यह हमारी एक मांग थी। कपड़ा मिलों तथा अन्य दूसरे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। आपको देश के मजदूरों या उत्पादकों के बारे में चिन्ता नहीं है। अब इसी नीति का अनुकरण कर रहे हैं।

इसके बाद, मैं कहूंगा कि निजी लोगों को काजू आयात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय काजू निगम विदेशों से काजू का आयात क्यों नहीं कर सकता ? ऐसा नहीं लगता कि उनमें ऐसा करने की कोई इच्छा है। अब, केरल सरकार ने कहा है कि केरल काजू निगम काजू का व्यापार शुरु करने के लिये तैयार है। क्या आप निजी लोगों को

आयात करने की अनुमति देना बंद करने के लिए तैयार हैं? काजू निगम अफ्रीकी देशों के बाजारों में जाने और माल खरीदने के लिये तैयार हैं। उन्हें इस पर अपना एकाधिकार रखना चाहिए। काजू निगम द्वारा काजू के इस व्यापार के प्रवाह को रोका नहीं जाना चाहिए। तभी काजू व्यापार निगम इस बारे में कार्य करेगा। लेकिन आप ऐसा किए जाने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि आप निजी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

नारियल-जटा-उद्योग के संबंध में भी ऐसा ही है। नारियल-जटा उद्योग, उद्योग विभाग के अन्तर्गत है परन्तु आप नारियल-जटाओं का निर्यात करते हैं। नारियल-जटा बोर्ड ने नारियल की जटाओं का निर्यात करने की जिम्मेदारी ली है परन्तु आप इसके लिये एक दूसरी निर्यात संवर्द्धन परिषद बनाने जा रहे हैं क्योंकि उद्योगपति अनुभव करते हैं कि चूंकी सरकारी उपक्रम इस क्षेत्र में कार्य करने लगे हैं, और वह उद्योग की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया है। वे महसूस करते हैं कि वे नारियल-जटा बोर्ड के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते, इसलिये वे अपनी एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् चाहते हैं। यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

यदि आप वास्तविक उत्पादकों, और वास्तविक मजदूरों की सहायता करना चाहते हैं तो समूची नीति को बदला जाना चाहिए। हमें नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए, और पूंजीवादी तथा विकसित देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें समाजवादी देशों के साथ संबंध बनाने चाहिए। समाजवादी देशों के साथ हमारा व्यापार हमें लाभदायक सिद्ध रहा है। विकासशील समाजवादी देशों के साथ भी हम अपने संबंधों का विकास कर सकते हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : सभापति महोदय, मैं जूट की पैदावार करने वाले एक राज्य से निर्वाचित होकर आया हूं, इसलिये मैं निर्यात संवर्द्धन के प्रयासों के संबंध में कुछ कहने से पहले जूट उद्योग की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। प्रारंभ में मैं कहूंगा कि अकेले जूट उद्योग की जनता-लोकदल शासन के गत तीन वर्षों से अधिक से उपेक्षा की जाती रही है। जूट नीति के संबंध में उपेक्षा वाले विषयों में यह बातें आती हैं—कच्चे माल का प्रश्न, मशीनरी की उपलब्धता और साथ ही देशी बाजार और निर्यात दोनों ही के लिये जूट उत्पादों की उत्पादकता और विपणन भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

कच्चे जूट के संबंध में, अधिक पैदावार के कारण हुई अधिक सप्लाई के लिये प्रथमतः उसकी खपत की व्यवस्था नहीं की गई थी। गत दो वर्षों के दौरान कच्चे जूट की अधिक सप्लाई से मूल्यों पर होने वाले दवाव को कम करने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया था। निर्यात किये जाने की व्यवस्था करके अथवा नई जूट मिलों के लाइसेंस देकर ऐसा किया जा सकता था। निर्यात अनुमति के साथ शर्तें लगा दी गईं जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्री असंभव हो गई। जूट पैदा करने वाले राज्यों की सरकारों द्वारा नए जूट मिल स्थापित करने के अनुरोधों को इस दलील के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि रेशे अपेक्षित किस्म के नहीं थे।

रेशे की किस्म को सुधारने के लिये अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बांगला देश के साथ प्रभावशाली रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये जूट के रेशे की किस्म को उन्नत किया जाना है। यह भी आवश्यक था कि आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और बिहार जैसे राज्यों में,

जो कि केवल निम्न दर्जे की किस्मों का उत्पादन करते हैं और फलस्वरूप कम मूल्य प्राप्त करते हैं, उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। यह कमी अधिकांशतः इस कारण से रही है कि सघन जूट क्षेत्र विकास कार्यक्रम को उस उत्साह के साथ कार्यान्वित नहीं किया गया जिस तरह की खाद्यान्नों से संबंधित ऐसे ही कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया था। विस्तार सेवाओं, निवेश की समय पर सप्लाई, कम से कम 50 प्रतिशत उच्च कोटि का उत्पादन कर रहे किसानों को सहायक निवेश राशि और उचित मूल्य प्रोत्साहनों को किसानों को रेशे की किस्म सुधारने के लिये प्रेरित करने के लिये उपयोग में लाया जा सकता है।

तीसरी बात यह है कि सहकारी ऋण और विपणन को परस्पर सम्बद्ध करने में असफलता रही है। उपयुक्त नीति में इस बात की अवश्य व्यवस्था की जानी चाहिए कि ग्राम सहकारी विपणन समिति को कृषि संबंधी कार्यों के लिये ऋण देना चाहिए, किसानों के यहां जाकर फसल एकत्रित करनी चाहिए और राज्य स्तर के अग्रणी विपणन संघों के माध्यम से इसको बाजार में पहुंचाना चाहिए। इस पहलू की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है।

मशीनों तथा कम उत्पादकता वाली मशीनों के निर्माता लगातार कठिनाई में रहे। उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान संस्थापित क्षमता का उपयोग आशा के अनुकूल करने के लिये मशीन निर्माताओं पर दबाव नहीं डाला गया।

इसके अलावा, भारी आयात शुल्क एक गंभीर बाधा था। इस तथ्य के बावजूद कि आयातित मशीनरी पर प्रारंभिक कीमत स्थानीय तौर पर निर्मित इकाइयों की कीमत से ढाई गुना अधिक थी, कानून में जूट मशीनरी के आयात पर 52 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान किया गया। यह अन्तर काल्पनिक है क्योंकि इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में कोई भी आयात नहीं किया जा सकता।

इसी तरह, सहायक उद्योगों को सहायता दिये जाने के संबंध में कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई। सहायक उद्योग स्थापित किये जाने को समय पर प्रोत्साहित नहीं किया गया और उचित मूल्य पर कच्चे माल की सप्लाई, अनेक छोटे पैमाने के इंजीनियरी कारखानों, जो कि विभिन्न प्रकार के पुर्जे और यंत्रों के निर्माण में संलग्न हैं, के लिये तकनीकी मार्ग-निर्देशन और गुण नियंत्रण का आश्वासन नहीं दिया गया।

इसके अलावा, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने ऐसी इकाईयों के, जिन्हें सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, आधुनिकीकरण के लिए ऋणों के प्रार्थनापत्रों पर धीमी गति से कार्य किया है। उनका आग्रह रहा है कि पहले सरकार उनके इक्विटी आधार पर धन लगाकर दृढ़ बनाये। आधुनिकीकरण में विलम्ब से इन कारखानों का आर्थिक दृष्टि से बना रहना संभव नहीं है। मेरे राज्य में कच्छार जूट मिल की, जिसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, यही स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय आधुनिकीकरण के लिए इस मिल की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे।

पटसन उद्योग में, उत्पादिकता की दृष्टि से फालतू श्रमिक कार्यक्षमता में बाधक होते हैं। 'बिना हानि पहुंचाये युक्तिकरण के क्रमिक कार्यक्रम' को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इस कार्यक्रम को यथा संभव तेजी से तथा पूरे बल से चलाया जाना चाहिए।

उसी प्रकार स्वदेश में पटसन की विपणन सुविधाओं में सुधार लाने एवं निर्यात को बढ़ावा देने में उपेक्षा बरती गई है।

प्रथमतः सट्टे का धन्धा इस उद्योग के लिए मुख्य हानिकारक रहा है। फिर भी पटसन के वायदा-व्यापार पर रोक का विरोध किया गया जबकि सूती वस्त्रों के बारे में भिन्न नीति अपनायी गई है।

दूसरे, निर्यात संवर्धन कार्य पूर्णतया पटसन मिलों के प्रयत्नों पर छोड़ दिया गया है। उद्योग पुराने सम्बन्धों पर निर्भर कर रहा है तथा इन्होंने राष्ट्रीय हित में कोई पहल नहीं की है। जब बाजार उनके अनुकूल होता है तो वे शोषण करते हैं तथा जब प्रतिकूल होता है तब सरकार के पास सहायता के लिए पहुंचते हैं। बंगलादेश तथा कृत्रिम कपड़े से चुनौती का सामना करने का साहस उन्होंने नहीं किया है।

तीसरे, विलम्ब से माल दिए जाने तथा नमूने के अनुरूप माल न दिए जाने के बारे में आयातकर्ताओं की शिकायतों को कम करने के उद्देश्य से सीधे आयातकर्ताओं अथवा उपभोक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया है।

चौथे, नए बाज़ारों का पता लगाने अथवा गैर-परम्परागत मदों के उत्पादन में विविधता लाने में उद्योग की सहायता करने में सरकार द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं किए गए। नकद सहायता योजना अनुदान के रूप में चलायी जाने के स्थान पर निर्यात निष्पत्ति में कार्य कुशलता से जोड़ी जा सकती थी।

अन्ततः, उद्योग को अनुसन्धान के परिणामों से लाभ उठाने के लिए बाध्य करने के लिए कोई सराहनीय प्रयास नहीं किया गया। अनुसन्धान संस्था द्वारा परियोजनाओं को चालू किया गया है। एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है परन्तु उनके परिणामों को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया है कि इस पर पूंजी लगाने अथवा उत्पादन माध्यमों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, पूर्वोक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है, कि पिछले दो तीन वर्षों में पटसन उद्योग की भारी उपेक्षा की गई है तथा जितनी जल्दी इन क्षेत्रों की शिकायतों को दूर किया जाये उतना अच्छा है। हम इस बात को भुला नहीं सकते कि पटसन भारत के प्राचीनतम उद्योगों में से एक होने के अलावा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पूर्वी भाग में बहुत से कृषकों को रोजगार भी देता है। हमें उम्मीद है कि हमारे वाणिज्य मन्त्री पटसन उद्योग सम्बन्धी इन सभी पहलुओं के बारे में एक विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

मैं निर्यात संवर्धन प्रयत्नों के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। घटती हुई विदेशी मुद्रा रिजर्व के कारण निर्यात संवर्धन कार्यक्रम का विशेष महत्व है। आयात में निरन्तर वृद्धि एवं निर्यात में अपर्याप्त वृद्धि के कारण शोधन संतुलन की स्थिति खराब चल रही है। जबकि आयात में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है, निर्यात केवल 8 प्रतिशत बढ़ा है तथा 1979-80 में व्यापार में 2200 करोड़ रुपए का अंतर है। हमें भय है कि तेल, उर्वरक, तिलहन के मूल्य में वृद्धि जोकि, कुल आयात का 2/3 होता है, से यह व्यापार अन्तर और भी बढ़ेगा। हमें परम्परागत वस्तुओं जैसे चाय, पटसन अथवा ऐसी अन्य

वस्तुओं के मामले में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है । परिस्थिति की मांग है कि देश की निर्यात क्षमता को बढ़ावा दिया जाये।

मैं नई आयात नीति का स्वागत करता हूँ क्योंकि इससे स्वदेशी क्षमता बढ़ती है तथा निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है । आयात में पूंजीगत वस्तुओं, उद्योगों तथा आवश्यक कच्चे माल पर बल है, जोकि सही हैं।

इस बजट में लघु उद्योगों को कुछ ठोस रियायतें दी हैं। जबकि कुछ मित्रों ने निर्यात के विकास के लिए कई क्षेत्रों का सुझाव दिया है, मैं लघु उद्योग क्षेत्र से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा दी गई रियायतों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाये। मैं समझता हूँ कि 1979 में नियुक्त तदोद्देश्यीय दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसमें दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन निर्यात संवर्धन नीतियां बनाने का सुझाव दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पहलू पर तुरन्त ध्यान देगी। सरकार ने निर्यात के लिए उदार सहायता तथा प्रोत्साहन दिया है। उनका सही उपयोग किया जाना चाहिए तथा विदेशी बाजारों को खोजने तथा विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आन्तरिक मूल्यों से अधिक हैं। परन्तु इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि भारत निर्यातकर्त्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाये और इसे कायम रखे ।

मेरे मित्र श्री फैलीरो ने इस बारे में प्राप्त कई शिकायतों का उल्लेख किया है। शिकायतों में खराब किस्म, विलम्ब से माल दिए जाने, मिलावट, कम वजन, तथा दिए गए नमूनों से घटिया स्तर का माल दिए जाने की शिकायतें सम्मिलित हैं। सरकार को ऐसी विश्वसनीय मशीनरी तैयार करनी चाहिए जो माल की किस्म तथा उसके वितरण कार्यक्रम पर नियंत्रण रख सके ताकि हमारी प्रतिष्ठा दृढ़ता से स्थापित हो सके। मुझे पता चला है कि करोड़ों मोर-पंखों के आर्डर कृषि मन्त्रालय के पास पड़े हुए हैं। ऐसे ही अन्य मन्त्रालयों में आर्डरों की वैसी ही स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि वाणिज्य मन्त्रालय कृषि तथा अन्य मन्त्रालयों के साथ इस मामले को उठायेगा । निर्यात से बचे माल के लिए सूझबूझ से योजना बनाई जानी चाहिए तथा निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन पर सभी नियंत्रण हटाये जाने चाहिए। कुछ समस्याग्रस्त देशों द्वारा हाल ही में संरक्षण की नीतियां अपनाये जाने के कारण हमारी समस्या अधिक जटिल हो गई है। इस वर्ष अगस्त में बुलाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन हमारे देश तथा तृतीय विश्व देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की नई नीति तैयार की जायेगी ताकि उत्तर-दक्षिण की विरोधपरक वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाया जा सके। हमें उम्मीद है कि विकसित देशों को संस्थागत सुधार करने के लिए राजी किया जायेगा जिससे विकासशील देशों की आर्थिक कठिनाइयों के समाधान का रास्ता निकल सके तथा उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। इस खोज में विकासशील देशों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। तथा एक साझी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पहले दो विकास दशकों की विफलता से विकसित देश यह समझ पायेंगे कि सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता जोकि पूरी तरह नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करती है।

श्रीमान, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे योग्य वाणिज्य मन्त्री यहां पर उठाई गई समस्याओं का ध्यान रखेंगे तथा हमारे देश का निर्यात बढ़ाने के लिए अविलम्ब आवश्यक कुछ प्रयासों की ओर विशेष ध्यान देंगे।

सभापति महोदय : वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में कटौती प्रस्तावों की, जिनको सम्बन्धित सदस्यों से प्राप्त पर्चियों के आधार पर प्रस्तुत किया गया मान लिया गया है, संख्या दर्शाने वाली एक सूची सदस्यों की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है।

यदि किसी सदस्य को इसमें कोई त्रुटि दिखाई दे तो वह कृपया इसे तत्काल सभा-पटल अधिकारी के ध्यान में लाये।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

निर्यात आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (1)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

भारत में रबड़ की खेती की सहायता के लिए प्राकृतिक रबड़ का आयात रोकने में असफलता। (2)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

हथकरघा उद्योग को संरक्षण देने में असफलता। (4)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

सरकार द्वारा निजी फर्मों को कच्चे काजू का आयात करने की अनुमति देना, जबकि पहले इसके आयात का एकाधिकार राज्य व्यापार निगम की एक सहायक सी० सी० आई० को प्राप्त था। (5)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

जूट उत्पादों को लाभकारी मूल्य देने में असफलता। (6)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

बड़े जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (7)

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

गिरिडीह-दोमचाने, झुमरी तलैया और अन्य स्थानों पर स्थित अपने कार्यालयों और फैक्टरियों के दिन प्रतिदिन के कार्य के दिशा निर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए 'मिटको' के मुख्यालय को पटना से गिरिडीह स्थानान्तरित करना। (10)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

अभ्रक व्यापार में लगे कमजोर वर्ग को सहायता देने में 'मिटको' की असफलता। (11)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

अभ्रक खान मालिकों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि विदेशी मुद्रा कमाई जा सके। (159)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

अभ्रक खान मालिकों को विस्फोटक, लगातार बिजली, सीमेंट, लोहे की छड़ें और लोहे की चादरें सप्लाई करने में असफलता। (160)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किय जायें।"

तम्बाकू उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें उचित मूल्य देने में असफलता। (161)

कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।

बिहार के छोटा नागपुर के पिछड़े क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग को लोकप्रिय बनाने में असफलता। (162)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

प्राकृतिक रबड़ का आयात रोकने के लिए अधिक रबड़ का उत्पादन करने में असफलता (163)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

छोटा नागपुर की वनभूमि में कृषकों को सहायता देकर रेशम की खेती को प्रोत्साहित करने में असफलता। (164)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

गिरीडीह मिटको गोदाम को आग लगाकर अभ्रक और को कम मूल्य पर बेचकर कदाचार किया जाना (194)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

अभ्रक उत्पादन जो 1965 में 32,000 टन था 1979 में गिरकर 16,000 टन हो गया इस गिरावट को रोकने में असफलता। (195)

"कि वाणिज्य मंत्रालय, शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

अभ्रक के निर्यात व्यापार पर 15-20 निर्यातकों के एकाधिकार को रोकने में असफलता। (196)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

अभ्रक के निर्यात में 60:40 की भागीदारिता प्रणाली को, जिसकी उपयोगता समाप्त हो गई है, बदलने की आवश्यकता (197)

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

परिष्कृत अभ्रक के निर्यात को व्यवस्थित करने में असफलता। (198)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जैायें"

छोटे अभ्रक व्यापारियों से प्रतिमास अभ्रक खरीदने में मिटको की असफलता। (199)

श्री ई० के० इम्बीची बावा : (कालीकट) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

कृषकों के हित में कोको और रबड़ का आयात रोकने की आवश्यकता। (14)

श्री जी० एम० बनातवाला : (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

देश में रबड़ के आवश्यकता से अधिक उत्पादन की दृष्टि से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबन्ध लगाकर केरल तथा अन्य राज्यों में रबड़ उत्पादकों को पुनः आश्वस्त करने में असफलता। (31)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

देश में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की दृष्टि से कोको के बीज के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और देश में उसके मूल्य के तेजी से गिरने को रोकने में असफलता (32)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

कच्चे काजू के आयात के माध्यम में अविवेकपूर्ण ढंग से फेरबदल कर राज्य क्षेत्र, लघु क्षेत्र के निजी परिष्कर्ताओं तथा उद्योग के कर्मचारियों को हानि पहुंचाना। (33)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

कच्चे काजू का अधिकतम आयात भारतीय काजू निगम की मार्फत करने में असफलता। (34)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

देश में उपलब्ध आवश्यकता से अधिक कोको के बीज के निर्यात के संवर्धन के लिए सक्रिय कार्यक्रम अपनाने में असफलता। (35)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

हथकरघा उद्योगों को अक्तूबर, 1978 से पहले के मूल्यों पर सूत उपलब्ध कराने में असफलता। (36)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

1980-81 में हथकरघा उद्योग को 30 दिन के लिए विशेष छूट की अनुमति देने में असफलता। (37)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

उचित मूल्य पर सूत उपलब्ध कराकर, विपणन की बेहतर सुविधायें देकर तथा ऐसे ही अन्य उपायों द्वारा विद्युत करघा उद्योग को गहरे संकट से उभारने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में असफलता। (38)

श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल : (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

देश में रबड़ का आयात करके रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करने में असफलता। (39)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कोको (जायफल) और लौंग जसे कृषि उत्पादों का खुला आयात करके छोटे किसानों के हितों की रक्षा करने में असफलता। (40)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जायें।"

सौंठ और अदरक का राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात करके गरीब किसानों की रक्षा करने में असफलता। (41)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जायें।"

देश में उपलब्ध आवश्यकता से अधिक कोको बीज का निर्यात करने में असफलता। (42)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जायें।"

जायफल और लौंग तथा कोको का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने में असफलता। (43)

श्री टी० आर० शमन्ना : (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

नकली माल बनाने और अपमिश्रण किए जाने को रोकने के लिए वस्तुओं की किस्म पर नियंत्रण हेतु एक प्रभावी एजेन्सी बनाने में असफलता। (86)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

एक उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय नीति बनाने में असफलता। (87)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश के बढ़ रहे उद्योग और उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए टैरिफ के सम्बन्ध में कड़ी निगाह रखने में असफलता। (88)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

उचित आयात और निर्यात नीति बनाने में असफलता। (89)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

राज्य व्यापार निगम के प्रबन्ध पर नियंत्रण में असफलता। (90)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

भारत के निर्यात व्यापार के विकास और विस्तार पर दृष्टि रखने और दिशा निर्देश के लिए उपयुक्त तन्त्र बनाने में असफलता। (91)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

वस्त्रों की प्रति वर्ष कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने में असफलता। (92)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

काफी बोर्ड, चाय बोर्ड, रबड़ बोर्ड आदि की वित्तीय स्थिति, उत्पादन और वितरण के कार्य के बारे में सरकार को दिशा निर्देश और सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड गठित करने में असफलता। (93)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

व्यापार को निम्नलिखित समूहों (1) सरकारी क्षेत्र (2) गैर-सरकारी क्षेत्र (3) सहकारी क्षेत्र (4) सरकारी और गैर-सरकारी संयुक्त क्षेत्र के अधीन वर्गीकृत करने में असफलता। (94)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों सहित ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन और विपणन की स्थिति में गिरावट। (95)

श्री बापूसाहेब पारुलेकर: (रत्नगिरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

निर्यातकों को नकद सहायता, प्रतिपूर्ति सहायता, देकर विपणन सर्वेक्षण, गुण प्रकार नियंत्रण तथा अन्य निर्यात सेवाएं उपलब्ध कराके आम और प्रोन (एक प्रकार की मछली) के निर्यात को बढ़ावा देने में असफलता। (108)

"कि वस्त्रोउद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में कपड़ा उद्योग और हथकरघा क्षेत्र का विकास करने में असफलता। (109)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम किये जायें।"

महाराष्ट्र के कोलाबा और रत्नगिरी जिलों में रबड़ के उत्पादन के लिए समुचित कार्यवाही करने में रबड़ बोर्ड की असफलता। (130)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उन मछेरों की, जो एक साल में करोड़ों रुपयों की झींगा मछली पकड़ते हैं, सहायता करने में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की असफलता। (146)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में हस्तशिल्प के विकास के लिए योजनाएं बनाने तथा उन्हें बढ़ावा देने में असफलता । (155)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता। (110)

"कि व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

इजारेदार निर्यातकों के निर्यात व्यापार पर सीमा लगाने तथा राज्य व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता। (111)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

जूट उद्योग को राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (112)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

जूट उत्पादकों को समर्थन मूल्य दिलाने में असफलता। (113)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

बुनकरों को करधा इत्यादि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता। (114)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

सिल्क के उत्पादन के लिए विशेष सहायता देने की आवश्यकता। (115)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

बुनकरों को सस्ते दर पर सूत की सप्लाई करने में असफलता। (116)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

स्टेपल तथा अन्य सूतों के मूल्य कम करने में असफलता। (117)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

हथकरघा बुनकरों को भूखों मरने से बचाने में असफलता। (118)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

हथकरघा उद्योग को संकट से बचाने में असफलता। (119)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

कपास उत्पादकों को कपास के लाभदायक मूल्य दिलाने में असफलता। (120)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

सिल्क उद्योग में गम्भीर संकट के हल ढूंढ़ने में असफलता (121)

6—468 LSS/80

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

गांवों में हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने में असफलता। (122)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

बुनकरों को बेचे गए सूत में काला बाजारी पर रोक लगाने में असफलता। (123)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

सोवियत रूस तथा अन्य समाजवादी देशों को हैंडलूम कपड़ा वेचने की आवश्यकता। (124)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में सूत सप्लाई करने में असफलता। (125)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई करने में असफलता। (126)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

आम आदमी को नियन्त्रित मूल्य पर धोती और साड़ी सप्लाई करने में असफलता। (127)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

बुनकरों को नियंत्रित मूल्य पर सूत की सप्लाई करने में असफलता। (128)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

बुनकरों द्वारा विनिर्मित कपड़ों को सरकार द्वारा खरीद करने में असफलता। (129)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

सिगरेट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (188)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

आम और केले के निर्यात में वृद्धि करने में असफलता। (189)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

रबड़ बागों के राष्ट्रीयकरण में असफलता। (190)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

मसालों का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता। (191)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

चाय का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता (192)

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

चाय के बागों का आधुनिकीकरण करने में असफलता। (193)

श्री भोगेन्द्र झा: (मधुवनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

देश के निर्यात और आयात व्यापार का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (139)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

कुटीर उद्योग क्षेत्र की कपड़ा मिलों को छोड़ देश की अन्य सभी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। (154)

श्री ईरा मोहन : (कोयम्बटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

4-12-79 को कपास बीज और खली के निर्यात पर लगाया गया अनुचित प्रतिबन्ध। (200)

"कि वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम किये जायें।"

निर्यात पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाने की प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता। (201)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

तमिलनाडु में 30 करोड़ रुपए के हथकरघा वस्त्र जमा हो जाने के कारण हथकरघा उद्योग में संकट। (202)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

हथकरघा बुनकरों को भुखमरी से बचाने की आवश्यकता। (203)

"कि वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

निर्यात बाजार के अभाव में तमिलनाडु के हस्तशिल्प उद्योग में संकट। (204)

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही (भुवनेश्वर) : मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

विदेशी व्यापार और वाणिज्य हमारे आर्थिक विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। वर्ष 1979-80 में हमारी निर्यात आय 5099-64 करोड़ रुपए थी और इस वर्ष प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन बढ़कर 2233 करोड़ रुपये हो गया। यह हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ह्रास का प्रतीक था। हमारे मुख्य आयात कच्चा तेल, खाद्य तेल, उर्वरक और मशीनरी तथा उपकरण थे। हमारे देश की 1977 से पीछे के तीन वर्षों की वार्षिक निर्यात आय 27% थी। परन्तु बाद के तीन वर्षों में यह घटकर 6% हो गई है। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था किस सीमा तक अस्त-व्यस्त रही और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को एक ऐसी कठिनाई में डाल दिया गया कि देश की 27% निर्यात आय घटकर केवल 6% रह गई है। अतः इस नई सरकार पर इस 27% को थोड़े समय में प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार करने की भारी जिम्मेदारी है।

एक और बात जो मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं यह है कि हम सदैव कच्चे माल का निर्यात करके आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते हैं। परन्तु निर्यात न केवल कच्चे माल का होगा अपितु निर्मित माल का होगा। मेरे विचार में हम जब अपनी आयात और निर्यात नीति बनाएं तो इसको ध्यान में रखा जाए। हम यह देखते हैं कि इस्पात और अन्य मशीनरी के क्षेत्र में उत्पादन इतना कम रहा है कि हमें विचार करना पड़ा है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि हो। सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आयात नीति और मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए निर्यात संवर्धन उपायों से यह पता चलता है कि सरकार व्यापार सन्तुलन में सुधार लाने और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि करने के लिए तुली हुई है जिससे हमारे निर्यात व्यापार के विकास में सहायता मिलेगी।

मैं सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम, जो हमारी अर्थव्यवस्था के निर्यात संवर्धन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, किस प्रकार कार्य कर रहा है। प्रतिवेदन से पता चलता है कि उनका कार्य चालन कुछ अच्छा रहा है। परन्तु मेरे अपने राज्य उड़ीसा में लाखों टन लौह-अभस्क मुहानों पर पड़ा हुआ है। इसे बन्दरगाह पर नहीं ले जाया जाता। पारदीप बन्दरगाह इसलिए घाटे में जा रही है कि पोत तो वहां आते हैं परन्तु इन वस्तुओं को नहीं ले पाते। इसी प्रकार यदि आप अन्य बंदरगाहों की निर्यात-आय देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी आय भी कम हो गई है। जहां तक इस्पात और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संबंध है हमें यह देखना है कि इनके उत्पादन में वृद्धि कैसे हो और हमारे आयात में वृद्धि न हो। अतः खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कुछ और अधिक कार्य करना होगा।

जहां तक बिहार, उड़ीसा और इस सारे क्षेत्र के लौह-अयस्क का संबंध है उन्हें और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए और मुहानों पर पड़े सारे लौह-अयस्क को वहां से हटा दिया जाए ताकि खानें बन्द न हो जाएं।

जहां तक जूट का संबंध है मैं एक बार माननीय मंत्री के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। हम को पता है कि जूट उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित जूट का मूल्य कभी नहीं मिलता। यह जूट निगम के अधीन है और जूट निगम कभी भी उड़ीसा नहीं जाता और उन किसानों की कठिनाइयों की देख भाल करता जो पूर्णतया जूट फसल पर निर्भर करते हैं। उन्हें कभी भी पराश्रमिक मूल्य नहीं मिलता।

सभापति महोदय: क्या निगम को किसी के द्वारा रोका जाता है?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, यह बिल्कुल उचित प्रश्न है। ऐसे कई व्यापारी लोग हैं जो चाहते हैं कि जूट निगम बिल्कुल कोई कार्य न करे। वे जूट निगम को काम नहीं करने देते हैं। यहां मैं माननीय मंत्री के ध्यान में एक बार फिर यह बात लाना चाहता हूं कि यह एक सबसे पुराना उद्योग है इससे 300 करोड़ रुपये की निर्यात आय हो रही है। अब यह कम होकर 200 करोड़ रुपये के लगभग हो गई है। जूट का उत्पादन करने वाले किसानों को फसल से काफी पहले अपना जूट बेच देना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि कपास के मामले में भी इसी नीति का अनुसरण किया जाता है। आप जहां तक कपास का संबंध है नीति को देखें और जहां तक जूट का संबंध है नीति को देखें। संपूर्ण पूर्वी भारत में, मेरे विचार में, लाखों मजदूर पूर्णतया उसी पर निर्भर करते हैं। मैं जूट के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट देख रहा था। वहां उसमें कुछ नहीं है। जूट के संबंध में केवल 5-6 लाइनें हैं।

निर्भर करते हैं । मैं जूट के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट देख रहा था । वहां उसमें कुछ नहीं है । जूट के संबंध में केवल 5-6 लाइनें हैं ।

सभापति महोदय : आपको पंक्तियों की संख्या की अपेक्षा सार पर अधिक महत्व देना चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं यह अनुभव करता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय बिना सार के केवल 5 पंक्तियों में जूट को निपटा देना चाहता है। परन्तु मुझे आशा है कि वाणिज्य मंत्रालय इसका ध्यान रखेगा।

मैं यह दो तीन और महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं । एक है जूट व्यापार के सट्टे के संबंध में। जूट उद्योग में सट्टा है। मेरे विचार में अन्य उद्योगों में सट्टे पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। परन्तु क्या कारण है कि जूट उद्योग में सट्टे पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान रखेंगे ।

अब हम निर्यात संवर्धन प्रयासों को लेते हैं । जूट उद्योग का, जो कि सबसे पुराना उद्योग है आधुनिकीकरण नहीं किया गया है । उड़ीसा सरकार तीन जूट मिलें लगाना चाहती है । परन्तु पिछले 10-15 वर्षों से उड़ीसा सरकार ने जूट मिलें लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है। अभी हाल ही में एक जूट मिल की स्थापना की गई है जिसने कार्य आरम्भ कर दिया है।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर): 10 वर्षों के प्रयत्न के बाद।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जी हां, 10 वर्षों के प्रयत्न के बाद। यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। यह अच्छी बात है कि इसकी सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना की गई है। वे राज्य के अन्य जूट उत्पादक क्षेत्रों में भी जूट मिलें चाहते हैं क्योंकि जब तक उन क्षेत्रों में जूट मिलें स्थापित नहीं की जाएंगी तब तक उत्पादक लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे । जूट मिलों की स्थापना से अधिक रोजगार उपलब्ध होगा और आप प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना चाहते हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि जहां तक जूट उद्योग का संबंध है उत्पादकों को अधिक प्रोत्साहन दिए जाएंगे ।

जूट मिलें अपना आधुनिकीकरण करने में इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि मशीनों पर 52% आयात शुल्क लगता है। आदेशों के अभाव में देशी मशीनरी उत्पादकों की क्षमता का भी पूर्ण उपभोग नहीं हो रहा है। हमें पूर्णतया अस्त-व्यस्त अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। जब तक आप राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में किए गए निवेश नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं जानता कि हम अपने निर्यात व्यापार में कैसे सुधार ला सकते हैं।

जूट रेशे की गुणवता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसके उत्पादन में भी विभिन्नता है। माननीय मंत्री जूट उत्पादक क्षेत्र से संबंध रखते हैं जहां लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं। सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र इस उद्योग पर काफी निर्भर है। अतः मैं आशा करता हूं कि इन बातों की जांच की जाएगी। जहां तक कपास का संबंध है, हम जानते हैं कि सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए गए थे परन्तु जूट के विकास हेतु क्या विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

मैंने देखा है कि उड़ीसा में जूट उत्पादकों को कभी भी बैंक ऋण नहीं मिलता है, उन्हें साहूकारों के पास जाना पड़ता है। एक बात यह भी है कि व्यापारी ये नहीं चाहते कि जूट निगम उत्पादकों से जूट खरीदे।

उत्पादक इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अतः वास्तविक नीति यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि ग्राम ऋण सहकारी समितियां प्राथमिक उत्पादकों से सीधे जूट खरीदें और फिर उनसे शीर्ष सहकारी ऋण समितियां जूट खरीदें ताकि बिचौलियों को जो उत्पादकों को कम भुगतान करके शोषण करना चाहते हैं, हटाया जा सके। इस पहलू पर, जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया है, अब ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेरे विचार में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यचालन की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच कराने का यह उपयुक्त समय है। कुल 1400 रुपए करोड़ की आय में लगभग 900 करोड़ आयात से संबंधित है। यदि हम देश का निर्माण करना चाहते हैं और आत्म-निर्भर अर्थ व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो क्या हमें अधिक से अधिक निर्मित वस्तुओं का निर्यात नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश काल में स्रोतों के भारत से बाहर जाने की शिकायत की थी। आज स्रोत उस समय की अपेक्षा जब शिकायत की गई थी, अधिक मात्रा में बाहर जा रहे हैं। अतः जिस आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य हमने रखा है वह नष्ट होती जा रही है क्योंकि हम सही दिशा में प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अतः जब तक सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं निवेश किया जाएगा और मुख्य उद्योगों की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जाएगा, यह केवल अपव्यय होगा। हम उन चीजों के आयात पर अधिकाधिक निर्भर करने लगे हैं जिनका हम कच्चे रूप में निर्यात करते हैं। लौह-अयस्क को लीजिए क्रोम का मामला लीजिए। हम अयस्क का निर्यात ही क्यों करें। हम क्यों न निर्मित और तैयार माल का निर्यात करें।

ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। जब हम आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था रखना चाहते हैं तो हमें अन्य देशों पर अधिकाधिक निर्भर नहीं करना चाहिए। सोवियत रूस और चीन के मामले को लीजिए, उन्होंने अपनी अर्थ-व्यवस्था का केवल अपनी शक्ति से निर्माण किया, केवल अपने अपने लोगों की शक्ति से। हमें यही करना होगा। आज चीन को अन्य देशों के ऋण पर निर्भर नहीं करना पड़ता। उन्होंने अपनी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत नींव से खड़ा किया है। हमारे पास काफी स्रोत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में हमारा निवेश 7000 करोड़ से 8000 करोड़ रुपये के बीच है। यदि हमें 6% लाभ मिलने लगे तो वह भी आश्चर्यजनक होगा।

हमारा उद्देश्य पूर्णतया आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना है। हमें ऋण मांगने या लेने के लिए अन्य देशों के पास नहीं जाना चाहिए। अब जब हम अपनी अर्थ-व्यवस्था के सुधार में लगे हैं जो जनता शासन के तीन वर्षों में नष्ट हो गई थी तो मेरे विचार में आरंभ अच्छा हुआ है। अपनाए गए सभी उपाय अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने में सहायक होंगे। मैं माननीय मंत्री से इसमें कुछ और गहराई तक जाने का अनुरोध करता हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए कहता हूं कि हमारे प्रयत्नों से एक अच्छी अर्थ-व्यवस्था, एक आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था का निर्माण हो। हमें आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है और मुझे

विश्वास है कि हम अपने विश्वास से ऐसी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं और अपने देश को आगे विकास के पथ पर डाल सकते हैं । मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा): सभापति महोदय, मैं वाणिजय मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वाणिज्य मन्त्रालय को व्यापार नियमित करना चाहिए तथा निर्यात का संवर्धन भी करना चाहिए । किन्तु वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में जो चित्र प्रस्तुत किया गया है उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है । हमारे देश में निर्यात की दर घट गई है। निर्यात में वृद्धि की दर बड़ी धीमी है । 1978-79 में पिछले वर्षों में वृद्धि की उच्च दर की तुलना में यह दर 5.9 प्रतिशत थी विश्व व्यापार में भी हमारा व्यापार कम हुआ है। यह 1977-78 में 0.6 प्रतिशत था। इसमें 1978-79 में और कमी आई।पटसन, काफी, काजू तथा इसी प्रकार की अन्य सभी मदों में हमारी निर्यात आय में कमी आई है। जिन मदों में निर्यात आय में वृद्धि हुई है, उनमें भी यह वृद्धि अधिक निर्यात के कारण नहीं वल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन मदों की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है।

इससे यह पता चलता है कि इन वर्षों में इस देश के निर्यात में वास्तव में गिरावट आई है । यहां पर कुछ माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया है कि यह जनता शासन की नीति अथवा नीति न होने के कारण ऐसा हुआ है। मैं इस विचार से पूरी तरह असहमत नहीं हूं—मैं आधा सहमत हूं और आधा असहमत हूं ।

सभापति महोदय : आप न तो सहमत होते हैं न ही असहमत होते हैं ।

प्रो. पी. जो. कुरियन : मैं पूरी तरह असहमत नहीं हूं। मैंने यह बात कही थी। मैं ने जो कहा है वह स्पष्ट है । मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं। अब इस सरकार को आये छः महीने हो गये हैं । निर्यात को बढ़ाने के लिये अभी तक क्या किया गया है ? यह भी कहा गया है कि निर्यात में गिरावट का कारण बुनियादी ढांचे, परिवहन, कोयला और बिजली की कमी होना है। किन्तु इन कमियों को दूर करने के लिये क्या किया गया है ? कोई कार्य किया गया हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। वाणिज्य मंत्री बड़े कार्यकुशल हैं किन्तु क्या इस देश में आयात-निर्यात की समुचित और सुदृढ़ नीति है ? यदि आप इन नीतियों को देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी जिन्सें हैं विशेष कर कृषि जिन्स, जिनका उत्पादन इस देश में अधिक है। कुछ ऐसी जिन्सें हैं जिनका उत्पादन बहुत कम है और उनकी देश में बहुत मांग है, किन्तु उनका निर्यात जारी रखा जाता है और उन वस्तुओं का, जिनका अधिक उत्पादन है और देश में भी उनकी मांग नहीं है उनका आयात जारी रखा जाता है और उनका निर्यात नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिये चीनी के बारे में ऐसा है। देश में चीनी का मूल्य इतना अधिक हो गया है कि पहले इतना अधिक कभी नहीं था। कल समाचार पत्रों में छपा था कि चीनी 7 रुपये प्रति किलो तथा उससे अधिक महंगी बिक रही है । कांग्रेस (आई) ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लोगों को वायदा किया था कि चीनी उचित मूल्यों पर उपलब्ध की जायेगी। इस सरकार को सत्ता में आये छह महीने हो गये हैं और अभी तक क्या किया गया है ? **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)** चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो गई है यह ठीक है कि उत्पादन कम हुआ है किन्तु मुझे यह बात समझ नहीं आती कि मन्त्री महोदय चीनी का निर्यात क्यों जारी रख रहे हैं । मांगों में भी 15 करोड़ रुपया राज्य व्यापार निगम

को चीनी के निर्यात के लिये राज सहायता के रूप में देने के लिये रखा गया है । इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि देश में चीनी की बहुत कमी है फिर भी हम उसका निर्यात जारी रखेंगे । गरीब जनता ने कांग्रेस (आई) को वोट देकर सत्ता सौंपी किन्तु क्या उसका यही इनाम है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब वास्तव में चीनी की कमी है तो उसका निर्यात करने का क्या अर्थ है ?

अब मैं रबड़ और कोको के बारे में कहना चाहता हूं। यह भी यहां कहा गया था--और मैं उन बातों को यहां दोहराना नहीं चाहता--कि रबड़ और कोको के बारे में नीति में परिवर्तन किया गया है –– पहले वाली नीति को अब लागू किया जा रहा है। एक माननीय सदस्य ने यहां कहा है कि रबड़ का उत्पादन अत्यधिक है। मैं यह नहीं कहता कि उत्पादन अधिक है किन्तु मन्त्रालय के प्रतिवेदन तथा आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि रबड़ का उत्पादन इतना है कि हमारी मांगें पूरी हो सकती हैं । देश में रबड़ की मांग यहां के उत्पादन से पूरी की जा सकती है । इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि पिछले वर्ष राज्य व्यापार निगम ने लगभग 17000 टन रबड़ का आयात किया और यदि मैं सही हूं तो वह 10,000 टन की बिक्री नहीं कर सके। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार द्वारा इस अनुमान के आधार पर गणना भी की गई थी कि देश के कारखाने पूरा समय चलेंगे, अधिकतम क्षमता का उपयोग हो सकेगा और कोई हड़ताल नहीं होगी और न ही बिजली की कटौती होगी तो उत्पादन पूरा होगा। इस तरह मांग का अनुमान लगाया गया है और अन्तर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है और इस प्रकार से रबड़ आयात किया गया है । और इस देश के गरीब उत्पादक--उन बेचारों की स्थिति क्या होगी? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नीति राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली है क्योंकि यदि आप रबड़ का आयात करते रहेंगे तो कृषकों का उत्साह समाप्त हो जाएगा और यह स्वाभाविक ही है कि वह अन्य फसलें बीजेंगे और देश में रबड़ उत्पादन में और गिरावट आयेगी और तब आपको अधिक रबड़ का आयात करना पड़ेगा, और परिणामस्वरूप उस पर और अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय करना होगा। क्या ऐसा करना देश के हित में होगा ? मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह देश के हित में है कि रबड़ के आयात को उदार बनाया जाये और उसका खुला आयात हो।

कोको के बारे में मैं मंत्री महोदय की इस बात को चुनौती दे सकता हूं कि देश में कोको की मांग से अधिक उसका उत्पादन हो रहा है । 1977 में केरल में ही एक हजार टन कोको बीन्स का उत्पादन हो रहा था । अब केरल का वार्षिक उत्पादन लगभग 4000 टन है और हमने पिछले सालों में उसका प्रतिवर्ष 300 से 700 टन का आयात किया है। देश में कोको की कितनी मांग है? यह 2000 टन से कम है। और देश में इसका उत्पादन इससे कहीं अधिक है । अब इसका परिणाम क्या होता है ? 1977 में कोको उत्पादकों को एक किलो कोको बीन्स के 15 रुपये मिलते थे किन्तु 1978 में उन्हें 10 रुपये मिल रहे हैं । और अब स्थिति क्या है ? अब उसका मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम है और उसे खरीदने वाला कोई नहीं है । जब इस देश में कृषकों द्वारा उत्पादित कोको बीन्स खरीदने वाला कोई नहीं है तो सरकार उसका आयात कर रही है । इस संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह घोषणा करें कि कोको बीन्स का आयात बन्द किया जायेगा। यदि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं है तो वह देश में कोको बीन्स के उत्पादन का अध्ययन

कर सकते हैं और तब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास आ जायेगा।

सभी जानते हैं कि कोको उत्पादों की मांग विश्व भर में बढ़ रही है। आधुनिक सभ्यता में हर घर में कोको उत्पाद प्रयुक्त हो रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोको की अन्तर्राष्ट्रीय मांग है। केरल और कर्नाटक में और तमिलनाडु के कुछ भागों में अतिरिक्त भूमि के बिना भी कोको बीन्स की खेती की जा सकती है क्यों कि यह अन्त: फसल है और 50,000 टन तथा उससे अधिक मात्रा में इसे देश में उत्पन्न किया जा सकता है। हम इसकी प्रोसेसिंग कर इसका निर्यात कर सकते हैं और इस प्रकार उस पर विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। किन्तु जहां तक कोको का सम्बन्ध है इसके लिये कोई समुचित नीति नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इसके लिये एक दीर्घ-कालीन नीति का निर्धारण करें क्योंकि यदि इसे उचित प्रोत्साहन दिया जाता है तो हम इसका इच्छित उत्पादन कर सकते हैं। उसका निर्यात किया जा सकता है और देश के लिए विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। अत: मैं एक बार मन्त्री महोदय से पुन: अनुरोध करता हूं कि कोको के लिये एक दीर्घ-कालीन नीति निर्धारित की जाये और इसके उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिये एक जिन्स बोर्ड की स्थापना की जाये जैसा कि काफी बोर्ड है या चाय बोर्ड है। देश में कोको उत्पादकों के सहित संरक्षण के लिये तथा कोको निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये एक कोको बोर्ड की स्थापना की जाये।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कोको और रबड़ का बहुत अधिक उत्पादन है किन्तु हम उसका आयात कर रहे हैं, चीनी की कमी है और हम उसका निर्यात कर रहे हैं। इस लिये ही मैंने यह बात कही है कि इन जिन्सों के बारे में नीतियों को बदल दिया गया है। किन्तु ऐसा क्यों किया गया है, मैं नहीं जानता। क्या ऐसा इसलिये किया गया है कि यह वस्तुएं केरल में उत्पन्न होती हैं ? क्या मन्त्री महोदय केरल जनता से कोई खास बदला लेना चाहते हैं ? मेरा विचार ऐसा नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह सूचित करना चाहता हूं कि कर्नाटक में भी कोको का उत्पादन किया जा रहा है और वहां काफी लोग यह खेती कर रहे हैं और वह केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने का अनुरोध कर रहे हैं।

काजू के बारे में यहां कुछ कहा गया था। अत: इसके बारे में भी कुछ कहा जाना चाहिए। एक माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया है कि 5,000 टन काजू का देश में आयात किया जा रहा है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में काजू का आयात करने के लिये सरकारी एजेन्सी है — सरकारी अधिकारी हैं और इन अधिकारियों को इस काम के बदले वेतन दिया जा रहा है तो गैर-सरकारी पार्टी को इसके आयात का लइसेंस क्यों दिया गया है ? मैं यह जानना चाहता हूं। जब एक सरकारी एजेन्सी है जिसका केवल यही कार्य है कि वह काजू का आयात करे तो गैर-सरकारी पार्टी को उसके आयात का लाइसेंस क्यों दिया गया। जब इसका एक माननीय सदस्य द्वारा यहां स्पष्टीकरण दिया गया तो बात बड़ी साधारण-सी लगी किन्तु बात ऐसी है नहीं। गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा काजू का आयात केरल राज्य में दो लाख काजू उत्पादकों के हितों के विरुद्ध है। केरल राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित काजू ही कारखानों में प्रोसेसिंग

के लिये दिया जा सकता है। मैं आयात का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि राज्य व्यापार निगम को ही काजू का आयात करना चाहिए और किसी गैर-सरकारी एजेन्सी को काजू का आयात नहीं करना चाहिए। भारत सरकार की यही नीति है और यही नीति जब इन्दिरा जी सत्ता में थी तो काफी सोच-विचार के पश्चात तय की गई थी और तब आप भी मन्त्रि-मंडल में थे। अब उसमें परिवर्तन क्यों किया गया ? अब जो हो गया है हो चुका और अब मेरा यह अनुरोध है कि कच्चे काजू का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही आयात किया जाना चाहिए और गैर-सरकारी पार्टी को इसकी आज्ञा नहीं होनी चाहिये। मैं देश के उचित हितों के बारे में ही बोल रहा हूं।

अन्य महत्वपूर्ण बात मैं समुद्री उत्पादों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे निर्यात में प्रमुख निर्यात समुद्री उत्पादों का है किन्तु हमें समुद्री उत्पादों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए। मैं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की बात कह रहा हूं। इस संबंध में कुछ कार्य नहीं किया गया है।

डा. सुब्रमण्यम स्वामी: इस सरकार को उखाड़ फेंको।

प्रो. पी. जे. कुरियन : विदेशी मत्स्य पोत हमारी समुद्री सीमा में मछली पकड़ रहे हैं। दो दिन पहले हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि कुछ तायवानी मत्स्य पोत टूटीकोरिन के पास मछली पकड़ते पाये गए थे और उनमें से एक मत्स्य पोत पकड़ा गया था। इस प्रकार दूसरे देशों द्वारा हमारा राष्ट्रीय धन लिया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि यह हमारी सरकार की ओर से सतर्कता न रखने के कारण है। मैं यह भी कहूंगा कि आप नैतिक दृष्टि से भी असफल रहे हैं क्योंकि आप गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की ओर अधिक-ध्यान देने में असफल रहे हैं और आपको मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। महोदय, हमारा कृषि-प्रधान देश है और कृषि में सभी को रोजगार देना सम्भव नहीं है।

हमारा समुद्री तट बहुत लम्बा चौड़ा है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है और सामुद्रिक निर्यात के लिए बहुत कम राशि आबंटित की गयी है। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए और अधिक राशि आबंटित की जानी चाहिए। सामुद्रिक उत्पादों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

हमारे यहां किस्म पर नियंत्रण की व्यवस्था है। इसका परिणाम क्या होता है? किस्म नियंत्रण प्रणाली क्या है? जहाज में लदान करने से पहले निरीक्षण की व्यवस्था है। इन सब बातों के बावजूद संयुक्त राज्य अमरीका में हमारे 20 करोड़ रुपये के सामुद्रिक उत्पाद झींगा मछलियां कुछ कीटाणुओं के पाये जाने के कारण काली सूची में रखे गये तथा अस्वीकार किये गये। लदान-पूर्व निरीक्षण के बारे में भी काफी आरोप लगाये गये हैं। मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ। हमारे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में घटिया स्तर का नहीं होना चाहिये। मंत्री महोदय को स्वंय इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी निर्यात की वस्तुएं उच्चतम स्तर की हो सकें और व्यापार क्षेत्र में हमारी बदनामी न हो।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाये कि विदेशी जलपोत हमारे समुद्री पानी में न आयें बल्कि कई अन्य देशों की तरह हमारे अपने जालपोत होने चाहिए।।

हमें उनका निर्माण यहां करना चाहिए और हमें इस पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि उससे रोजगार के अधिक अवसर खुलेंगे और उससे हमें अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी।

यदि मैं हथकरघा के बारे कुछ न बोलूं तो . . . . .

डा. सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : हथकरघा क्षेत्र में संकट है । उद्योग के श्रमिक हड़ताल पर हैं। उन्हें सस्ते दामों पर सूत नहीं मिलता। उन्हें न्यूनतम मजूरी भी नहीं मिल रही है और वे हड़ताल पर हैं। एक माननीय सदस्य ने नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाया था। मुझे आशा है कि आपका ध्यान भी उधर दिलाया गया होगा। मेरा अनुरोध केवल इतना ही है कि उन्हें उचित दामों पर सूत सप्लाई करने के लिये कदम उठाये जायें ताकि उद्योग नष्ट होने से बच सके।

मुझे और भी कई बातें कहनी थीं लेकिन समय न होने के कारण किसी अन्य समय पर ही कहूंगा।

श्री मूल चंद डागा (पाली) : उपाध्यक्ष, महोदय, वाणिज्य मंत्रालय राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अगर कोई मंत्रालय है जो देश को आगे बढ़ा सकता है और देश के अन्दर नई जिन्दगी दे सकता है तो वह कामर्स मंत्रालय है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कामर्स मंत्रालय जिस प्रकार से काम करता रहा है उस की फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, आयात निर्यात के मामले में जो 1979-80 की रिपोर्ट है उस में जो फिगर्स लिखी हैं उस से मालूम होता है कि 1976-77 के अन्दर हमारा एक्सपोर्ट 5142.25 करोड़ का था और इम्पोर्ट 5002 करोड़ का था। हमारा 68.46 का बैलेंस था। उस के बाद कौन सी सरकार आई, उस का तो नाम नहीं लेना चाहिए, उस के आने के बाद तो घाटा ही घाटा बराबर नजर आ रहा है । वह घाटा हुआ 1062 करोड़ का फिर हुआ 1081 करोड़ का । बड़ी ऊंची ऊंची बातें मैं सुनता था जनता पार्टी की। यह तो अच्छा हुआ कि तीन साल में वह चले गए। तीन साल में हम बहुत गरीब स्थिति में पहुंच गए । सीमेंट नहीं, स्टील नहीं, पावर नहीं, कोल नहीं । अच्छा हुआ तीन साल में वह राज चला गया नहीं तो मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान का और बुरा हाल होता। इस प्रकार की उनकी निर्यात की नीति थी। आप देखें निर्यात में कहां तक नुकसान नहीं हुआ ? जो हमारे ट्रेडीशनल आइटम्स थे उन के अन्दर भी हमें नुकसान हुआ। फुटवियर के अन्दर 80 परसेंट घाटा रहा। कारपेट जो हाथ से बनती है और बहुत अच्छी बनती है, उस के अन्दर भी हमें नुकसान रहा, माइनस 4 उस में रहा। टी के अंदर भी 70 परसेंट का हमें लास रहा। इस प्रकार जो ट्रेडीशनल आइटम्स थे उनमें भी हमें लास रहा। इस का कारण यह था कि जो भी नीतियां उस के सम्बन्ध में रहीं उस से प्रोडक्शन पर असर पड़ा। हमारे यहां उत्पादन में कमी आई। जो बेसिक चीजें हैं वह भी हमें मंगानी पड़ती हैं। राजस्थान में ही नहीं, और भी प्रदेशों में इतना मैटीरियल है कि हम काफी सीमेंट बना सकते हैं लेकिन हमारे यहां सीमेंट की कमी है । पावर की शार्टेज होने के कारण और चीजों में भी उत्पादन नहीं हो पाता। कुछ सालों के पहले हम ने स्टील को एक्सपोर्ट किया था। आज स्टील भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। कितनी ही वेराइटीज हैं स्टील की।

अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हमें वे चीजें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिएं जिन की हमें जरूरत है। मैं तो समझता हूं कि व्यापार के लिए अगर मार्केट ढूंढ़ना है तो किसी कंट्री के मार्केट में चले जाएं, उस कंट्री में अगर हमने लगातार अपनी चीजों को एक्सपोर्ट नहीं किया, एक बार सरप्लस हुआ तो शुगर एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरी बार शुगर कम हुई तो एक्सपोर्ट बन्द कर दिया, ऐसा करेंगे तो हमारे हाथ से वह मार्किट चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से हम बाजार ढ़ूढ़ते हैं, उस को योंहाथ से नहीं निकल जाने देना चाहिए। हिन्दुस्तान को अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए उन चीजों का उत्पादन करना होगा और यह केवल वाणिज्य मंत्रालय नहीं कर सकता, जब तक कि इंडस्ट्री विभाग और दूसरे विभागों का कोआर्डिनेशन न हो, यह काम नहीं हो सकता। निर्यात के मामले को हम एक राष्ट्रीय समस्या बना कर लें तब हमारा काम चलेगा। लेकिन केवल कामर्स डिपार्टमेंट क्या कर सकेगा जब कि उत्पादन ही नहीं होगा। आज हम सीमेंट इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमें यहां पर मिनी सीमेंट प्लांट लगाने चाहिएं। हमारे यहां कोयला है इसलिए थर्मल पावर-स्टेशंस बनाने चाहिएं। एटामिक पावर स्टेशंस से बिजली पैदा की जा रही है। तो हमारे एक्सपोर्ट तभी बढ़ सकते हैं जबकि हमारे देश में उत्पादन बढ़े। लेकिन हमारे यहां उत्पादन बढ़ा नहीं क्योंकि गलत नीतियां रही।

जनता पार्टी ने जो एक नीति निकाली थी वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मिनिस्टर आफ इण्डस्ट्रीज ने लोकसभा में स्टेटमेंट दिया : उद्योग मंत्री द्वारा 7 अगस्त, 1978 को लोक सभा में कपड़ा नीति के बारे दिया गया वक्तव्य : जो रेलिवेन्ट पोर्शन है उसी को मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा : "भविष्य में संगठित क्षेत्र में बुनाई क्षमता में वृद्धि की अनुमति न दी जाए" हमारे यहां कन्ट्रोल क्लाथ का प्रोडक्शन होता था। उन्होंने कहा : "वर्तमान अनधिकृत विद्युत चालित करघों को जुर्माना लेने के बाद पंजीकृत तथा नियमित किया जाएगा। विद्युत चालित करघों की क्षमता को भी बढ़ने नहीं दिया जायेगा। विद्युत-चालित करघों की वृद्धि रोकने के लिए एक कानून लाया जाएगा।"

इसका क्या मतलब है? आप चाहते थे कि हमारे यहां टेक्सटाइल इण्डस्ट्री जो प्रोग्रेस कर रही है उसको रोक दिया जाए। आज हांगकांग और कोरिया का कपड़ा यूरोपियन कन्ट्रीज में और नार्थ अमेरिकन कन्ट्रीज में बिक रहा है तो हमारी टेक्सटाइल इन्डस्ट्री भी प्रोग्रेस कर सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हैण्डलूम इन्डस्ट्री बढ़े तो केरल में और कई दूसरे प्रदेशों में बढ़ सकती है। हमारे देश ट्रेडीशनली यह धंधा होता आ रहा है। हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर हैण्डलूम इण्डस्ट्री पनप सकती है। लेकिन क्या हैण्डलूम और पावरलूम इण्डस्ट्री इस देश की सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगी? हमारी जितनी मांग है उसकी पूर्ति कर देंगी?

कुछ दिन पहले जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था। टेक्सटाइल इण्डस्ट्री में हम कुछ आगे बढ़े थे और कुछ एक्सपोर्ट करने लगे थे लेकिन जनता पार्टी ने नीति बनाई कि हम पावर-लूम को रेग्युलराइज करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में लोग अनअथराइज्ड रूप से पावरलूम चलाते हैं और रजिस्टर नहीं करते हैं —— सरकार इस बात को चाहे जानती हो या न जानती हो। लोगों को कन्ट्रोल क्लाथ सही कीमत पर नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने उस पर रोक लगा दी। इसकी जरूरत नहीं थी, जरूरत तो इस बात की थी कि टेक्सटाइल इण्डस्ट्री जो डेवेलप कर रही थी, जो उसकी टेक्नालोजी

डेवेलप हो रही थी उसको मदद दी जाती। मिलें जो कन्ट्रोल कपड़ा बनाती हैं उसकी कीमत 4 रुपये प्रति मीटर होती है और उस पर करीब 2 रुपये 40 पैसे आप सब्सीडी देते हैं।

हम सब्सिडी देने के बाद, क्या यह चाहते हैं कि हमारा टैक्सटाइल भी कम हो जाए। उन्होंने कह दिया कि वीविंग में इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाएगा, पावरलूम नहीं बढ़ाए जायेंगे--यह कोई नीति थी। इनको यह कहना चाहिए था कि उनका विकास होना चाहिए, पावरलूम भी बढ़ना चाहिए। अगर आज हैण्डलूम में तरक्की हो, तो हम कब कहते हैं कि हैण्डलूम में तरक्की न हो।

आज कई जुलाहे हैं, तो यह चाहते हैं कि उनको लोन मिल जाए। जब वे सरकार के पास जाते हैं, तो सरकार कहती है कि हम को-आपरेटिव्ज को लोन देते हैं, किसी एक को नहीं। गावों में कई छोटे-छोटे लोग हैं, जो घरों में इन्डस्ट्रीज लगाते हैं, हैण्डलूम चलाते हैं, लेकिन उनको लोन नहीं मिलता है। उन लोगों को बड़े-बड़े मनीलैण्डर्स से ब्याज पर रुपया लेकर काम करना पड़ता है, लेकिन आप उन लोगों को लोन नहीं दे पाते। इस पर हमारी कई कमेटीज ने सिफारिश की है कि गवर्नमेंट को पावरलूम भी बढ़ाना चाहिए और हैण्डलूम को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन जनता पार्टी ने अगस्त, 1978 में एक पालिसी निकाली, उस पालिसी के दो आसपैक्ट मैंने अभी आपके सामने पढ़े। इस पालिसी का असर यह हुआ कि जो टैक्स्टाइल में बढ़ना चाहते थे, हम नहीं बढ़ सके। हमारे वूलन पर रोक लगा दी। सरकार बदलने के बाद जो इस प्रकार की नीति निकाली जाती है, यह उचित नहीं है। उस सरकार को चाहिए था कि उसी लाइन पर चलती, जिस लाइन पर पहले चल रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ-न-कुछ तो बदलना ही था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो नीति है, उस नीति को बदल दीजिए। जनता पार्टी ने जो अगस्त, 1978 में एक स्टेट पालिसी निकाली है, उसमें रद्दोबदल की आवश्यकता है, यदि आप हिन्दुस्तान की प्रगति करना चाहते हैं।

अभी मुझ से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि यदि हमारे यहां चीनी की कन्जम्पशन होती है तो हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं--एक्सपोर्ट क्यों नहीं करें ? अगर हम को बाहर ज्यादा पैसा मिलता है, तो मैं तो यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान में ज्यादा गन्ना पैदा करो, गन्ने की कीमत बढ़ा कर किसान को प्रोत्साहित करो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। किसी भी चीज के लिये एक्सपोर्ट की मार्केट ढूंढ़ने में समय लगता है, मार्केट ढूंढ़ना आसान काम नहीं है कि आज मार्केट ढूंढ़ ली और माल बिकने लगा। किसी वजह से दो साल बाद माल बेचना बन्द कर दिया, तो उस मुल्क से हम अलग हो जाते हैं और वह मार्केट हमारे हाथ से निकल जाती है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं--आज हम लोग क्या इम्पोर्ट करना चाहते हैं? हम ने एक आर्डर सोयाबीन की मशीन इम्पोर्ट करने के लिये दिया था, जब कि वह मशीन हमारे यहां भी बनती है। ऐसी चीजों पर हम को अपना रुपया नहीं लगाना चाहिए। हम को उन चीजों को इम्पोर्ट करना चाहिए जिन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे सीमेंट है, सीमेंट हम पैदा कर सकते हैं, उस के उत्पादन को बढ़ा दें तो हमें सीमेंट इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहां सीमेंट भी पर्याप्त नहीं हो पाता। आज कल हम स्टील भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम को अपना उत्पादन बढ़ाने की

कोशिश करनी चाहिए, जिस से जो चीजें हम यहां उत्पादित कर सकते हैं, उन को बाहर से न मंगवाना पड़े।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अरब कन्ट्रीज के पास तेल बहुत होने से उनके पास धन बहुत इक्ट्ठा हो गया है। वे उस पैसे से बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, हास्पिटल्स और रोड्स का विकास कर रहे हैं। मिडिल-ईस्ट में आज भी हमारे बहुत लोग काम कर रहे हैं, उस से हमें बहुत बड़ा फोरेन एक्सचेंज मिल रहा है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो आदमी मिडिल ईस्ट में करते हैं, हमारे जो इन्जीनियर्स काम करते हैं, उन्हें हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, उनकी सुविधाओं का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमें उनसे फारन एक्सचेंज मिलता रहे। जहां-जहां हमारे इन्जीनियर्स उन कन्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को कन्ट्रीज में जाकर बात करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जायें और हमें ज्यादा फायदा हो सके।

मैं मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं कि हमें उन मशीनों को नहीं मंगाना चाहिए, जिन मशीनों के कारण हमारी लेबर कम हो जाए। हां, टैक्नोलाजी हासिल करने के लिए यदि कोई मशीन मंगानी पड़ती है, तो वह भी हमें मंगानी चाहिए, लेकिन यदि हमारा खुद का बेसिक इन्फ्रास्ट्रेक्चर नहीं होगा, तो हम अपनी एक्सपोर्ट पालिसी में सकसेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए जो हमारी उत्पादन बढ़ाने की शक्ति है, उस में सब का कोआर्डिनेशन होना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं--हमारे यहां से जो माल बाहर जाता है, कुछ दिन तक तो क्वालिटी ठीक जाती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्वालिटी घट जाती है। यह तरीका भी बहुत गलत है। हमारा क्वालिटी पर पूरा नियन्त्रण होना चाहिए। पैकेजिंग का तरीका भी हमारे यहां ठीक नहीं है। जब कोई चीज बाजार में आती है, तो खरीददार सब से पहले उस के पैकेज को देखता है, किस प्रकार से उस चीज को रखा हुआ है, उस के बाद माल को देखता है। अगर माल सुनियोजित ढंग से रखा हुआ है तो लोग उस को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा व्यापर बढ़ सके।

श्री रामविलास पासवन (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र डागा साहब ने सरकार की नीति के संबंध में कहा, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उनसे एक बात कहना चाहता हूं। आप जरा देहातों में जाइये। चुनाव के पहले नारा लगता था--

जाति पर न पाति पर, इंदिरा जी की बात पर,
आज क्या नारा लगता है--

जाति पर न पाति पर, इन्दिरा जी की बात पर,

चीनी मिले 7 पर, डीजल मिले 8 पर।

और कुछ दिनों के बाद मुर्दा जाएगा घाट पर। इस लिये यह बात मत कहिए कि नीति क्या है। मैं आप की रिपोर्ट को देख रहा था। आज भी आप जो ब्लेम सरकार पर डालना चाहते हैं, वह 1977 के बाद से डालना चाहते हैं, यानि उस समय की हमारी सरकार पर डालना

चाहते हैं। लेकिन 1977 के पहले की रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, बड़ी मोटी किताब है और 1974 के पहले की रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, तीन सालों की रिपोर्ट पड़ी हुई है। हम भी जब उधर थे, यही बात कहते थे कि यह सब 30 साल के कांग्रेस के कुशासन का परिणाम है। इस लिये मैं समझता हूं — जब तक कोई बुनियादी परिवर्तन की बात हम लोग नहीं करेंगे जब तक कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो राष्ट्र के लिये, देश के विकास के लिए अच्छा हो, तब तक इन आरोप-प्रत्यारोपों में ही सदन का और देश का समय जायेगा, इसका कोई लाभ नहीं निकलेगा।

अब मैं सर्व प्रथम आप का ध्यान इस रिपोर्ट के निर्यात संवर्धन चैप्टर की ओर खींचना चाहता हूं। निर्यात संवर्धन पर 1979-80 में 358 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। किस रूप में खर्च किये गये--कैश-सबसडी, एक्सपोर्ट क्रेडिट और दूसरे साधनों में खर्च किये गये। इस संबंध में मैंने इसी सदन में एक प्रश्न पूछा था कि वे कौन से निर्यातक हैं, जिन्हें पिछले पांच वर्षों में 10 लाख रुपये से अधिक की सहायता दी गई तथा किन-किन घरानों से संबंधित थे। जवाब क्या मिला--इस व्यय का कोई निश्चित हिसाब नहीं रखा जाता। आप जरा सोचिये--हम पार्लियामेंट के मैम्बर्स हैं, मिनिस्टर्ज हैं, यदि हम को सैलरी ड्रा करनी होती है तो दस-पांच जगह दस्तखत करने पड़ते हैं, तब हम लोगों को रुपया मिलता है। जहां 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं--एक-एक निर्यातक को, उस के बाद कहते हैं कि उसका कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता। यह मेरे सवाल का जवाब है। फिर मैंने सप्लीमेंट्री सवाल पूछा, पी. ए. सी. की रिपोर्ट को देखिये। उस ने कहा है कि निर्यात संवर्धन सहायता के व्यय का सही हिसाब नहीं रखा जाता है। उसने भी इन की आलोचना की है। जब आप किसी चीज के लिये सहायता देते हैं, किसी निर्यातक को पैसा देते हैं, तो उस में उस का और आप का कोई दायित्व है या नहीं ? आप किसी वस्तु की निर्यात सहायता इसलिये देते हैं कि उस वस्तु निर्माण में वृद्धि हो। आप यह देखें कि वस्तुओं का निर्यात बढ़े, इस के लिए आप पैसा देते हैं और बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, जिन में निर्यात सहायता में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की वृद्धि आप ने की है लेकिन उन वस्तुओं के निर्यात में जो वृद्धि होती है, वह केवल 10 प्रतिशत की ही होती है। सहायता के रूप में पैसे देने का जो मामला है उसमें तो 90 प्रतिशत वृद्धि होती है लेकिन निर्यात में कवल 10 प्रतिशत की ही वृद्धि होती है और कुछ वस्तुओं के मामले में तो जो वास्तविक निर्यात है, उस में भी कमी आ गई है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब तक आप इन सारी चीजों के बारे में, अपनी पालिसी, नीति के बारे में पुनर्विचार नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का निदान नहीं होने वाला है।

अब आप एस.टी.सी. की ही बात ले लें। हम लोग गालियां देते हैं कि प्राइवेट मोनोपली है और उस में वे लोग बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और यही कहते हैं कि सारे का सारा मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं लेकिन आप का जो एस. टी. सी. है, वह क्या कर रहा है। आज आप यह देखिये कि एस.टी.सी का एकाधिकार 20 वस्तुओं के आयात-निर्यात पर है, बिल्कुल एकाधिकार है। इस के भी दो पहलू हैं। एक तो यह है कि एकाधिकार है आयात-निर्यात का, पूरा बिजनेस वह करते हैं और दूसरा पहलू है पंजीकरण का जो निर्यातकों का होता है। जो निर्यातक होते हैं उन को रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। अगर प्राइवेट वाला निर्यात करता है, तो उस को निर्यात करने के लिए पहले एस. टी. सी. में जाकर अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा और इस के लिए उस को कुछ परसेन्टेज देनी पड़ती है, कुछ राशि होती है जिस का

भुगतान करना पड़ता है। इस तरह से कुछ वस्तुओं का पूर्णतया आयात-निर्यात करना और दूसरा प्राइवेट वालों को निर्यात करने के लिए पंजीकृत करवाना है, इन दोनों को अगर मिलाया जाए, तो यह कुल बिजनेस का 80 परसेंट हो जाता है बल्कि उस से कुछ ज्यादा ही यह बैठता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मोनोपली कमीशन को छोड़ कर एस.टी.सी. का जो स्वंय का आयात-निर्यात है, और जो उस का बिजनेस है। इन दोनों को अगर घटा दिया जाए, तो 20 परसेंट बिजनेस रह जाता है। एक चीज और इस संबंध में कहना चाहता हूं और वह प्रशासनिक व्यय के बारे में है। यह कार्पोरेशन सब से ज्यादा प्रशासनिक व्यय कर रहा है प्रशासन के ऊपर और मैं तो कहूंगा कि यह व्यय नहीं है बल्कि अपव्यय है। आप के जितने ये कार्पोरेशन है, उन में एक यह धंधा बन गया है कि एक होड़ सी लगी रहती है विदेशों में जाने की। ऐसे-ऐसे डिपार्टमेंट है जहां अभी से यह लिस्ट बन गई है कि सन् 1982 तक कौन कौन अफसर बाहर जाएगा। वे निर्यात में वृद्धि करने के लिए तो क्या जाते है बल्कि विदेशों में भ्रमण करने के लिए ही जाते है।

अभी हमारे एक साथी ने रबर के बारे में कहा। आप के यहां रबर की कमी नहीं है और 1979-80 में रबर का उत्पादन ड्योढ़ा हो गया है लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि फिर भी रबर की कमी क्यों हो गई। मैं ऐसा समझता हूं कि रबर के जो उत्पादक है, वे सरकार से सांठ-गांठ कर के बढ़ा-बढ़ा कर दाम ले लेते हैं। सरकार से वे कहते हैं कि देखिये हमारा स्टाक सड़ रहा है और हम क्या करें और फिर उसी रबर को बाहर निर्यात करके अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। पिछले वर्ष जो रबर का आयात किया गया था, वह घटिया रबर था और वह आयात किया हुआ रबर बन्दरगाह पर पड़ा सड़ रहा है, अभी भी सड़ रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप यह देखें कि आप की बुनियादी नीति है, उस में कहीं कोई खामी तो नहीं है। जो उस में कमियां हैं, उन को दूर करने की आप कोशिश कीजिए।

आप के यहां टी. डी. ए., है यानि ट्रेड डेवलपमेंट आथोरिटी है। अब अगर कोई निर्यातक है और वह उस ट्रेड डेवलपमेंट आथोरिटी के पास जाता है और उस को अगर कोई जानकारी हासिल करनी है, तो उस से फार्म भरवाया जाएगा और मेम्बर उस को बनाया जाएगा लेकिन सुविधा उस को क्या मिलेगी ? सुविधा कोई नहीं दी जाती है और यहां भी वही बात चलती है जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है। टी. डी. ए. में जो अफसर लोग हैं, उन को हमेशा यही चिन्ता रहती है कि कहां कहां और कब जाना है और घूम कर आना है। देश के आर्थिक विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस की उनको चिन्ता नहीं है। चिन्ता है तो इस बात की कि विदेशों में कितनी बार जाएं और कैसे घूमें।

एक आपके यहां एम. एम. टी. सी. है। मोटल एण्ड मिनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन। यह कारपोरेशन धातुओं का व्यापार करती है। इसका प्रशीसन व्यय इतना है कि जब पैसे की जरूरत होती है तो जो सामान बाहर जाकर बेचना चाहिए उसी को 50 से 25 परसेंट कम दाम में अपने घर में बेचना शुरू कर देती है।

अभी हमारे साथी ने कहा कि चाय का मामला है। आज नार्थ ईस्टर्न रीजन की जो हालत है उसमें मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या आपने चाय के लिए कोई आल्टरनेटिव खोजा है, आल्टरनेटिव क्षेत्र खोजा है। असम का मामला बढ़ रहा है। क्या आपने पता लगाया

है कि चाय के निर्यात से जो आप 50 साल से विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, अगर किसी कारण से वहां डिस्टरबेंस हो जाए और वहां से चाय आप निर्यात न कर सकें तो हिन्दुस्तान में और दूसरे कौन से क्षेत्र हैं जहां से चाय पैदा कर आप निर्यात कर सकें?

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जन्ता शासनकाल में चाय पर 5 रुपये का निर्यात शुल्क लगाया गया जिससे चाय उद्योग को बहुत क्षति पहुंची है। अब आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान: आपका उत्तरप्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है । इनके पहाड़ी इलाके हैं । आप वहां सर्वेक्षण करवाइये, आप खोज कराइये कि वहां चाय का उत्पादन हो सकता है या नहीं । आप एक जगह पर ही जहां सम्पदा है, जहां स्रोत हैं निर्भर रहते हैं । आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप दूसरे स्थानों पर भी स्रोतों का पता लगाएं।

मैं हाजीपुर से आता हूं। हाजीपुर और वैशाली में सब से ज्यादा तम्बाकू की खेती होती है । आप तो यहां पिछली सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन हम लोगों के यहां जाइये वहां लोग पिछली सरकार को देवता के रूप में मानते हैं। वह पहली सरकार थी जिसने तम्बाकू पर से एक्साइज ड्यूटी हटायी। नहीं तो पहले इंस्पेक्टर को पैसा न देने पर वह ए ग्रेड का तम्बाकू बी ग्रेड का कर देता था। उस समय तम्बाकू को खेतों में जला दिया जाता था। किसान को बड़ी परेशानी होती थी। पिछली सरकार ने यकायक एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी । हमारे यहां बहुत मात्रा में तम्बाकू होता है, केला भी होता है । अगर चाहे तो सरकार रिसर्च करा कर तम्बाकू का विकास कर सकती है और उससे विदेशी मुद्रा कमा सकती है। हमारे यहां अच्छे से अच्छा केला पैदा होता है । उसके बारे में भी रिसर्च करायी जाए और उसका पाउडर वगैरह: बनवाया जाए। और बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं।

इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सर्वेक्षण वगैरह: कराते रहें । इसको किताब पर ही नहीं बल्कि वास्तविकता में कराना चाहिए जिससे सही मायनों में देश का उत्थान हो सके। नयी नयी रिसर्च हमें करनी चाहिए और नयी नयी चीजें पैदा करनी चाहिए।

अभी मैं सुशीला जी को सुन रहा था। वे कह रही थी कि केरल में कोको का मामला है। कोको का आप आयात करते हैं। आयात करने पर इसका दाम आप बीस रुपए किलो देते हैं। दूसरी ओर केरल के किसान को कोको का पालन पोषण करने में पांच साल लगते हैं और उनकी कोको को आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुंह में झोंक देते हैं। उसका दाम उनको पांच रुपए, सात रुपए किलो मिलता है। विदेश से मंगायेंगे तो आप बीस रुपये किलो देंगे और उसी को अगर घर में पैदा कीजिएगा तो पांच या सात रुपये किलो दीजिएगा । सुशीला जी ने ठीक कहा कि आप इसके आयात पर क्यों नहीं रोक लगाते ? यह जरूरी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे यहां के किसान को फायदा नहीं होगा।

रबड़ के सम्बन्ध में मैंने कहा कि रबड़ का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। आयात और निर्यात नीति के सम्बन्ध में अगर किसी साल में पांच करोड़, दस करोड़ या पचास-सौ करोड़ रुपये का घाटा भी हो जाए तो उससे कोई देश का विकास रुकने वाला नहीं है क्योंकि अपने देश का निर्यात और आयात विदेशों की उथल-पुथल पर भी निर्भर करता है । जब फारेन मार्केट में उथल-पुथल होती है तो उसका प्रभाव आपकी मार्केट पर भी पड़ता है । इसलिए आप अपने प्रशासन को सुदृढ़ कीजिए, आप अपने प्रशासन में फिजूलखर्ची पर रोक लगाइये । यह किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। विदेशों से आप अधिक से अधिक मुद्रा लाएं इसके लिए सभी

7—468 LSS/80

आपकी प्रशंसा करेंगे और सभी पार्टी चाहेंगी कि ऐसा हो। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी नीयत में खामी हो, नीति में खामी हो सकती है। लेकिन नियत में सभी लोग चाहते हैं कि हमारे देश में अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा आए। इसके लिए सरकार को स्वयं अपनी नीति बनानी पड़ेगी।

ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं जिन्होंने सभी जगह अपने पांव फैलाए हुए हैं, सभी चीजों पर अपना चुंगल जमाया हुआ है, और जो सरकार के दाएं बाएं घूमते रहते हैं, जब तक आप इनकी ओर बारीक निगाह से ध्यान नहीं देंगे, उनकी गतिविधियों की बारीकी से जांच नहीं करेंगे, तब तक न आपका भला होगा और न ही देश का होगा। तब तक अच्छे परिणाम निकलने की आशा भी नहीं की जा सकती है।

श्री गंगाधर एस. कुचन (शोलापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 1980-81 के लिए सामान्य बजट के सम्बन्ध में, जो अनुदानों की मांगें-- आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी ने सदन के सामने चर्चा तथा मतदान के लिए प्रस्तुत की हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए कुछ मांगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं, कुछ घटनाओं के ऊपर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

मान्यवर, मैं हैंडलूम वीवर्स कम्युनिटी का हूं। इसलिए हथकरघा और कपड़ा उद्योग में मेरी ज्यादा दिलचस्पी है। अतः इन्हीं बातों का जिक्र मैं खास तौर पर करूंगा। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने की क्षमता इसी उद्योग में है। मगर दुर्भाग्यवश इस उद्योग की तरक्की अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मगर बड़ी कोशिश के बावजूद हथकरघा उद्योग दिन-ब-दिन अवनति की ओर ही जा रहा है। इसका बुरा असर ग्रामोद्योगों पर पड़ रहा है। इस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इसका दोष मैं किस को दूं, --यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं यह समझता हूं कि इस उद्योग का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। भारत में 35 लाख हथकरघे स्थापित हैं, ऐसा कहा जाता है। मगर मेरा ख्याल है कि यह आंकड़ा बहुत पुराना है। अगर पता लगाया जाए तो आपको पता चलेगा कि इससे कहीं ज्यादा हथकरघे भारत में हैं। इस उद्योग का भविष्य अंधकारमय दिखाई देने की वजह से इसकी ओर नई पीढ़ी आकृष्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी को इस उद्योग में जुटाने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। बीस सूत्री कार्यक्रम में खास कर इस उद्योग की उन्नति के लिए पग उठाने की बात कही गई थी और कारगर उपाय करने का भी निश्चय किया गया था। इसलिए मैं अपने आदरणीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रति इस ग्रामोद्योग की ओर से कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

मान्यवर, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक हथकरघा विकास निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हथकरघा प्रायोगिक संस्था स्थापित करने का भी संकल्प किया है। इसका मैं स्वागत करता हूं और उनका बहुत आभार मानता हूं। इसके लिए जो राशि इस वर्ष निश्चित की गई है वह बहुत कम है। अगर इस निगम और संस्था को कारगर ढंग से चलाना है और सफल बनाना है तो शुरू से ही इसको ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। इस निगम का गठन जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए और बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज पर इसी क्षेत्र में काम करने वालों और हथकरघा उद्योग की सभी समस्याओं की

सही जानकारी रखने वालों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसी कम्युनिटी के एक्टिव व्यक्तियों की नियुक्ति इस में की जानी चाहिए। यह मेरी आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी से विनम्र बिनती है।

विदेशों में हथकरघा कपड़े की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है। इसको और ज्यादा पापुलर बनाने के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई एक्सपोर्ट ओरियेंटिड यूनिट्स देश में प्रस्थापित किए गए हैं। उनका कार्य, उनका संचालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसका जायजा हर साल लिया जाना चाहिए और इन में कुछ मैनुपलेशन तो नहीं हो रहा है, इसको देखना चाहिए। जिस प्राजेक्ट के लिए बहुत बड़ी धनराशि दी जा रही है, उसका प्रबन्ध अगर नव गठित हथकरघा विकास निगम के हाथों में सौंपा जाए तो अच्छा रहेगा। हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल का रोल इस संबंध में क्या रहा है और इसके द्वारा कितना और क्या काम होता रहा है और होता रहेगा, इसका ब्यौरा हर साल प्रकाशित होता रहना चाहिए और लोगों को मिलता रहना चाहिए। ऐसा किया गया तो यह बहुत अच्छा होगा।

मान्यवर, आल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग सोसायटी को सरकार हर साल लाखों रुपयों से मदद करती आ रही है लेकिन वास्तव में इसका लाभ कौन सा सैक्टर ज्यादा उठाता है यह देखने और सोचने की बात है। मेरे ख्याल में इस सोसइटी के बाई लाज को पूरी तरह से बदला जाना चाहिए और इसको सहकारिता के क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज की चुनाव प्रणाली में परिवर्तन करके, इसका पुनर्गठन करने की जरूरत है और इस संस्था को सारे भारत वर्ष और विदेशों में हथकरघा कपड़े का प्रसारण करने की मोनोपली मिलनी चाहिए। यह बात मैं खास तौर पर जनता साड़ी और धोती के लिए कह रहा हूं क्योंकि इस योजना के लिए सरकार हर साल बहुत ज्यादा सबसिडी तथा रकम इसको देती आ रही है। पिछले बरस की 22 करोड़ की धनराशि के मुकाबले में इस वर्ष इसके लिए 30 करोड़ की मांग रखी गई है।

अगर सचमुच ज्यादा कपड़े का उत्पादन हो तो मेरा कुछ कहना नहीं। मगर मेरी यह इन्फार्मेशन है कि इस योजना में बहुत सी बुराइयां आ चुकी हैं, बोगस एन्ट्रीज बड़े पैमाने पर हो रही हैं और सरकार का पैसा हथियाने का षडयंत्र चलता आ रहा है। उसका एक कारण यह है कि अभी की योजना के अनुसार जो संस्था प्रोडक्शन करती है, वही मार्केटिंग करती है। करीबन,कीमत की एक-तिहाई सबसिडी होने की वजह से उस में अप्रामाणिकता बढ़ती आ रही है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि अभी की सारी संस्थाओं को सिर्फ प्रोडक्शन सैंटर्स बनाएं, और मार्केटिंग की सारी जिम्मेवारी किसी अन्य राष्ट्रीय या प्रान्तीय संस्थाओं और कंज्युमर्स को-आपरेटिव संस्था द्वारा करने की कारगर योजना बनायी जाए। उसके अलावा मेरा यह सुझाव है कि केन्द्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें हर साल हर वक्त करोड़ों रुपयों की टैक्सटाइल गुड्स बड़ी-बड़ी मिलों से जो खरीदती हैं, अगर यह कपड़ा सिर्फ खादी और हथकरघा उद्योग से ही खरीदा जाए तो मार्केटिंग का 40 प्रतिशत कार्यभार अपने आप सुलझ जाएगा। मैं उस की ओर आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और विनती करता हूं कि जल्द से जल्द इस बात के पक्ष में निर्णय किया जाये।

गये दो बरसों से इस इंडस्ट्री को कच्चे माल यानी काटन यार्न की सैप्लाई में बहुत कठिनाइयों और मंहगाई से गुजरना पड़ रहा है। मेरा यह दावा है कि कपास के मूल्यों में जो

वृद्धि इन दिनों में हुई है, उसके मुकाबले में, कई गुना ज्यादा वृद्धि काटन यार्न में हुई है। इसलिए हथकरघा बुनकरों को सही दामों में काटन यार्न मिलने की व्यवस्था की जाए और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कताई मिलें सरकार क्षेत्र में निकलवाने की कोशिश की जाये।

साथ ही साथ मेरा यह सुझाव है कि 50,000 स्पिंडल्स तक अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की सहूलियत जो सभी कताई मिलों को दी गई है उसके परिणामस्वरूप हर कताई मिल अपनी ज्यादा से ज्यादा सरप्लस मशीनरी या बिल्डिंग का लाभ उठाने की सोच रही है। मगर सरकार एन. सी. डी. सी. द्वारा जो शेयरी में सम्मिलित होने के लिए धाराशि देती है, वह पचास हजार, स्पिंडल्स तक ही सीमित है, उसको जल्द से जल्दी बढ़ा कर जो कताई सहकारी मिलें 50,000 स्पिंडल्स इन्स्टाल करना चाहती हैं, उनको उसके लिए सरकारी शेयर्स लेने के लिए एन. सी. डी. सी. को कहा जाये। उससे एक दो बरसों में दुगुने काटन यार्न का उत्पादन हो जाएगा। यह सिर्फ पालिसी डिसीजन लेना है और अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए इस वर्ष जो 3 करोड़ रुपए की मांग की है, उसको बढ़ाकर लेना चाहिए।

इसके अलावा हथकरघा उद्योग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के हैंक फार्म के काटन यार्न पर ली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी जो है, वह पूरी तरह से माफ करनी चाहिए। खासकर सतरंगी बैडशीट्स, चादर जैसे उत्पादनों को जो 10 काउंट का सूती धागा लगता है, उन पर 1977 के पहले पूरी तरह से एक्साईज की छूट थी, मगर जनता गवर्नमेंट आने पर उस पर एक्साईज थपा गया है, वह शीघ्र ही हटाना चाहिए, ऐसी मेरी विनता है।

इंडस्ट्रीयल हाउसिंग स्कीम, जो बड़े बड़े फैक्टरियों के कामगरों के लिये सबसीडाइज्ड तौर पर केन्द्रीय सरकार ने शुरू की थी और यह योजना 1969 में राज्य सरकारों को सौंपी गई, उसी तरह हथकरघा बुनकरों के लिए पचास प्रतिशत सबसिडी और पचास प्रतिशत कन्सेशनल रेट आफ इन्टरेस्ट के जरिये कर्जा उपलब्ध कर के बड़े पैमाने में आवास योजनाएं बनाकर अमल में लाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। इससे हर बुनकर को अपना हस्त-कौशल और कुशलता दिखाकर नये नये ढंग के और आकर्षक वस्त्र निर्माण करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने का अवसर मिल जाएगा और इस उद्योग की तरक्की होकर, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा राष्ट्र को मिलती रहेगी और करोड़ों बुनकरों की दुआएं सरकार को मिलेंगी।

यह कहते हुए मैं बजट का और वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डा. सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई- उत्तर-पूर्व): वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत बड़ा मंत्रालय है। हर वर्ष इस मंत्रालय के द्वारा 12,000 करोड़ रुपए का निर्यात होता है और मंत्रालय ने 17 निर्यात परिषदें, 11 सरकारी उपक्रम और 12 वस्तु बोर्ड स्थापित कर रखे हैं। इसलिए मंत्रालय का कार्यक्षेत्र बहुत ही व्यापक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर अंग को छूता है। अतः इन सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डालना बहुत कठिन है, मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र को चुनता हूं, इसके लिये मैं वार्षिक प्रतिवेदन को ही लेता हूं। आपने आज का समाचार पत्र देखा होगा। इससे यह

पता चलता है कि निर्यात की दर में कमी हुई है। यह कहा गया है कि वर्ष 1974-75 से वर्ष 1976-77 की अवधि की लगभग 27 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन दर में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की कमी हुई है। कहा गया है कि पहले काम अच्छा था और जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद उत्पादन में गिरावट आयी है। यहां यही राग अलापा जाता है। मेरे विचार में मुझे इन आंकड़ों का खंडन करना चाहिए। आंकड़े सही हैं लेकिन इस अवधि पर हमें गहराई से विचार करना है। 1974-75 से 1976-77 की अवधि को क्यों चुना गया? 1966-67 से 1976-77 की अवधि को क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि वे वैभवशाली या गतिशील दशक आदि के बारे में बातें कर रहे थे ? केवल इन्हीं तीन वर्षों को क्यों चुना गया, सभी दस वर्षों को क्यों नहीं चुना गया? 1972-73 की भारी बहुमत और गरीबी हटाओ की अवधि को क्यों नहीं चुना गया ? अवधि के चयन का उद्देश्य इन आंकड़ों के परिणामों को प्रभावित करना है।

इस सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1979-80 की वार्षिक समीक्षा में स्पष्ट कहा गया है कि व्यापार का संतुलन चाहे कुछ भी हो, 1976-77 का 2863 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का भण्डार अगले वर्ष, जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई, बढ़कर 4499 करोड़ रुपए हो गया और 1978-79 में जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो यह और बढ़कर 5219 करोड़ रुपये हो गया। इसलिए इस वर्ष की नवीनतम स्थिति यह है कि यह 4890 करोड़ रुपये है अत: व्यापार संतुलन पक्ष में न होते हुए भी, वास्तविकता यह है कि देश की विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़ा जिसका काराण विदेशों से धन का भेजा जाना ही है। यह धन अधिकांश मध्य-पूर्व देशों से आया। हमें यह याद रखना है क्योंकि हम जानते हैं कि यह सरकार कठिनाई के समय कुछ अन्य बातों को दोषी ठहराती है। उदाहरणार्थ, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि 'ओपेक' देशों ने मूल्य बढा लिये हैं । यह बात ठीक है कि उनहोंने मूल्य बढ़ाये हैं जिसके फलस्वरूप हमारा आयात व्यय बढ़ गया है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 'ओपेक' देशों को आर्थिक आय होती है । वे हमारे श्रमिकों का आयात करते हैं और वे श्रमिक धन देश को भेजते हैं अत: हमें देखना है कि हमें कितनी हानि होती है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ 'ओपेक' देशों में तेल मूल्यों में एक डालर की वृद्धि से हमें एक डालर 14 सेंट का लाभ प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में 'ओपेक' देशों में मूल्य वृद्धि से हमें लाभ ही पहुंचता है । यही कारण है कि व्यापार संतुलन में घाटे के बावजूद भी हमारी भंडार बढ़ रहे हैं । सरकार को तेल देशों के बारे में किये जा रहे इस गलत प्रचार को बंद करना चाहिए। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । उनके पास प्राकृतिक साधन हैं । वे एक हो गए हैं और विकसित देशों से अच्छे मूल्य ले रहे हैं । हमें चाय, काफी, कोका आदि के बारे में भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें इन देशों के बारे में विकासशील देशों को संगठित करना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए जैसा कि 'ओपेक' देश करते हैं। लेकिन उससे कुछ सीखे बिना हम किसी और पर दोष लगा रहे हैं । अत: मैं सब से पहले कहना चाहूंगा कि उत्पादन दर में 27 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की कमी के लिये आप जनता सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते और न ही यह सरकार पहले वर्षों में हुई वृद्धि के लिए श्रेय ले सकती है। इस पुस्तक में दिए गए आंकड़ों को देखने से आपको आश्चर्य होगा कि 1974-75 में जब निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही थी, उस समय उन में से 38 देशों को चीनी तथा चांदी जैसी चुनी हुई वस्तुओं से ही गुजारा करना पड़ा और 1976-77 में लोहे और इस्पात से ही गुजारा करना पड़ा, क्योंकि इस देश में इन वस्तुओं की भरमार थी।

इन तीनों वस्तुओं में से दो या तीन को मिलाने से निर्यात में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके विशेष कारण हैं। उनका सरकार की नीति से कोई संबंध नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अतः स्वभावतः भाभा की दृष्टि से हमें अधिक मिला। चांदी के बारे में भी यही स्थिति है और इस वर्ष लौह अयस्क को भी यही स्थिति रही है। अतः सरकारी नीति को इसका श्रेय नहीं मिल सकता है। सरकारी नीति को श्रेय तब मिल सकता है जब हमें यह मालूम हो जाए कि सरकारी नीति के कारण भारत का हिस्सा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गया है। हमें इससे क्या मालूम होता है? भारतीय निर्यात के बारे में ये स्थायी तथ्य हैं। विश्व के बाजार में भारत के निर्यात के हिस्से में निरन्तर अबाध कमी आई है। 1950 में विश्व निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा 2 प्रतिशत से कुछ अधिक था। 1970 में यह कितना था? स्वयं "इक्नामिक सर्वे" के पृष्ठ 58 के अनुसार भारत का विश्व निर्यात में हिस्सा केवल .7 प्रतिशत था। 1950-51 में यह दो प्रतिशत से कुछ अधिक था और 1970-71 में यह घट कर .7 प्रतिशत रह गया। अगले वर्ष जब भारी बहुमत मिला तब यह .63 प्रतिशत था फिर .55 रह गया और आज यह केवल आधा प्रतिशत है। अब यह कमी विश्व के निर्यात में 1950-51 के 2 प्रतिशत से अधिक से घटते-घटते आज आधा प्रतिशत तक पहुंच गई है, इस पर सरकार को चिंता होनी चाहिए। जनता सरकार इसे बदल सकती थी किन्तु हम केवल दो वर्ष ही सत्ता में रहे। यदि हम सत्ता में अधिक समय रहते तो सम्भवतः इसके बारे में कुछ करते। ये लोग 30 वर्ष सत्ता में रहे। 30 वर्षों की इस सरकार को ही भारी कमी का श्रेय है। 1974-75 से 1976-77 तक की अवधि में निर्यात में बड़ी वृद्धि हुई किन्तु विश्व के निर्यात में भारत के निर्यात के हिस्से में सिवाय एक वर्ष को छोड़कर कमी आई। क्यों? क्योंकि जब विश्व के निर्यात में वृद्धि होती है तो हमारा निर्यात भी बढ़ता है। किन्तु क्या हमारे हिस्से में भी वृद्धि हुई है? नहीं इससे निर्यात के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि निराशजनक रही है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण हमारे व्यापार का निर्देशन है। आज भी हमारे निर्यात का 45 प्रतिशत पश्चिम यूरोप तथा अमेरीका के देशों को जाता है। जिनकी संरक्षणवाद की विशेष नीति है। उनकी अपनी शर्तें होती हैं। हम उनसे भीख मांगते हैं। इस सरकार ने पाश्चात्य देशों से बड़े रूप में विदेशी सहायता मांगना आरम्भ किया है। आपने देखा है कि पेरिस में अधिक सहायता मांगने पर उन्होंने किस प्रकार अपमानजनक रूप में व्यवहार किया है। देश में 5000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होने पर सरकार ने अधिक सहायता के लिए एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा और विश्व संघ ने कहा: नहीं, हम आपको अधिक सहायता नहीं देंगे। यह जनता शासन में कभी नहीं हुआ। वास्तव में जनता शासन में वे हम पर सहायता थोप रहे थे। हमने कहा: हमें यह सहायता नहीं चाहिए। यही कारण है कि हमें हजारों करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृति मिली। वित्त मंत्री ने कहा -- मैं उस दिन उन्हें टोकना नहीं चाहता था--कि डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने स्वीकृति की बात नहीं कही थी। हमने स्वीकृति की बात इसलिए नहीं कही थी कि जनता सरकार जानबूझ कर विदेशी सहायता नहीं चाहती थी। और उन्होंने केवल 500 करोड़ रुपये की सहायता का ही प्रयोग किया। ये लोग गए और इन्होंने विदेशी सहायता मांगी और सहायता संघ देशों ने इसे अस्वीकार किया। उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को गिराया है।

हम अफ्रीका के बारे में इतना ही कहते हैं कि अफ्रीका को हमारा निर्यात 5.9 प्रतिशत है तथा एशिया में 25 प्रतिशत है। हम आस पास के देशों को बिल्कुल भी निर्यात नहीं

करते हैं। पाकिस्तान को कुछ निर्यात नहीं करते, चीन को कुछ निर्यात नहीं करते। जिन देशों को हम कम परिवहन लागत पर निर्यात कर सकते हैं उन्हें हम निर्यात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में साइकिल 800 रुपये में बिकती है और भारत में 300 रुपये में बिक रही है। हम उन्हें साइकलें बेच सकते हैं। हम यह क्यों नहीं करते? किन्तु कोई प्रयास नहीं किया गया है। हम अभी भी यूरोपियन दृष्टि से देख रहे हैं चाहे वह पश्चिमी यूरोप हो या पूर्वी यूरोप हो। हम अपने देश की सामरिक स्थिति की दृष्टि से नहीं सोच रहे हैं कि इस देश को क्या करना चाहिए। ऐसी गलत धारणा है कि भारत की समस्या प्रतियोगिता की कमी है। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक अध्ययन शुरू किया है, श्री एस. के. वर्गीस के **'इकनामिक एण्ड पोलिटीकल वीकली'** में किये गये अध्ययन के अनुसार, जिसमें एक अच्छा चित्रण किया गया है कि भारत के निर्यात की समस्या प्रतियोगिता नहीं है। किन्तु तथ्य यह है कि हम उचित किस्म, उचित सुपुर्दगी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। प्रतियोगिता के गैर-मूल्य क्षेत्रों में हम वास्तव में पीछे हैं। इस पर मंत्री महोदय को अधिक ध्यान देना है। दुर्भाग्य से हमें इस बजट से यह दिखाई देता है कि उन्होंने नकद प्रोत्साहन, सहायता, राजसहायता देने के पुराने तरीके को निर्यात में सुधार करने के लिए अपनाया है, इस तरीके से आप निर्यात में सुधार नहीं करेंगे। मेरे विचार से आप यह कर सकते हैं कि आप अपने परम्परागत मदों के लिए उत्पादक संघ बना सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने निर्यात के लिए उचित प्रसिद्धि प्राप्त कर पायें। यदि आप यह कर सकते हैं तो आपका निर्यात बढ़ सकता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं, क्योंकि आप समय के बारे में मेरे प्रति उदार नहीं हैं। अत: मैं कहना चाहता हूं . . . .

सभापति महोदय: डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, मैं हमेशा आपके प्रति उदार रहा हूं, क्योंकि आपका नाम 'स्वामी' है। किन्तु आपके दल को . . . . आवंटित किया गया है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: जी हां, आप दलों को कैसे समय देते रहे हैं मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं इसे नोट करता हूं। मैं आपसे केवल कुछ थोड़ा अतिरिक्त समय चाहता हूं

अब समय आ गया है कि हम विदेश-व्यापार के बारे में नई नीति अपनाएं। हम 1950 से आरंभ होने वाले दशक में निर्यात प्रोत्साहन की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना, आयात-प्रतिस्थापन पर जोर देने की नीति अपनाते रहे हैं। 1960 से आरंभ होने वाले दशक में इस बारे में फिर से विचार किया गया और 1970 से आरम्भ होने वाले दशक में हम और भी आगे बढ़ गये हैं और आयात प्रतिस्थापन के बारे में भूल गये तथा केवल निर्यात संवर्धन के बारे में ही सोचने लगे। वास्तव में हम जो कुछ कर रहे वह उसके विपरीत है जो हमें करना चाहिए। 1950 से आरम्भ होने वाले दशक में जब हम बिना किसी आधार के कृषिप्रधान देश थे तो किसी आधार को बनाते हुए हमें निर्यात संवर्धन पर जोर देना चाहिए था और जैसा जोर हम 1950 से आरम्भ होने वाले दशक में आयात प्रतिस्थापन पर दे रहे थे, वह हमें नहीं देना था। आज आवश्यकता इसके विपरीत परिवर्तन करने की है। आयात प्रतिस्थापन पर जितना जोर दे रहे हैं उससे भी अधिक जोर हमें देना चाहिए। मुझे इस सरकार की नीति से क्या दिखाई देता है? बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए फिर से व्यवस्था की गई है मानो कोका

कोला वापस आ रहा हो। कोका कोला को समाप्त कर जनता सरकार ने यह सिद्ध किया है कि कितने भारतीय पेय बन सकते हैं और कितना रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है। किन्तु वे कोका कोला की दृष्टि से सोच रहे हैं, वे हवाई करतब दिखाने विमानों के आयात करने की बात सोच रहे हैं तथा वे सभी प्रकार की चीजों का आयात करने की सोच रहे हैं। कल यदि वे टेलीविजनों का आयात करना आरम्भ करें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अत: समय आ गया है कि आयात प्रतिस्थापन के बारे में हम गम्भीरता से सोचें। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? निर्यात बढ़ाने के बारे में बात करने का कोई लाभ नहीं है। हमारे पास काकी निर्यात अधिशेष नहीं है। किसी बड़े निर्यात कार्यक्रम के बारे में सोचने से पहले हमारे पास काफी निर्यात अधिशेष होना चाहिए। किन्तु, महोदय, क्या आप आयात में कटौती कर सकते हैं? उत्तर है, 'हां'। 1978-79 में हमने 878 करोड़ रुपये का फार्म उत्पाद का आयात किया। इसका हम आसानी से अपने देश में उत्पादन कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम यह क्यों आयात कर रहे हैं। सम्भवत: हम 'केवियर' और 'फ्रागलेग्ज' तथा सभी प्रकार की स्वादिष्ट वस्तुएं आयात कर रहे हैं। ये सब 878 करोड़ रुपये का फार्म उत्पाद हैं। इसी तरह से हमने 450 करोड़ रुपये के उर्वरक आयात किये। इनके स्थान में हम आसानी से देश में ही उत्पादन कर सकते हैं। किन्तु मेरे विचार से इसके लिए एक नई नीति की आवश्यकता है और वह है आयात प्रतिस्थापन की वचनबद्धता तथा आयात प्रतिस्थापन को प्राथमिकता देने की वचनवद्धता। मैं निर्यात सवर्धन के विरोध में नहीं हूं कि निर्यात को इस आधार पर बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जैसा कि वे धनराशि देकर तथा राज सहायता देकर कर रहे हैं। भारतीय निर्यात प्रतियोगिता से पूर्ण है। भारतीय निर्यात की समस्या सरकार की बाजार ढूंढने की आक्रामक नीति की है तथा यह सुनिश्चित करने की है कि लोग हमारे उत्पाद लें और समस्या अफ्रीका में और एशिया में बाजार ढूंढने की है नाकि पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप में बाजार ढूंढने की है। वे कहां भी जा सकते हैं। किन्तु यहां के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार हमें अपनी नीति को नई दिशा देने की आवश्यकता है। अन्यथा मेरे विचार से हम यह नहीं कर सकते।

महोदय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, भारत का कार्य संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन तथा अन्य स्थानों में अच्छा नहीं रहा है। मुझे यह कहते दु:ख होता है। उभय निधि के प्रश्न पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के उत्तरी और दक्षिणी देशों की बातचीत में योगदान को मैं देखता रहा हूं। वे श्रेय का दावा कर सकते हैं किन्तु मैंने देखा कि जहां कहीं भी विकासशील देशों के हितों का संबंध होता है भारतीय प्रतिनिधिमंडल की हमेशा दोहरी वृत्ति रही है। वह नहीं जानते कि उन्हें यहां होना चाहिए या वहां होना चाहिए। अब समय आ गया है कि हमें अधिक आक्रामक पक्ष लेना चाहिए, आयात प्रतिस्थान पर जोर देना चाहिए तथा विकासशील देशों के साथ मिल कर निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। यही एक रास्ता है जिससे हम 1980 से आरम्भ होने वाले दशक में अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा कांग्रेस (आई) के पांच महीने के शासन में जैसा हो रहा है उससे भी बुरी स्थिति हो जायेगी।

कुछ माननीय सदस्य: अनुवाद नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: शायद कोई अनुवादक नहीं है। आप तब तक ठहरिये जब तक अनुवादक आता है। श्री राम गोपाल रेड्डी।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वार्षिक प्रतिवेदन में मंत्री महोदय ने कहा है कि आन्तरिक मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्याज, टमाटर और आलू जैसी निर्यात की मदों पर प्रतिबंध लगाया है । किन्तु इन वस्तुओं के उत्पादन की हमारे यहां काफी गुंजाइश है । वास्तव में इन मदों पर प्रतिबंध लगाकर वह अपने उत्पादन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं जिसके गिरने की संभावना है। अतः मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि प्रतिबंध को हटाएं और लोगों को इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें।

वैसे तो उन्हें चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए । एक बार जनता शासन में मैंने संसद में कहा था कि यदि आप सारी चीनी अरब सागर में डालें तो सारा सागर मीठा हो जाएगा। दुर्भाग्य से सारी की सारी चीनी का दुरुपयोग किया गया है । एक बार हमारे पास 45 लाख टन का अधिशेष था किन्तु असाधारण कम कीमतों के परिणामस्वरूप मिलों और गन्ना उत्पादकों का दिवाला निकल गया। आंशिक रूप से नियंत्रण हटाने की इस मंत्रालय द्वारा जो नीति क्रियान्वित की जा रही है उससे मुझे आशा है कि इस देश के लोगों को कुछ चीनी मिलेगी। यदि अक्तूबर से आगे, जब 'रिकवरी' कम होती है, चीनी के तेजी से उत्पादन के लिए कुछ प्रोत्साहन दिये जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हम कम से कम 45 लाख टन चीनी का उत्पादन कर सकेंगे। कांग्रेस शासन ने 65 लाख टन का उत्पादन करने की व्यवस्था की थी किन्तु दुर्भाग्यवश जनता शासन के दो वर्षों के अंदर उत्पादन घट कर 40 लाख टन रह गया। मंत्री महोदय को अगले दो वर्षों में मूल्य लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए।

युद्ध के बाद, हमारी विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि बहुत ही कम थी। अतः चीनी का निर्यात किया गया और श्रीमती गांधी ने लगभग 5 करोड़ रुपये कमाये। उसके बाद, बेकार श्रमिकों को खाड़ी देशों को भेजा गया था और हमने विदेशी मुद्रा भंडार में 4,000 करोड़ रुपये की अपार आय अर्जित की । दुर्भाग्यवश पिछले तीन वर्षों के दौरान यह सारा धन अपव्यय किया गया है। अब हमें उस अंतर को पूरा करना है। खाड़ी के देशों को हमारे श्रमिकों को भेजे जाने की बड़ी गुंजाइश है । मैं अपने मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि विधियां बहुत साधारण बनाई जायें और उनका वहां शोषण न हो ।

हम हल्दी, तम्बाकू, चीनी तथा कपास का उत्पादन कर सकते हैं । पहले ये निर्यात की हमारी मुख्य मदें थी । दुर्भाग्यवश, जनता शासन के दौरान, हल्दी पर 200 रु. प्रति क्विंटल निर्यात शुल्क लगा दिया गया था जिसके कारण मूल्य घट कर प्रति क्विंटल 2,000 रु. हो गये । हल्दी का उत्पादन कम हो गया है । मैंने मंत्री महोदय से शुल्क तुरंत वापस लेने के लिए अनुरोध किया है । इसे वित्त मंत्रालय को भेजा गया था और उन्होंने कहा कि यह तो वाणिज्य मंत्रालय है जिसने शुल्क लगाया था। संपूर्ण देश की हल्दी का लगभग 50 प्रतिशत का उत्पादन मेरे जिले में किया जाता है । सारे कृषक इस समय प्रचलित कम दर के कारण गरीब हो गया है।

हल्दी का उत्पादन कुडप्पा तथा मेडक जिले के भागों में किया जाता है। इसमें से अधिकांश उत्पादन मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में किया जाता है। मैं इस समस्या के बारे में वित्त मंत्री महोदय तथा वाणिज्य मंत्री महोदय को भी निरंतर रूप से लिख रहा हूं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में लोग गत तीन वर्षों के दौरान बहुत गरीब हो चुके हैं। एक समय था कि हर परिवार अपने मकानों में

लगभग 200 तोला सोना रखा करते थे और पिछले दो वर्षों में इसमें से अधिकांश सोना जनता पार्टी के गलत अनुमान के कारण निःसन्देह बहुत अच्छे मूल्य पर बेचा जा चुका है ।

हमें लौह अस्यक का अधिक निर्यात नहीं करना चाहिए, क्योंकि, यह ऐसी वस्तु है जो कम हो रही है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जो पुनः उपलब्ध की जा सकती है। कृषि उपज के बारे में यदि हम इस वर्ष भेज देते हैं तो दूसरे वर्ष इसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि लौह अस्यक के बड़े भंडार 200 से 300 तक वर्ष के लिये हैं फिर भी वह ऐसी वस्तु है जो हमें न्यास के रूप में विरासत में मिली है और हमें इसे बरबाद नहीं करना चाहिए ।

जहां तक हथकरघा, हथकरघा बुनकरों का संबंध है उनका शोषण बिजली करघा द्वारा किया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उन्हें संरक्षण प्रदान करें ।

हमारे देश में कपड़ा मिलें तथा जूट मिलें हैं। वे बहुत पुरानी मिलें हैं। हालांकि कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है फिर भी अभी बहुत सी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना है। हम प्रति वर्ष लगभग 80 करोड़ रु. से 100 करोड़ रु. के मूल्य की कपड़ा मशीनें देश में तैयार कर रहे हैं। हम उस में से लगभग 40 करोड़ रु. के मूल्य की कपड़ा मशीनों का निर्यात कर रहे हैं । परन्तु हमारे मिलों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है क्योंकि देश में कुछ फाल्तु पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ऐसे फाल्तू पुर्जे जो देश में उपलब्ध नहीं हैं या जिनको एक वर्ष अथवा ऐसी अवधि के भीतर निर्मित नहीं किया जा सकता है तो इस प्रकार की मशीनों का आयात किया जाए ताकि हमारी मिलों का आधुनिकीकरण किया जा सके ।

केन्द्र में निर्यात संवर्धन परिषद् हैं। परन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि राज्यों में भी निर्यात संवर्धन परिषदें होनी चाहिए ताकि संपर्क किया जा सके तथा राज्यों में काफी मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जा सके और उसके बाद केन्द्रीय सरकार उनके निर्यात का प्रबंध कर सके । बहुत से नवयुवक हैं जो निर्यात व्यापार में देश से कुछ वस्तुओं का निर्यात करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें अवश्य प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पहले केवल बड़े घराने निर्यात किया करते थे और बड़ा भारी धन कमाया करते थे। अब ये बुद्धिमान नवयुवक स्नातक-उपाधि तथा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद इस कार्य को कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से इन नवयुवक शिक्षित व्यक्तियों को सहायता देने तथा उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध करता हूं ताकि वे शानदार आजीविका अर्जित कर सकें और उस निर्यातों के मामले में बड़े घरानों का मुकाबला कर सकें जिस पर बड़े घरानों का एकाधिकार हो चुका है।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

** **श्री. एस. ए. दोराई सेबास्तियन** (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

मैं विपक्ष की ओर से माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों

** तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर ।

के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के मुख्य सिद्धान्त पर आधारित है । हमें दूसरे देशों की आवश्यकताओं का और किसी हद तक हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे इसका पता लगाना है। यह इस कारण से नहीं है कि हम चीनी और कोको का उत्पादन बहुत अधिक करते हैं इसलिए हमें उन्हें दूसरे देशों को भेजने का प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरे देशों से कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात करते हैं हम उन देशों को उन वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है और जिन्हें वे मांगना चाहते हैं। जब हम उन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं जिनमें हम आत्मनिर्भर नहीं हैं तो हम उन वस्तुओं का उन देशों में निर्यात नहीं कर सकते हैं जिसका हम अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं । हम चीनी तथा उन आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करने के बाध्य नहीं हैं जिनकी हमारे पास कमी है। माननीय सदस्यों को विदेश व्यापार की इन सीमाओं को महसूस करना चाहिए। हालांकि उन्हें इस बात का पता है तो भी वे इन प्रश्नों को केवल तर्क तथा वाद-विवाद के लिए उठाते हैं। वे ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें वे सिद्ध नहीं कर सकते हैं।

मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि दक्षिणी राज्य वाणिज्यिक महत्व की वस्तुओं का भारी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। हम भारी मात्रा में कपास का उत्पादन कर रहे हैं। भारतीय कपास निगम, खादी बोर्ड जैसे संगठन हैं जिन्हें उत्पादकों से कपास प्राप्त करने की उम्मीद है। भारतीय कपास निगम ने सीधे उत्पादकों से कपास नहीं खरीदी है। मेरे करूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा तमिलनाडु के पलानी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कपास पड़ी हुई है। उत्पादक इस असमंजस में हैं कि कपास के इस भारी भंडार का क्या किया जाये। भारतीय कपास निगम को कपास का आयात नहीं करना चाहिए जब कि हमारे देश के भीतर कपास भारी मात्रा में उपलब्ध है। भारतीय कपास निगम को यह दलील पेश नहीं करनी चाहिए कि कपास की किस्म अच्छी नहीं है। यह कपास बढ़िया कपड़ा बनाने के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि भारतीय कपास निगम को आयातित कपास की अपेक्षा देश में उत्पादित कपास को वरीयता देनी चाहिए । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु में भारी मात्रा में पड़ी कपास को खरीदने के लिए भारतीय कपास निगम को निदेश दें।

हमारे देश में जो सीरा है वह गन्ने से तैयार किया जाता है जो देश के भीतर 60 रु. प्रति टन के हिसाब से बिकता है जबकि विदेशों में लगभग 400 रु. अथवा 500 रु. प्रति टन सीरा का मूल्य है। वाणिज्य मंत्री महोदय को भारत से बाहर सीरे के बाजार का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निदेश देना चाहिए ताकि हम वह मूल्य विदेशी मुद्रा कमा सकें। तमिलनाडु तथा केरल में नकदी फसलें प्रकृति की देन हैं जो विदेशी मुद्रा कमाने वाली हैं। वाणिज्य मंत्रालय को इन फसलों के उत्पादन बढ़ाने में सभी आवश्यक प्रोत्साहन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए ताकि देश विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके । उसी प्रकार ऐसी उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए और जब कभी उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़े तो उन्हें वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सहायता दी जानी चाहिए । यह निर्यात के हित में है कि हम उन्हें आवश्यक सहायता दें ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मुझे कुछ शब्द कहने के लिए जो समय दिया गया उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री के. ए. राजन (त्रिचूर): यह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसका हमारे देश के आर्थिक विकास से संबंध है। इस मंत्रालय के कार्य को हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की और उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अर्थ व्यवस्था की निष्पत्ति से, जिससे हम संबद्ध हैं, अलग नहीं किया जा सकता।

यदि आप यहां प्रस्तुत प्रतिवेदन के पृष्ठ चार के पैरा 3 व 4 देखें तो आपको पता लगेगा कि हमारे विदेश व्यापार की भावी संभावनाएं क्या हैं। इसमें कहा गया है:

"अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं थी। विश्व की अर्थ व्यवस्था जिसके संबंध में यह आशा थी कि वह विकसित हुई होगी, 1979 में गिर गई। संयुक्त राष्ट्र वाणिज्य व्यापार तथा विकास के अध्ययन के अनुसार औद्योगीकृत देशों ने केवल 3.32 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की जो विशेष रूप से पिछले वर्ष की दर से काफी कम थी।"

"अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कारणों से हमारे निर्यात में धीमी वृद्धि हुई। औद्योगीकृत देशों में कम विकास दर तथा व्यापार के विस्तार के कारण संरक्षणवादी नीतियों के माध्यम से व्यापार में भेदभाव में वृद्धि हुई। . . . . ."

मैं इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूं ? हमें हमारी सरकार की विभिन्न निर्यात-आयात नीतियों की गहराई से जांच करने से पूर्व, यदि आप केवल दो या तीन वर्षों को छोड़कर पिछले दस से बारह वर्षों को लें तो हमें मालूम हो सकता है कि उनमें प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहा है। वह मूलभूत ढांचा, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं और मंत्रालय के कार्य पूंजीवादी विश्व बाजार से सम्बद्ध हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा बजट प्रस्तुत करने से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में यह अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है कि उस दयनीय स्थिति पर, जिसमें हमारी अर्थ व्यवस्था को धकेल दिया गया है, तथा इन सभी कारणों पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे संपर्क तथा हमारे संबंध तथा वह व्यापक निर्यात बाजार, जिस पर हम आश्रित हैं, सदैव विदेशी पूंजीवादी बाजारों के साथ रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि इन विदेशी पूंजीवादी बाजारों में उतार-चढ़ाव रहता है। विशेषकर इस अवधि में पूंजीवादी देश अपने सहज कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हमारे व्यापार तथा वाणिज्य का संबंध इस पूंजीवादी ढांचे के साथ है।

यदि आप हमारे निर्यात की व्यापार-पद्धति संबंधी आंकड़ों को देखें तो आप पायेंगे कि 1977-78 में हमारा 28.3 प्रतिशत निर्यात पश्चिमी-एशिया को था, 17.3 प्रतिशत पूर्वी-यूरोप को, 13.3 प्रतिशत अमरीका को, 34.3 प्रतिशत एशिया तथा अन्य देशों को था। हम केवल उन अन्य देशों की बाजार की स्थिति के अनुसार निर्यात करते हैं जिनकी अर्थ-व्यवस्था मूल रूप से पूंजीवादी है और जो उतार-चढ़ाव के साथ सदैव संकटग्रस्त रहते हैं। और हमें उन्हें आत्मसात करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं जो संकट त्रुटियों से पूर्ण है।

एक और मुख्य मुद्दा है जिसको इस संदर्भ में मैं प्रकाश में लाना चाहता हूं। यदि आप विश्व-निर्यात में हमारे अंश के आंकड़ों को देखें तो आप पायेंगे कि वर्ष 1976 में विश्व-निर्यात में हमारा अंश 0.56 प्रतिशत था, 1977 में यह गिरकर 0.55 प्रतिशत और 1978 में यह और घटकर 0.52 प्रतिशत रह गया।

यदि आप 1975 से 1978 तक की अवधि की निर्यात दर में वृद्धि की स्थिति की तुलना यहां तक कि कुछ पूंजीवादी विश्व के कुछ देशों से भी करें तो आप पायेंगे कि आंकड़े इस प्रकार हैं : कोरिया में यह 149 प्रतिशत, सिंगापुर में 87 प्रतिशत, जापान में यह 76 प्रतिशत तक पहुंच गया। और इस अवधि में निर्यात में वृद्धि 1975-78 में केवल 45 प्रतिशत हुई। निर्यात देशों की समूची स्थिति के संदर्भ में हमारे निर्यात की यह स्थिति है।

इन निर्यातों के लिए भी, हमारे राजकोष से भी कितना धन जाता है? यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं। राजकोष से ही निर्यात के लिए राज-सहायता प्रदान की जाती है। आप 1970-71 से लेकर 1979-80 तक के आंकड़े देख सकते हैं। 1970-71 में यह 34.92 करोड़ रुपये से प्रारंभ हुई और धीरे-धीरे 1964-75 में 66.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गई ; 1977-78 में यह 311 करोड़ रुपये तक पहुंच गई तथा 1979-80 में यह 358 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यदि आप धन की उस राशि को देखें जिसे निर्यात राज-सहायता के रूप में निर्यातों के लिए दिया गया है तो आप पायेंगे कि निर्यात राज-सहायता के रूप में करोड़ों रुपये खर्च किए गये हैं । यदि इसी धन को रोजगार के अवसर पैदा करने और देशी बाजार तैयार करने में निवेश करते तो स्थिति क्या होती।

मैं आपको बताउंगा कि इस निर्यात के लिए दी जाने वाली इस राजसहायता का किस प्रकार उपयोग अथवा दुरुपयोग किया जाता है। कुछ निर्यातक घरानों में से, 500 और इससे कुछ अधिक निर्यातक घराने तो निजी क्षेत्र में ही हैं और यदि मुझे सही याद है तो ग्यारह या बारह, सरकारी क्षेत्र के निर्यातक घराने हैं और हम देख सकते हैं कि निर्यातक घराने, जो विदेशों में वस्तुओं का निर्यात करते हैं, किस प्रकार हेर-फेर कर रहे हैं, किस प्रकार कुछ देशों में कदाचार और घटिया किस्म के कारण निर्यात के मामले में हमारी प्रतिष्ठा गिरी है, जिसके कारण बहुत मंडियां हमारे हाथों से चली गई हैं । निजी क्षेत्र के ये 500 और इससे कुछ अधिक घराने किस प्रकार का व्यवहार करते हैं यह बात अनेक तथ्यों से स्पष्ट हो गई है । 4 जुलाई, 1980 के **इंडियन एक्सप्रेस** में यह उल्लेख किया गया है:

> "भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गये अध्ययन से पता चला कि विकासशील और विकसित दोनों ही प्रकार के देशों में भारतीय निर्यात की स्थिति इसके मुख्य एशियाई प्रतियोगियों की तुलना में निरन्तर खराब रही ।"

"......सिले-सिलाए भारतीय वस्त्र, चमड़े और इन्जीनियरी सामान अपनी कम कीमतों के कारण ही प्रतियोगिता में ठहरा हुआ है अन्यथा उन्हें उनके चालू मूल्य के मुकाबले अच्छा नहीं समझा जाता। उन्हें घटिया किस्म का, नकली और सामान्य औद्योगिकी का समझा

जाता है। बात इतनी ही नही है। भारतीय बाजार के विषय में प्रदर्शन और प्रोत्साहन बहुत कम है और भारतीय वस्तुओं के ब्रांड नामों की मान्यता सबसे कम है।

यदि हम निर्यातों के इन विशिष्ट करणों को लें तो देखेंगे कि, किस प्रकार हमारे निर्यातकों द्वारा किस्म और अन्य बातों का स्तर गिराया जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी स्थिति बहुत गिर गई है और हम इन बाजारों को खोते जा रहे हैं।

"हाल ही में, अमरीका के खाद्य और औषध प्रशासन (यू. एस. एफ. डी. ए.) ने भारतीय झींगा मछली निर्यातकों को काली सूची में रख दिया। इस घटना से उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों में आतंक फैल गया जो मछली उद्योग में भारी साझेदारी रखते हैं। काली सूची में रखने का कारण था साल्मोनेला में मिलावट का संदेह। गन्दगी टूट-फूट, सड़न का भी दोष लगाया गया। अमरीकी झींगा मछली आयातकों ने माल के तौल में कम होने की भी शिकायत की। भारत से निर्यात की गई जमी हुई झींगा मछली के पांच पाउंड के 'स्लैंज' को कभी-कभी लगभग 4.1 पाउंड का ही पाया जाता है। ऐसी शिकायतें भी आम सुनने में आती है कि काली मिर्च, इलायची, मिर्च, हल्दी, 'करी चूर्ण', लहसून और मसालों-तेलों में मिलावट करके निर्यातक अपना माल भेजते हैं।

भारतीय काली मिर्च के लिए अमरीका जैसी विशाल मंडी के हाथ से निकल जाने के लिए काली मिर्च निर्यातकों की सिद्धान्तहीनता उत्तरदायी थी। केवल हाल ही में मिलावट और घटिया किस्म के कारण दक्षिणी कोरिया को निर्यात की गई भारतीय काली मिर्च की भारी मात्रा को नष्ट करना पड़ा और फिर, हाल ही में, भारत सरकार ने छः कपास निर्यातकों को काली सूची में रखा है . . . . . ।"

मैं इस मुद्दे को केवल इसलिए बता रहा हूं कि इन निर्यातकों द्वारा हमारी निर्यात मंडी को वास्तव में ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है जबकि यद्यपि हमारे पास इतने सारे निरीक्षण उपकरण हैं और सभी प्रकार का साज-सामान है। यदि मैं सही हूं तो, देश के विभिन्न भागों में वास्तव में ही 50 कार्यालय माल भेजने के पहले के कार्य के लिए हैं और इनमें 2000 अधिकारी सेवारात हैं। ऐसे मामलों में ये अधिकारी और विभाग दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि वे इन निर्यातकों से वास्तव में ही मिलीभगत रखते हैं और इस प्रकार मंडी में तबाही फैलाकर, देश की शान बिगाड़कर और जहां आज हमारे बाजार हैं उनको खोने और समस्त निर्यात मंडी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल करके वे धांधली मचा रहे हैं।

इन सब पहलुओं को छोड़कर मैं निर्यात-नीति को भी बताना चाहूंगा। तात्कालिक कार्यों में, ओ०जी० एल० सूची का बड़े पैमाने पर संशोधन, सीमेन्ट, खाने के तेलों, कागज आदि के उत्पादन में देश में वृद्धि, कच्चे तेल का देश में ही उत्पादन बढ़ाया जाना और अर्थ व्यवस्था का इसके उपयोग से प्रभावित होना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कोयले के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए और जहां कहीं संभव हो इसे तेल के बदले में काम में लाया जाए। बिना विलम्ब, विश्व संविदा-योजना को समाप्त किया जाए और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किए जाने चाहिएं।

इस संबंध में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान हवाना में हुई गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन

में एकमत से लिए गए निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार अविकसित देश निर्यात संबंधी अपनी नीति को नई दिशा दें। उस सम्मेलन में उन्होंने एक निर्देश दिया था और भारत को सम्मेलन का भागीदार होने के नाते, विकासशील देशों के सर्वोत्तम हित में उसका पालन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि विकसित देश विशेषकर पूंजीवादी दुनिया के देश हमें हानि पहुंचाकर हमारा शोषण न करें। हवाना उद्घोषणा में विशिष्ट रूप से और सही-सही ढंग से उल्लेख किया है कि विकासशील देशों को आने वाले समय में स्वयं अपने हित में और अपनी अर्थ व्यवस्था के हित में, उन समाजवादी देशों के साथ व्यापार संबंधों पर अधिकाधिक निर्भर करना पड़ेगा जिस पर वे निर्भर कर सकते हैं और जिससे उनके देशों की अर्थ-व्यवस्था भी पुनरुज्जीवित हो सकती है।

अतः, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो निर्यात नीति अपनायी है उसके हित में वह यह देखें कि भारत उस घोषणा का पालन करे। इस पर विचार किया जाना चाहिए। और मुझे आशा है कि सम्मेलन का एक भागीदार होने के नाते, वह अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ायेंगे।

जहां तक उन देशों को निर्यात करने का संबंध है, जहां पर हमारे जैसा आर्थिक संकट नहीं है और जहां पर अच्छा विपणन तन्त्र चालू है, वे भारत जैसे और अन्य देशों के साथ प्रतिकूल रवैया अपनाते हैं।

इस संबंध में, मैं उन कुछेक मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो सीधे ही वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आते हैं। यद्यपि मेरे साथी ने इन पर अच्छा प्रकाश डाला था, फिर भी मैं एक-दो मुद्दों को उजागर करना चाहता हूं। वे हमारी काजू आयात नीति से संबंधित हैं। हम निरंतर इस बात के लिए लड़ते आ रहे हैं कि हमारी निर्यात-नीति, व्यापार, उद्योग और उस क्षेत्र विशेष में कार्यरत, भारी संख्या में मजदूरों के हित के प्रतिकूल न हो। परन्तु दुर्भाग्य से उस नीति से विमुख होकर काम किया गया है। आयात का काम पहले एक सरकारी क्षेत्र का अभिकरण देखता था। मेरी समझ में नहीं आता कि उस नीति से अलग होने के लिए सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी, जिसे संबंधित राज्यों और औद्योगिक मजदूरों ने लिया था। मैं नहीं समझ पाता कि काजू के आयात के मामले में, अब तक चालू नीति से अलग हटकर, निजी आयातकों को वरीयता क्यों प्रदान की गई। इससे उद्योग और उसमें संवारत लाखों मजदूरों पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से किये जाने वाले आयात की पुरानी नीति पर चलेंगे और यह देखेंगे कि वे उन मान्यताप्राप्त संगठनों की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे करेंगे जिनमें मजदूरों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है और उनका शोषण नहीं किया जा रहा है। जिस दूसरे मुद्दे पर मैं बल देना चाहता हूं वह कोको के आयात के बारे में है। हमारे पास कोको का आधिक्य है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को कोको का आयात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि यह कृषकों और उत्पादकों के लिए अहितकर है। शायद यह कैडबरी के हित में किया जा रहा हो? मेरे विचार में सरकार द्वारा इसके आयात करने का कारण यह था कि उससे उत्पादकों के हितों को नुकसान पहुंचता है। मैं जानता हूं कि यहां बहुतायात में कोको का उत्पादन होता है और सरकार की नीति के कारण उत्पादकों को हानि उठानी पड़ती है। दुर्भाग्य से आज यही स्थिति है।

अब मैं हथकरघा बुनकरों की दयनीनीय स्थिति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। उन्हें धागा उचित दरों पर नहीं मिल सका और समस्या हल न हो सकी। परिणामस्वरूप माल जमा हो गया। मेरा निवेदन है कि हथकरघा बुनकरों को ब्याज-मुक्त ऋण दिये जाएं। ऐसा नहीं किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस दिशा में अब कोई कदम उठायेंगे, क्योंकि देश भर के लाखों बुनकर संकट झेल रहे हैं। हथकरघा उद्योग अपने उत्पाद को नहीं बेच सका। इसके परिणामस्वरूप बुनकर बेकार हो गये हैं। आप जानते हैं कि जहां तक समुद्री उत्पादों का संबंध है उनके निर्यातों से लगभग दो सौ करोड़ रुपये मिलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः राजन जी, ये सब बातें श्री कुरियन पहले ही कह चुके हैं। आप केवल नए मुद्दे उठाइए।

श्री के. ए. राजन (त्रिचूर) : जहां तक सामुद्रिक उत्पादों की बात है, उनकी कुछ समस्याएं हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जलपोत नहीं हैं। जहां तक अन्य देशों से तुलना की बात है हमारे पास केवल 17 जलपोत हैं। अन्य देशों में उनके पास गहरे समुद्र के जालपोत हैं और वे विश्व की मंडी की प्रतियोगिता में ठहरे हुए हैं। निर्यातों में दो सौ करोड़ रुपये की होने वाली आय प्रति वर्ष घटती जा रही है। जिससे हमारे सामुद्रिक निर्यात उद्योग को हानि उठानी पड़ रही है। इस संदर्भ में, मैं मंत्री महोदय से जोर देकर कहना चाहूंगा कि छोटे निर्यातकों के हितों की कीमत पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जालपोत देने की नीति को समाप्त किया जाये। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री अशफाक हुसैन। आपको केवल पांच मिनट का समय लेना है। चार मिनट दिए गए हैं परन्तु बोनस के रूप में एक मिनट और दे रहा हूं--उत्पादकता पर आधारित बोनस नहीं।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, समय की सीमा को देखते हुए मैं अपने को हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट तक ही सीमित रखूंगा, वैसे मैं चाहता था कि एक्सपोर्ट के बारे में भी कुछ अपने विचार आपके सामने रखूं।

सबसे पहले तो मैं एक नजर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और सैरी-कल्चर के मुताबिक इस साल के बजट में जो अनुदानों की मांगें रखी गई हैं, उन पर डालना आवश्यक समझता हूं। हैंडलूम में 1979-80 में 27 करोड़ 64 लाख रुपया रखा गया था जब कि 1980-81 में केवल 20 करोड़ 25 लाख रुपया रखा गया है। इसके मुकाबले में हैंडीक्राफ्ट्स में 1979-80 में 13 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जबकि 1980-81 के बजट में सिर्फ 8.70 करोड़ रुपया ही रखा गया है। सेरीकल्चर में 1979-80 में 8 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जबकि 1980-81 में 4.25 करोड़ रुपया ही रखा गया है, यानी 1979-80 के मुकाबले में 3.75 करोड़ रुपया कम रखा गया है।

एक तो पहले से ही दस्तकारों के साथ सौतेला व्यवहार होता चला आया है और सारे बजट में प्लान आउटले के नाम पर केवल 48.64 करोड़ रुपया 1979-80 के बजट में रखा गया था,

जो 1980-81 के बजट में घटा कर 33.20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। और कहा यह जाता है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बुनकरों और दस्तकारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बजट में रुपया कम कर के विशेष प्रोत्साहन देने की बात तो एक नई बात है, जिसको मौजूदा सरकार ही समझा सकती है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ स्कीमें जरूर बनाई गईं, जिनका मकसद हैंडलूम और दस्तकारी की तरक्की देना था, लेकिन हैंडलूम हो या दस्तकारी, उसकी तरक्की के लिए पहली बुनियादी जरूरत कच्चे माल की फराहमी है। इस बुनियादी सवाल को नजर-अंदाज करके न तो हैंडलूम सनअत तरक्की कर सकती है और न कोई और दस्तकारी। हम यह मान भी लें कि सरकार हथकरघा बुनकरों और दस्तकारों से हमदर्दी रखती है, लेकिन सरकार पर ताकतवर टैक्सटाइल लाबी इस कद्र हावी है कि वह बुनियादी बातों की तरफ सरकार का ध्यान जाने ही नहीं देती।

सूत एक तरह से समूचे टैक्सटाइल उद्योग की लगाम है, और सूत की पैदावार और डिस्ट्री-ब्यूशन पर टैक्टाइल सेठों की इजारेदारी है। रूई की पैदावार ज्यादा हो, तब भी सूत का दाम बढ़ता ही जायेगा। सूत काम्पोजिट मिलों और कताई मिलों दोनों में तैयार होता है। कुछ कताई मिलें को-आपरेटिव जुमरे में भी खोली गई हैं। सरकार का कहना है कि उसकी पालिसी ज्यादा से ज्यादा कताई मिलें खोलने की है। लेकिन इसके लिए सिर्फ तीन करोड़ रुपया ही सारे बजट में रखा गया है, जबकि एक कताई मिल खोलने के लिए अब पांच करोड़ रुपये से कम की लागत नहीं आती है।

कताई मिलें जरूर खोलिए और उसके लिए मुनासिब फंड्स भी फराहम कीजिए, लेकिन जब तक कताई मिलें बड़ी तादाद में नहीं खुलती हैं, इस दरमियान बुनकरों और हथकरघा उद्योग को टैक्सटाइल सेठों और उनके दलालों के रहमो-करम पर न छोड़िये। हैंडलूम के लिए सूत की तैयारी से लेकर उसको बुनकरों के करघे तक मुनासिब दाम पर पहुंचाने की जिम्मादारी केन्द्रीय सरकार की है, कामर्स मिनिस्ट्री की है। और जब तक मरकजी सरकार और कामर्स मिनिस्ट्री अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने से कतराते रहेंगे। बुनकरों और दस्तकरों की हालत में सुधार नहीं आयेगा, अच्छा और उनकी जरूरत का सूत उनको मुनासिब दाम पर नहीं मिलेगा और सूत का दाम बढ़ता जायेगा और इससे तैयार कपड़े की कीमत घटती जायेगी। इसलिए मरकजी सरकार को इस सिलसिले में कदम उठाने की जरूरत है।

सरकार की तरफ से पाबंदी है कि चाहे काम्पोजिट मिलें हों या कताई मिलें, वे अपने सूत का 50 फीसदी सूत लतरियां, हैंक्स में तैयार करें। इस पचास फीसदी को बढ़ा कर कम से कम 65 फीसदी करना चाहिए और इसी के साथ पर सख्ती से अमल भी होना चाहिए। हैंक्स में तैयार सूत मुनासिब कीमत पर और मुनासिब ढंग से बुनकरों तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि एक एक ऐसा कानूनी इदारा बनाया जाये, जो सूत की तैयारी से लेकर उनको बुनकरों तक पहुंचाने तक के सारे मराहिलें को अपनी निगरानी में करे और उसको ऐसा अख्यार कानून के जरिए दिया जाये। वह केवल एक सलाहकार इदारा न हो और उसमें बुनकरों, एन टी सी और सूत तैयार करने वाले सेठों के भी नुमाइंदे हों। सूत की कीमत साल में एक बार मुकर्रर हो और उस पर पाबंदी की जिम्मेदारी सरकार खुद ले। अगर वह जरूरी समझे, तो इसको एसेंशल कामोडिटीज एक्ट के तहत ले आये। आल इंडिया हैंडलूम बोर्ड केवल एक सलाहकार इदारा है

और इसे इतना भी अख्तियार हासिल नहीं है जितना आल इंडिया हैंडीक्रेफ्ट बोर्ड को है। अगर इस इदारे से काम लेना है तो इसको और अख्यारात दिये जायें, वरना इसे वाइंड अप कर दिया जाय। डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम की कारकर्दगी के लिए 1979-80 के बजट में 19 लाख रुपया रखा गया था। जिस को घटा कर मौजूदा 1980-81 के बजट में 12 लाख कर दिया गया है। यह जाहिर करता है कि हैंडलूम की तरक्की पर मौजूदा सरकार का कितना ध्यान जबानी और कितना ध्यान अमली है ।

अब मैं एक बात और अंत में कहना चाहता हूं। हथकरघा बुनकरों का ताल्लुक ज्यादातर कमजोर और पिछड़े हुए तबके से है । समाज के तरकीयाफ्ता लोग और तबके उन को सदियों से हकीर समझते रहे हैं। लेकिन सरकारी कागजात और दस्तावेजात में बराबर इस बात का ख्याल रखा जाता रहा है कि उनको किसी ऐसे नाम से न पुकारा जाय जिस से उन को ठेस पहुंचे। मुझे बहुत ताज्जुब है कि मौजूदा बजट दस्तावेजात में वीवर्स का हिन्दी तर्जुमा जुलाहा किया गया है और ताज्जुब इसलिए और है कि इस वेजारत के सरबराहों में मोहित रम जनाब ज़ियाउर्रहमान साहब हैं जो इस खास लब्ज की तारीख और इस सिलसिले की जद्दोजहद से वाकिफ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब 6.02 बजे हैं । दो और वक्ता हैं जो बोलना चाहते हैं, वे हो सकता है सोमवार को उपस्थित न हों । हम सदन की अनुमति से हरेक को पांच मिनट तक बोलने का समय दे सकते हैं। हमारे पास श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल और स्कारिया थामस के नाम है। उन्हें हरेक को पांच मिन्ट का समय दिया जाता है. . . . ।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुक्तपुजा) : मैं सोमवार को बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है; आप सोमवार को बोल सकते हैं। सभा अब कल 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित होती है।

6.03 म. पू.

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 7 जुलाई, 1980/16 आषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPF—1681 SS/80—6-10-80—2..